# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

**विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 02.00 बजे अपराह्न आरंभ हुई।**

**(राष्ट्रीय गान गाया गया।)**

## राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

16.02.2026/1400/RKS/Ag-1

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. मुझे माननीय सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र को संबोधित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना करता हूँ।

2. इस सम्माननीय सदन के इस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें, वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान पारित करने तथा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए किया गया है। जैसा कि इस सदन की परम्परा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभवों से मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर रचनात्मक विचार-विमर्श करने की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

पैरा संख्याः 3 से लेकर पैरा संख्याः 16 तक संवैधानिक संस्था के संदर्भ में टिप्पणियां हैं जिन पर आप सभी लोग सदन में निश्चित रूप से गौर करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण तथा राज्यों को भारत की संचित निधि से राजस्व सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों पर अनुशंसा करता है। वित्त आयोग स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए भी अनुदान की अनुशंसा करता है।

4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 275 (1) उन राज्यों को ऐसे अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो अपनी राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच की खाई को पाट नहीं सकते। इस अनुच्छेद का प्रावधान इस प्रकार है :-

***"ऐसी राशियां, जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी।"***

5. 16वाँ वित्त आयोग 31.12.2023 को गठित किया गया था ताकि वह 01.04.2026 से 31.3.2031 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए अनुशंसाएँ कर सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2025 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 01.02.2026 को संसद में रखी गई और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई।

6. RDG छोटे राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए 6. राजस्व घाटा पाटने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है। परन्तु 16वें वित्त आयोग द्वारा RDG को बंद करने की अनुशंसा की गई है। जोकि संविधान के अनुछेद 275 (1) की भावना के विरूद्ध है।

7. RDG की अनुशंसा सभी पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा की गई है, प्रथम वित्त आयोग (1952) से लेकर पंद्रहवें वित्त आयोग तक, जिसकी आंबटन अवधि वर्ष 2020 से 2025 तक रही। यह पहली बार है कि वित्त आयोग ने छोटे पर्वतीय राज्यों की विकास आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ किया है और उनकी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों, छोटी अर्थव्यवस्था तथा सीमित संसाधन आधार के कारण होने वाली लागत अक्षमताओं पर विचार नहीं किया।

8. प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात् से ही लगातार सभी वित्त आयोगों से RDG प्राप्त होती रही है, जो इसकी संरचनात्मक वित्तीय सीमाओं को दर्शाता है। 13वें वित्त आयोग को छोड़कर हर वित्त आयोग ने RDG के रूप में प्रदेश को मिलने वाली राशि में वृद्धि की है। परन्तु 16वें वित्त आयोग (2026-31) द्वारा इस सन्दर्भ में अपनी अनुशंसा में RDG को शून्य कर दिया गया है।

9. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्त आयोग का मूल कार्य संघ और राज्यों की आय और व्यय का आकलन करना है। वितरण सूत्र (Devolution Formula) निर्धारित किए जाने के पश्चात् केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का आवंटन किया जाता है और तत्पश्चात् यदि कोई अंतर शेष रह जाता है तो उसकी पूर्ति हेतु अनुदान की अनुशंसा की जाती है।

10. रिपोर्ट के अनुसार 16वें वित्त आयोग द्वारा Award अवधि के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों का राजस्व व व्यय अनुमान अलग-अलग न दर्शा कर संयुक्त रूप से दर्शाया गया जिसके कारण राज्य वशिष्ट (State specific) आवश्यकताएं जैसेकि हिमाचल से संबंधित वित्तीय आवश्यकताएं व Revenue Deficit दोनों का आकलन स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो पाया।

11. जी०एस०टी० लागू होने के बाद छोटे घरेलू बाज़ार वाले राज्यों को राजस्व में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इन राज्यों में उत्पादित वस्तुओं का बड़ा हिस्सा बाहर बिकता है और कर लाभ मुख्यतः बड़े उपभोक्ता राज्यों को प्राप्त होता है। इसी के परिणामस्वरूप हमारे राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले कर भी सीमित हो गए हैं। वर्तमान में सरकार करों को अधिकतर सम्भव दरों पर अधिरोपित कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध गैर-करों के सीमित संसाधनों से यथा-सम्भव दोहन उपरान्त भी राजस्व में आवश्यकता अनुसार ज़्यादा बढ़ौतरी सम्भव नहीं है। साथ ही उपलब्ध करों को जितना भी बढ़ाया जा सके और सब्सिडियों का युक्तिकरण व सुधार कर लिए जाए, फिर भी राजस्व घाटे के इस अन्तर को पूरा कर पाना सम्भव नहीं है।

12. भारत का संघीय ढांचा वित्तीय संतुलन और सहकारी संघवाद पर आधारित है, जहाँ हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पर्वतीय राज्यों को RDG संवैधानिक हस्तांतरणों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित राजस्व स्रोतों और उच्च प्रशासनिक लागतों से बाधित हिमाचल प्रदेश केवल अपने संसाधनों के बल पर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बनाए नहीं रख सकता। RDG से वंचित करना वित्तीय

स्वायत्तता को कमज़ोर करता है, क्षेत्रीय असमानता को गहरा करता है और छोटे राज्यों को वित्तीय संकट तथा भारत सरकार से विवेकाधीन सहायता पर अत्यधिक निर्भरता की ओर धकेलकर संघवाद की भावना को कमजोर करता है।

13. 15वें और 16वें वित्त आयोगों की अनुशंसाओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटे की भरपाई हेतु 6 वर्षों (2020-21 से 2025-26) के लिए लगभग 48 हजार 630 करोड़ रूपये की RDG की अनुशंसा की थी जिसे 16वें वित्त आयोग द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान 855 करोड़ रूपये से घटकर 435 करोड़ रूपये रह गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, ग्रामीण स्थानीय निकायों व अन्य विशेष अनुदान में वृद्धि हुई है। अतः Nominal रूप में यह कमी (deficit) लगभग 33 हज़ार 195 करोड़ रूपये आँकी गई है, जोकि Real term में इससे कहीं अधिक है।

14. 16वें वित्त आयोग ने RDG को बंद करने से बचाई गई राशि के संबंध में भी कोई अनुशंसा नहीं की है जोकि 15वें वित्त आयोग के सन्दर्भ में 2 लाख 94 हजार 514 करोड़ रूपये थी।

15. RDG को 16वें वित्त आयोग द्वारा समाप्त किया जाना, छोटे व पहाड़ी राज्यों के लिए चिंता का विषय है। यदि हम RDG प्राप्त कर रहे 17 राज्यों की सूचि को देखें तो RDG का वार्षिक बजट में योगदान अनुसार मुख्य रूप से ज्यादा प्रभावित विशेष श्रेणी राज्य हैं। इनमें से भी 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें यह योगदान 12 प्रतिशत से ज्यादा बनता है। हमारे प्रदेश के सन्दर्भ में यह लगभग 12.7 प्रतिशत है, जोकि देश में नागालैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। इस कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचेगा।

16. अतः हिमाचल जैसे पर्वतीय और सीमावर्ती राज्य के लिए, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजस्व सृजन की क्षमता सीमित है, RDG का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके बंद होने से राज्य को अपने विकास कार्यक्रमों,

सामाजिक कल्याण योजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से समय-समय पर इस बारे में मामला भी उठाया है साथ ही वित्तीय अनुशासन लाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु गम्भीर प्रयास भी किए हैं।

**पैरा संख्याः 17 से लेकर आगे तक सरकार की अभी तक की उपलब्धियों का वर्णन है इसलिए यह आप सभी के लिए अच्छा होगा कि आप इन्हें पूरी तरह पढ़ें।**

17. मेरी सरकार ने आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रभावी उपाय किए हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के कर राजस्व में पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 हज़ार 300 करोड़ रुपये तथा गैर-कर राजस्व में लगभग 1 हजार 600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कर राजस्व में वृद्धि के अंतर्गत SGST से 791 करोड़ रुपये, वाहनों पर कर से 306 करोड़ रुपये तथा वैट से 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने कुछ उपकर (सेस) भी लगाए हैं, जिनसे अब तक लगभग 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत बिजली से 489 करोड़ रुपये, खनन (माइनिंग) से 110 करोड़ रुपये तथा वानिकी (फॉरेस्ट्री) से 73 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

18. मेरी सरकार प्रदेश के ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु मेरी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना को शुरू किया, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30-40 किलोमीटर की परिधि में लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु 70 आर्दश स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। इन संस्थानों में लगभग 134 प्रकार के परीक्षण तथा अल्ट्रासाउंड/डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन संस्थानों में

कम से कम छः विशेषज्ञ डॉक्टरों (मेडिसन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, एनस्थीसिया एवं रेडियोलॉजी) की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अर्न्तगत 447 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 164 मेडिकल ऑफिसर ट्रेनी व 171 विभिन्न पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इन संस्थानों में मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु चरणबद्ध तरीके से बजट प्रावधान किया जा रहा है।

19. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2025 में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 29 नए पद सृजित, 335 पदों पर नियुक्तियां तथा 464 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों के 707 अनुबन्ध कर्मचारियों को भी नियमित किया गया।

20. स्वास्थ्य संस्थानों के बेहतरीन संचालन व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के युक्तिकरण हेतु मेरी सरकार द्वारा, निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं तथा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विभाजित कर अलग-अलग कॉडर बनाने का निर्णय लिया गया। इससे मेडिकल कॉलेजों में पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा कर्मचारियों को सुविधानुसार स्वास्थ्य संस्थानों को चुनने का मौका मिलेगा।

21. मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने हेतु मेडिकल कॉलेजों में संकायों के 65 नए पद सृजित कर, इस श्रेणी के रिक्त पड़े हुए 121 पदों तथा DHS कॉडर के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों जैसे चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, JOA(IT), Steno Typist इत्यादि के लगभग 260 पदों को भर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 365 आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, 900 Assistant Staff

Nurses के पदों तथा DHS और DME&R Cadre's में लगभग 500-500 रोगी मित्रों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है।

22. प्रदेश में कार्यरत डॉक्टरों एवं Faculty की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा DM तथा MCH की डिग्रियां प्राप्त किए हुए Doctors को उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने का निर्णय लिया गया है। अन्य श्रेणियों जैसे Operation Theater Assistant (OTA) के वेतनमान को 17 हज़ार से बढ़ाकर 25 हज़ार रूपये किया गया है। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजिडेंटस् को प्रोत्साहित करने हेतु सीनियर रेजिडेंटस्/टियूटर स्पेशलिस्टस् का वज़ीफा 60 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख तथा Sr. Residents Super Specialist का वज़ीफा 1 लाख 30 हज़ार रूपये किया गया है। सीनियर रेजिडेंटसी के लिए In-Service Doctors का कोटा 66.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिससे सीनियर रेजिडेंटसी की उपलब्धता लगातार बनी रहेगी।

23. PET SCAN मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 2 दशक पूर्व खरीदी गई मशीनरी को नई मशीनरी के साथ बदला जा रहा है। जिसके अन्तर्गत लगभग 115 करोड़ रूपये की लागत से पांच Tesla (3) MRI मशीनें, लगभग बीस करोड़ रूपये की लागत से 2 Cath labs, लगभग 21 करोड़ रूपये की लागत से तथा लगभग 28 करोड़ की लागत से LINAC Machine खरीदी जा रही है। इसके अतिरिक्त, लगभग 70 करोड़ रूपये की लागत से रोबोटिक सर्जरी भी शुरू की जा रही है। जिसके अन्तर्गत शिमला स्थित चमियाना सुपर स्पेशलिटी तथा मेडिकल कॉलेज टाण्डा में रोबोटिक सर्जरी से ईलाज जारी है, एवं IGMC Shimla, मेडिकल कॉलेज नैर चौक मण्डी व मेडिकल कालेज हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी की मशीनें स्थापित की जा रही हैं।

24. मेरी सराकार राज्य में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु कृतसंकल्प है। इसके अन्तर्गत, चम्बा मेडिकल कॉलेज के फेस-2 के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु 193 करोड़ 83 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गई है। डॉ० राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर के भवन निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु 50 करोड़ रूपये, State Cancer Institute के निर्माण हेतु लगभग 90 करोड़ रूपये तथा विद्यार्थियों के Hostel निर्माण हेतु लगभग 15 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 30 करोड़, अटल अति विशिष्ट स्वास्थ्य संस्थान, चमियाना में विभिन्न मशीनें व उपकरण खरीदने के लिए लगभग 57 करोड़ रूपये व प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 3 नए नर्सिंग कॉलेजों को 10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कालेजों में Critical Care Block के निर्माण हेतु लगभग 30 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान भी किया गया है।

25. प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत इंफ्रॉस्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना के अन्तर्गत लगभग 54 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई, जिसमें 15 क्रिटिकल केयर सेंटर (Critical Care Unit), 12 DIPSL व 12 VPAU का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ-शिशु स्वास्थ्य विंग भी निर्मित किये गए हैं, जिस पर लगभग 25 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है। जिसमें से 200 बिस्तरों वाले विंग का कार्य डॉ० राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में आरम्भ किया गया है, जबकि 100 बिस्तरों वाले विंग का कार्य जोनल हॉस्पिटल मंडी व ऊना, 50 बिस्तरों वाले विंग सिविल चिकित्सालय नूरपुर व जिला चिकित्सालय बिलासपुर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

26. मेरी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 35 हजार 687 पात्र महिलाओं को 1 हज़ार 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 7 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मातृ शक्ति बीमा योजना के

अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2025 तक 61 परिवारों को लगभग 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

27. समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों के कल्याण तथा उत्थान हेतु मेरी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। चालू वित्तीय वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 16 हज़ार 988 अतिरिक्त मामले स्वीकृत कर कुल 8 लाख 41 हजार 917 व्यक्तियों को लगभग 1 हजार 60 करोड़ रुपये की राशि पेंशन हेतु व्यय की जा रही है।

28. अनुसूचित जातियों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1 हजार 228 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

29. मेरी सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने तथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि व्यय कर 453 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

30. राज्य में रहने वाले दिव्यांगजनों के समग्र विकास एवं उत्थान हेतु मेरी सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना असीम (ASEEM) चलाई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 98 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

31. मेरी सरकार द्वारा 386 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तरोन्नत कर पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया है जिससे महिलाओं के लिए 401 नए रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2025 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 500 रूपये व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 300 रूपये की वृद्धि की गई है।

32. मुख्यमन्त्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 30 करोड़ 70 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 25 करोड़ 7 लाख 96 हज़ार रूपये की राशि 4 हजार 131 लाभार्थियों पर व्यय की गई है। 114 बच्चों को चण्डीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, अमृतसर एवं कपूरथला के शैक्षणिक भ्रमण पर भी भेजा गया।

33. मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 183 लाभार्थियों को लगभग 93 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई। जबकि बलात्कार, बाल यौन शोषण एवं वस्तुकरण के शिकार नाबालिग पीडितों के पुनर्वास हेतु लागू की गई पुनर्वास सहायता योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 384 पीड़ितों को 51 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

34. मेरी सरकार द्वारा समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं को सुरक्षित एकीकृत सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 92 करोड़ रूपये की लागत से जिला कांगड़ा के लुथान में आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर की स्थापना की जा रही है। इस परिसर में 400 व्यक्तियों, बच्चों के लिए रहने व खाने-पीने, शैक्षणिक सुविधा एवं कौशल विकास तथा मनोरंजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। परिसर निर्माण पर अब तक लगभग 30 करोड़ रूपये की राशि व्यय हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्त वर्ष में उक्त परिसर के निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

35. राज्य के दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला सोलन की तहसील कंडाघाट में कुल 45 बीघा भूमि पर दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 168 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा

6 करोड़ 91 लाख 21 हजार रुपये व्यय भी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के अधीन 15 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है। इस योजना पर आगामी वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रूपये व्यय करना प्रस्तावित है।

36. मेरी सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता के दृष्टिगत जिला सिरमौर के कोटला बरोग, उप-तहसील नारग, उप-मंडल पच्छाद, सराहां, में कुल 142.07 बीघा भूमि पर मादक द्रव्यों के सेवन के आदी पुरुषों एवं महिलाओं हेतु 100 बिस्तरों (50 पुरूष एंव 50 महिलाओं) की क्षमता वाले स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जो आधुनिक उपचार-पुनर्वास सुविधाओं, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं से युक्त होगा तथा प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नस्थापन एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस केन्द्र की अनुमानित लागत 58 करोड़ 66 लाख रूपये है। उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। पूर्ण होने पर, यह केंद्र पूरे देश में अपनी तरह का एक अत्याधुनिक (स्टेट-ऑफ द आर्ट) संस्थान होगा।

37. मुख्यमन्त्री शगुन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1 हजार 118 लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़ 47 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत 46 लाभार्थियों को 91 लाख 45 हज़ार रूपये की राशि वितरित की गई।

38. इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अन्तर्गत इस 38. वित्तीय वर्ष में 21 हज़ार 329 लाभार्थियों को लगभग 22 करोड़ 65 लाख व नारी सेवा सदन योजना के अंतर्गत 24 लाभार्थियों को लगभग 51 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

39. हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने राजीव गाँधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूँ, मक्का, कच्ची हल्दी तथा पांगी क्षेत्र की जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। चालू वित्तीय वर्ष में 40 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 744 किसानों से 218 मीट्रिक टन मक्की, 60 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 838 किसानों से 212 मीट्रिक टन गेहूँ व 90 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 61 किसानों से 13 मीट्रिक टन प्राकृतिक कच्ची हल्दी की खरीद की गई है।

40. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (बाड़बन्दी) के अन्तर्गत 520 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है, जिस पर 25 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई जिससे 1 हजार 75 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के अन्तर्गत भी 18 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

41. जनजातीय क्षेत्रों (उच्च पर्वतीय क्षेत्रों) की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि से सम्पन्नता योजना के अन्तर्गत हींग की खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 9 हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। वर्तमान में 547 किसानों को 68 हजार 619 हींग के पौधे वितरित किये गए हैं। मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण गारन्टी के अनुरूप 132 किसानों से 300 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 1 हजार 239 क्विंटल जैविक खाद की खरीद की गई है।

42. मेरी सरकार द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु आरम्भ की गई हिम कृषि योजना के अन्तर्गत अब तक 724 क्लस्टरों की पहचान कर 20 करोड़ रूपये की

राशि आबंटित की गई है। JICA ODA-II के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फसल विविधता प्रोत्साहन परियोजना के द्वितीय चरण के अवसंरचना विकास घटक के अन्तर्गत 128 उप-परियोजनाओं में सिंचाई अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर 2 हज़ार 960 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र कवर किया गया है, जिससे लगभग 12 हज़ार 319 कृषक परिवार लाभान्वित हुए हैं।

43. चालू वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 511 हेक्टेयर क्षेत्र को फल, सब्जियों, फूल और मसाले की खेती के अधीन लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 4 हजार 124 किसान व बागवान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 25 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्र संरक्षित खेती के अधीन लाया गया है।

44. मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 1 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया तथा 987 किसानों व बागवानों को 5 करोड़ 53 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि का उपयोग विभागीय Progeny cum Demonstration Orchard (PCDO) में ब्लूबेरी की खेती को बढ़ावा देने, जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के सशक्तिकरण और शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए किया गया है।

45. मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने हेतु बागवानी विकास योजना के अन्तर्गत पावर स्प्रेयर और पावर टिलर खरीदने हेतु 4 हज़ार 454 किसानों को 11 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सेब और अन्य फल-फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं (ओलावृष्टि और तेज हवा के वेग) से बचाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में एंटी हेल नेट की खरीद पर सब्सिडी के रूप में 2 हज़ार 746 किसानों को 19 करोड़ 54 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

46. विदेशी और उच्च मूल्य वाले फल-फसलों को बढ़ावा देने हेतु ब्लूबेरी पौधरोपण गतिविधियों पर अब तक 3 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त, MIDH योजना के तहत सोलन और मण्डी ज़िला में क्रमशः ब्लूबेरी व एवोकाडो के अग्रिम प्रदर्शन क्षेत्र (FLDs) स्थापित किए गए हैं।

47. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 66 हज़ार 239 किसानों व बागवानों को लगभग 12 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत लगभग 118 करोड़ रुपये की लागत से 98 हज़ार 268 मीट्रिक टन सी-ग्रेड सेब की खरीद की गई है।

48. दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने तथा लघु एवं सीमांत दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने हेतु राज्य में दुग्ध प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दूध की खरीद पर दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 3 रुपये का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दूध पर मिलने वाली परिवहन सब्सिडी में 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी की गई है।

49. मेरी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में गाय व भैंस के दूध का न्यूनतम खरीद मूल्य क्रमशः 51 व 61 रूपये प्रति लीटर तय किया गया है जोकि देश में सबसे अधिक है।

50. गोपाल योजना के अन्तर्गत असहाय पशुओं की उचित देख-रेख सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल प्रदेश गौ-सेवा आयोग के माध्यम से गौसदनों और गौ अभयारण्यों में पाली जा रही गायों के रख-रखाव अनुदान को 1 अक्तूबर, 2025 से 700 रूपये से बढ़ाकर 1 हजार 200 रूपये प्रति गाय प्रतिमाह कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 14 करोड़ 68 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

51. प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में 213 नई ट्राउट यूनिट, 3 ट्राउट हैचरीज, 2 आइस प्लांट, 2 मिनी फिश फीड मिल, 5 बायोफ्लॉक तालाब, 10 छोटे बायोफ्लॉक यूनिट का निर्माण किया गया है। मछुआरों को मछली और इसके उत्पादों के विपणन हेतु 33 मोटरसाइकिलें और कई तिपहिया वाहन आइस बॉक्स के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं।

52. इस वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्य पालन से 551 नए रोज़गार के अवसर प्रदान किये गये हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक राज्य के प्रमुख जलाशयों में कुल 6 हज़ार 257 मछुआरों को पूर्णकालिक स्वरोजगार प्रदान किया गया तथा उनके द्वारा इस अवधि में 9 करोड़ 24 लाख मूल्य की 618 मीट्रिक टन मछली पकड़ी गई। मछुआरों की संस्था से संबंधित रायल्टी की राशि 1 हज़ार 500 रूपये से घटाकर 750 रूपये कर दी गई है।

53. मेरी सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रथम और द्वितीय कक्षा में अंग्रेज़ी माध्यम लागू किया गया था और अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा तीन से कक्षा पांच तक अंग्रेजी माध्यम लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था आने वाले वर्षों में क्रमशः उच्च कक्षाओं तक विस्तारित की जानी प्रस्तावित है।

54. प्री-प्राइमरी स्कूलों में मज़बूत निवेश, बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, मेरी सरकार ने लगभग 6 हजार 297 प्राथमिक स्कूलों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा शिक्षकों (Early Childhood Care and Education Tutors) की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की उपलब्धता के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की कुल 5 हजार 667 नियुक्तियां की है।

55. विद्यालयों में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु पाठशालाओं को क्लस्टर के रूप में गठित किया गया है। राज्य में वर्तमान में कुल 4 हज़ार 143 क्लस्टर हैं

जिनमें से 3 हज़ार 80 क्लस्टरों में वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक संयुक्त रूप से उपयोग प्रारंभ कर दिया है।

56. मेरी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 334 शिक्षकों तथा 50 मेधावी विद्यार्थियों को सिंगापुर और कंबोडिया भेजा है। अपना विद्यालयः द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जन प्रतिनिधियों, राजपत्रित अधिकारियों, जिला से लेकर उप-मंडल स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सरकारी पाठशालाओं को गोद लेने की मुहिम प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत अब तक 5 हज़ार 281 स्कूलों को गोद लिया जा चुका है। इन पाठशालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है।

57. पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण व डिजिटल शैक्षिक संसाधनों तक छात्रों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु 50 शासकीय महाविद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों में वर्चुअल एवं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से वास्तविक समय में ऑनलाइन शिक्षण, विभिन्न महाविद्यालयों में विशेषज्ञ व्याख्यान, Webinar तथा Hybrid शिक्षण मॉडल की संचालन सुविधा से युक्त Classroom स्थापित किए जा रहे हैं।

58. मेरी सरकार द्वारा 17 महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं का उन्नयन व 15 महाविद्यालयों में CCTV कैमरों की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 1 लाख 9 हज़ार 323 छात्र-छात्राओं का सत्यापन किया गया है।

59. उद्योग की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र से सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एम.टेक., राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कांगड़ा में AI और डेटा साइंस में बी.टेक., अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, प्रगतिनगर में

सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक., और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

60. मेरी सरकार ने राज्य में रोज़गार के अवसरों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2025 में, सरकारी इंजीनियरिंग, बी. फार्मेसी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 6 हज़ार 273 छात्रों को रोज़गार मेलों, संयुक्त परिसर साक्षात्कार और अन्य प्लेसमेंट अभियानों के माध्यम से रोज़गार प्राप्त हुए हैं।

61. अभी तक केवल स्कूल स्तर तक के अध्यापकों को ही शिक्षक दिवस अथवा ऐसे अन्य अवसरों पर सम्मानित किया जाता था परन्तु मेरी सरकार द्वारा कॉलेज के शिक्षकों व शोधार्थियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

62. राजस्व प्रशासन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार के साथ जनता का सबसे अधिक सम्बन्ध रहता है। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि इन सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सुधार लाया जाए। राजस्व संबंधी सभी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु भूमि अभिलेखों, जमाबंदी प्रणाली, ई-रोजनामचा व My Deed के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्णतः Digitalized कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन भुगतान में पारदर्शिता एवं समयबद्ध निपटान सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त, जमाबंदी एवं राजस्व सम्बन्धित पाठ्य अभिलेख को पेपरलेस कर शब्दावली को भी सरल किया गया है।

63. राज्य में ई-राजस्व न्यायालय प्रणाली लागू की जा चुकी है। जिसके अंतर्गत दायर 15 हज़ार से अधिक मामले पूर्णतः डिजिटल रूप से संसाधित किये जा रहे हैं। इससे राजस्व मामले दायर करने व अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

64. राजस्व न्यायालय के लंबित मामलों को कम करने के लिए तहसील स्तर पर हर महीने राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की पहली

राजस्व लोक अदालत 30 और 31 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2026 तक, इंतकाल के 4 लाख 45 हज़ार 424, तकसीम के 24 हज़ार 118, निशानदेही के 50 हज़ार 318 और दुरुस्ती के 13 हजार 882 मामलों का निपटारा किया गया।

65. मेरी सरकार ने हाल ही में विशेष राजस्व लोक अदालत (तक्सीम) के माध्यम से 31.03.2026 से पहले सभी जिलों में राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के सभी लंबित राजस्व मामलों को पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में तकसीम के लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को विशेष राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने का फैसला किया गया है।

66. राजस्व विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से पटवारियों के 645 पदों को भरा जा रहा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आवश्यक विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तक़सीम, इंतकाल, निशानदेही और दुरुस्ती जैसे राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक पुनः नियुक्ति नीति तैयार की गई है, जिसके तहत तहसीलदारों के लिए 70 हज़ार रुपये, नायब तहसीलदारों के लिए 60 हज़ार रुपये, कानूनगो के लिए 50 हज़ार रुपये और पटवारियों के लिए 40 हज़ार रुपये के मासिक भुगतान के साथ पुनः नियुक्त किय जा रहा है।

67. विगत तीन वर्षों के दौरान मानसून में आपदाओं के प्रकोप से प्रदेश बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा प्रदेश को लगभग 16 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है।

68. इस त्रासदी के कारण निजी सम्पत्तियों को बड़े पैमाने पर हुए नुक्सान को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रभावित व्यक्तियों को विशेष राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया, जिसे वर्ष 2025 में भी लागू किया गया। इस पैकेज के अंतर्गत पूर्णतः नष्ट हो चुके आवासों के लिए राहत राशि को 1 लाख 30 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों

के लिए सहायता राशि 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए सहायता राशि 6 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये निर्धारित की गई। घरेलू उपयोग की वस्तुओं की क्षति पर दी जाने वाली राहत राशि 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर मकान मालिक के लिए 1 लाख रुपये तथा किरायेदार के लिए 50 हजार रुपये की गई। इसके अतिरिक्त, पॉली हाउस की क्षति तथा घरों से मलबा/गाद हटाने के लिए पूर्व निर्धारित राहत मानदंडों में कोई प्रावधान नहीं था। अतः पॉली हाउस की क्षति के लिए 25 हजार रुपये तथा घरों से मलबा/गाद हटाने के लिए 50 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया।

69. वर्ष 2025-26 में लगभग 16 हज़ार 488 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। प्रदेश में 2 हज़ार 246 घर पूर्ण रूप से तथा 7 हजार 888 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण हेतु 141 करोड़ 61 लाख रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को जारी कर दी है।

70. ऐसे प्रभावित व्यक्तियों, जिनके मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा ऐसे मकान जो रहने योग्य नहीं थे, के लिए किराए पर मकान लेने हेतु शहरी क्षेत्र के लिए 88 परिवारों को 10 हज़ार रुपये प्रदान करने हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 हजार 817 परिवारों को 5 हज़ार रुपये मासिक किराया प्रदान करने के लिए सभी जिलाधीशों को 8 करोड़ 97 लाख 90 हज़ार रुपये जारी किये गए।

71. वर्ष 2023 में हुए नुक्सान के दृष्टिगत मेरी सरकार ने आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन करवाया तथा 9 हजार 42 करोड़ रुपये का आंकलन कर 25 नवम्बर, 2023 को भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने पुर्नप्राप्ति एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए दी

जाने वाली 1 हजार 504 करोड़ 80 लाख रूपये की केन्द्रीय हिस्से की राशि में से 1 हजार 53 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि वित्त वर्ष 2025-26 में जारी की गई तथा 451 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि प्राप्त होना अभी अपेक्षित है।

72. वर्ष 2025 में आई आपदा के पश्चात PDNA-2025 का आंकलन पूर्ण कर 10 हजार 230 करोड 92 लाख रूपये हेतु ज्ञापन दिनांक 08.12.2025 को भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई तथा मामले में गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

73. हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश में विद्यमान कुल विद्युत क्षमता में से 13 हजार 583 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन किया जा चुका है।

74. मेरी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति व ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन कर सरकारी व निजी क्षेत्र की 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी (निःशुल्क बिजली) की दरों का सरलीकरण कर 40 वर्षों के लिए एक समान 12 प्रतिशत कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2025 तक मुफ्त बिजली रॉयल्टी शेयर की बिक्री से लगभग 1 हजार 668 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, विद्युत शुल्क के रूप में भी 368 करोड़ 65 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

75. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के अंतर्गत ज़िला किन्नौर तथा चम्बा जिला के पांगी में 100 गैर विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 54 करोड़ रूपये की लागत से आवश्यक विद्युत अवसंरचना का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण कर लिया गया है।

76. मेरी सरकार द्वारा निःशुल्क विद्युत योजना के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 17 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के उपभोक्ताओं हेतु प्री-पेड मीटर की सुविधा आरम्भ कर दी गई है।

77. हिमाचल प्रदेश मार्च, 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु HPPCL को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। HPPCL द्वारा 52 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यक संचालन शुरू कर दिया है, जिसमें 5 मेगावाट की बैरा डोल, 32 मेगावाट की पेखुबेला, 5 मेगावाट की भनजल तथा 10 मेगावाट की अघलोर सौर ऊर्जा परियोजना शामिल हैं। तीन सौर ऊर्जा परियोजनाएँ, गोन्दपुर बुल्ला 12 मेगावाट, लमलेहरी ऊपरली 11 मेगावाट और बड़ा बसोट 8 मेगावाट निर्माणाधीन हैं, जिन्हें इस वर्ष के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 41 मेगावाट क्षमता वाली चार सौर ऊर्जा परियोजनाएँ शीघ्र ही आबंटित कर दी जाएंगी।

78. मेरी सरकार द्वारा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रीन पंचायत योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवॉट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना प्रस्तावित है। पहले चरण में 11 व दूसरे चरण में 24 साइट्स को स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले चरण के अन्तर्गत चार साइट्स नामतः ममलीग (ज़िला सोलन), पश्मी (शिलाई, जिला सिरमौर), पराली और धरेच (ज़िला शिमला) का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि बाकी पाँच साइट्स पर कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण के तहत, आठ और ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का कार्य 31 जुलाई, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 500 kWp कैपेसिटी के प्रत्येक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होगा जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) 25 साल के लिए 3.50 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर खरीदेगा।

79. मेरी सरकार राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान वित्त उद्देश्य से शराब की बोतलों पर लगाए गए दुग्ध उपकर व प्राकृतिक खेती उपकर से भी 107 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है।

80. मेरी सरकार ने गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद इस वित्तीय वर्ष में 3 प्रतिशत DA दिया, साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले pensioners को सारा बकाया Arrear भी दे दिया गया। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2021 के दौरान सेवानिवृत हुए हैं उनको पेंशन आदि के रिविज़न के कारण अर्जित gratuity arrear का अतिरिक्त 50 प्रतिशत तथा leave encashment का 70 प्रतिशत arrear भी दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी विभागों में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी कागजी प्रक्रिया का निपटारा मानव संपदा एप्लिकेशन द्वारा तेज़ी से किया जा रहा है।

81. राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की दैनिक मज़दूरी दरों में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

82. राशन कार्ड धारकों की ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर केवल पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई e-KYC सेवाओं के अन्तर्गत अब तक 97 प्रतिशत लाभार्थियों की e-KYC पूर्ण कर ली गई है। शेष लाभार्थियों का सत्यापन भी शीघ्र कर लिया जायेगा।

83. मेरी सरकार सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने व वर्ष 2030 तक राज्य के वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए CAMPA और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 5 हजार हेक्टेयर में वक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 4 हज़ार एक सौ हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष मार्च माह के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य है।

84. वन प्रबंधन और नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2 हज़ार 19 वन मित्रों को राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है।

85. आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश पूरे उत्तर भारत के लिए जल व स्वच्छ वायु प्रदान करता है। इसे उत्तर भारत के water bowl और lungs की उपमा भी दी गई है। इसी कड़ी में राज्य में वन और वृक्षारोपण संरक्षण में समुदायों की भागीदारी बढ़ाने हेतु राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1 हजार 267 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में इसके अन्त्रगत 900 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा शेष कार्य मार्च माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

86. प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति को समाप्त करने के उद्देश्य से जन-जागरूकता उत्पन्न करने एवं सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर एवं बिलासपुर में Anti-Chitta Walkathon आयोजित किए गए, जिससे चिट्टा-मुक्त हिमाचल के प्रति जन-संकल्प को बल मिला है।

87. मेरी सरकार द्वारा नशा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्तियों पर भी कठोर नीति अपनाई गई है। 1 हजार 214 व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनके पास अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि पर निर्मित सम्पत्तियां पाई गई हैं। इनमें से 950 सम्पत्तियों का सीमांकन पूर्ण कर 12 को ध्वस्त व 02 को सील कर दिया गया है। शेष पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2025 के दौरान 23 करोड़ 93 लाख रूपये की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां जब्त की गई है।

88. चिट्टे की तस्करी में संलिप्त पुलिस विभाग के 17 कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नशे व चिट्टे से संबंधी मामलों में 105 सरकारी व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर राज्य व पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई व बर्खास्तगी

की प्रक्रिया जारी है जोकि मेरी सरकार की संस्थागत शुचिता और जन-विश्वास बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

89. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से दुर्घटना संभावित स्थानों पर 108 इन्टेलिजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) इकाईयाँ व 12 जिलों में जिला कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 7 करोड रूपये के ट्रैफिक प्रबंधक उपकरण खरीदे गए हैं तथा गश्त, प्रवर्तन और निगरानी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए लगभग 19 करोड़ रूपये की लागत से 118 वाहन क्रय किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सड़क सुरक्षा सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार और सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

90. पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष 8 करोड़ 54 लाख रूपये मूल्य के विभिन्न उपकरण खरीदे गये, जिनमें संचार, साईबर सुरक्षा उपकरण, CCTV कैमरे, कंप्यूटरीकृत वाहन जिनमें 16 LMV, 02 कैदी वाहन व 02 एम्बुलैंस भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 12 करोड़ 36 लाख रूपये मूल्य के साईबर अपराध, आपदा एवं CCTNS उपकरणों की खरीद शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

91. वर्ष 2025 में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS)-112 पर कुल 9 लाख 60 हज़ार 864 कॉल प्राप्त हुई, जिनकी औसत प्रतिक्रिया अवधि 23 मिनट रही। सभी राज्यों में प्रतिक्रिया (Response) अवधि के प्रदर्शन के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ रहा जो आपातकालीन प्रतिक्रिया दक्षता में सुधार को दर्शाती है।

92. मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हज़ार 882 अग्नि दुर्घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2 हज़ार 207 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाया गया। राज्य में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उप-अग्निशमन केन्द्र भोरंज, जिला हमीरपुर को स्तरोन्नत किया गया तथा राजगढ़, जिला सिरमौर व कण्डाघाट, जिला सोलन में 02 नए उप-अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी

है। इसके अतिरिक्त, 08 नए अग्निशमन वाहन क्रय करने के लिए लगभग 3 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

93. यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश को BRAP-2024 के अंतर्गत भवन निर्माण परमिट, स्वास्थ्य एवं सेवा के क्षेत्र में Top Achiever का दर्जा प्राप्त हुआ है।

94. मेरी सरकार द्वारा हिमसेवा (e-District) पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पोर्टल पर 233 नई सेवाएँ जोड़ी गई हैं तथा दिसम्बर, 2025 तक लगभग 18 लाख Transactions किए जा चुके हैं।

95. मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प (MMSS) हेल्पलाइन (1100) हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मांगें व सुझाव सरकार तक प्रेषित कर सकते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस हेल्पलाइन के माध्यम से 1 लाख 42 हज़ार 494 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1 लाख 25 हज़ार 234 शिकायतों (88 प्रतिशत) का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 94 हजार 614 शिकायतें (66 प्रतिशत) नागरिकों की संतुष्टि के बाद बंद की गई हैं।

96. मेरी सरकार जन समस्याओं के शीघ्र निपटान व कुशल, स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। शिकायत निवारण तन्त्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने हेतु आम जनता की समस्याओं के ऑनलाइन अनुश्रवण एवं निपटान हेतु लगभग सभी विभागों में web आधारित सॉफ्टवेयर क्रियाशील कर दिया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या को ऑनलाइन दर्ज कर सम्बन्धित विभाग द्वारा उस पर की गई कार्रवाई का अवलोकन कर सकता है। केंन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAM) को भी राज्य पोर्टल ई-समाधान के साथ एकीकृत किया गया है।

97. मेरी सरकार द्वारा One State One Portal के अन्तर्गत पहले चरण में नागरिक सेवा पोर्टल फरवरी, 2025 में लांच किया गया था, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन सेवाएं आरम्भ की गयी, इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए माह जनवरी, 2026 में द्वितीय चरण में 09 अतिरिक्त ऑनलाइन सेवाओं का आरम्भ किया गया है। आम जन को नगरपालिका की समस्त सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 15 Municipal Shared Services Centers (MSSCs) स्थापित किये जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत पहली किश्त के रूप में 23 करोड़ 68 लाख रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।

98. मेरी सरकार द्वारा हिम परिवार पहल के अन्तर्गत Him Access सिंगल साईन-ऑन प्रणाली विकसित की गई है। यह नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए एक साझा डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है। अब तक 7 लाख 20 हजार से अधिक नागरिक HimAccess पर पंजीकरण कर सरकारी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही BPL के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ दिये जाएं, तीन चरणों में BPL परिवारों को चिन्हित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जो कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हिम परिवार पहल के अन्तर्गत पंजीकरण करने के बाद से लगभग 35 हज़ार nonexistent व्यक्तियों की पहचान कर उनके नाम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से हटा दिये गए हैं।

99. मेरी सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से, जल रक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 5 हज़ार 600 रुपये, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर का मानदेय 6 हज़ार 600 रुपये और मल्टीपर्पस कर्मचारियों का 5 हज़ार 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति विभाग में 2 हज़ार 418 पैरा कर्मियों की नियुक्ति की गई है।

100. मेरी सरकार द्वारा अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) योजना के अन्तर्गत 17 शहरों की मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं का उन्नयन किया जा रहा है। 11 नगरों नामतः राजगढ़, सुन्नी, रामपुर, डलहौज़ी, अम्ब, भुन्तर, नाहन, बैजनाथ, अर्की, निरमण्ड तथा पालमपुर में

24X7 (चौबीस घंटे) जल आपूर्ति हेतु योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड RIDF Tranche-31 के अन्तर्गत लगभग 83 करोड़ रूपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

101. राज्य में नई सीवरेज योजनाओं के अंतर्गत 9 नगरों में कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 नगरों नामतः भोटा, संतोखगढ़, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, नेरचौक, बंजार में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड ट्रेंच 30 के अन्तर्गत जिला किन्नौर के सुन्नम व जिला शिमला के मशोबरा 1 व 2 के लिए सीवरेज़ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

102. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हरित क्षेत्र में स्वरोज़गार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत 56 पात्र आवेदकों को ई-टैक्सी खरीद कर सरकारी विभागों अथवा संस्थानों में लगाने हेतू लगभग 4 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6 विदेशी प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर कुल 156 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

103. मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि कर, उन्हें लगभग 18 करोड़ 85 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत घरों, पंचायत समिति कार्यालयों व जिला परिषद् भवनों के निर्माण, उन्नयन व मरम्मत हेतु लगभग 30 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

104. मेरी सरकार द्वारा दिनांक 01 मई, 2025 से पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं व पंचायत चौकीदारों के मासिक पारिश्रमिक में 500 रूपये की बढ़ौतरी कर इसे क्रमशः 9 हजार 500 व 8 हज़ार 200 रूपये प्रतिमाह किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर से संबंधित सभी कार्यों के ऑनलाइन प्रबंधन हेतु जनहित में ई-परिवार सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

105. प्रदेश में अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में सभी गैर-जनजातीय जिलों को 19 करोड़ 80 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है।

106. मेरी सरकार द्वारा माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की दृष्टि से चलाई जा रही विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत गैर-जनजातीय जिलों को लगभग 72 करोड़ व जनजातीय जिलों को लगभग 6 करोड़ रूपये जारी किये गए।

107. सड़कों का निर्माण, गुणवत्ता एवं उचित रख-रखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क के माध्यम से ही अधिकतर सरकारी एवं अन्य सुविधाएँ आम जनता तक पहुंचती हैं। प्रदेश में वर्तमान में 41 हजार 755 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 8 गावों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 132 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण, 391 किलोमीटर सड़कों की मैटलिंग व टारिंग, 11 पुलों का निर्माण, 570 किलोमीटर सड़कों में जल निकास निर्माण व 980 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है।

108. मेरी सरकार द्वारा MoRTH के साथ सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सर्वोच्च वार्षिक योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 3 हजार 667 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 19 प्रोजेक्ट शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड

योजनाओं के अन्तर्गत 88 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों तथा 240 किलोमीटर पक्की सड़कों का लक्ष्य हासिल किया गया है।

109. ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मनरेगा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 945 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। इस वर्ष, अब तक 4 लाख 82 हजार 103 परिवारों ने 1 करोड़ 76 लाख 39 हज़ार कार्य दिवस अर्जित किए हैं। इनमें से 63 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किये गए हैं। मनरेगा के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1 लाख 6 हज़ार 136 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मज़दूरी का अन्तर वहन करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 157 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है।

110. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 4 हज़ार 529 व्यक्तिगत व 373 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस मिशन के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 29 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

111. मेरी सरकार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बेघर लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दृढ़संकल्प है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आपदा प्रभावित लाभार्थियों के लिए 10 हज़ार 180 घरों का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है तथा पिछले वर्ष के 26 हज़ार 306 घरों के निर्माण के लिए लगभग 188 करोड़ रुपये व्यय किए गए। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत 6 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के पात्र व्यक्तियों को 399 नये मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अन्तर्गत 26 पात्र विधवाओं और एकल महिलाओं को 78 लाख रूपये आवास सब्सिडी प्रदान की गई है।

112. मेरी सरकार द्वारा गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 500 स्वयं सहायता समूहों, 90 ग्राम संगठनों एवं 20 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। 2 हजार 969 स्वयं सहायता समूहों को लगभग 4 करोड़ रूपये परिक्रमा राशि तथा लगभग 12 करोड़ रूपये सामुदायिक निवेश राशि के रूप में प्रदान किये गए हैं।

113. इस प्रदेश का इतिहास पराक्रम, शौर्य और बलिदान से ओत-प्रोत रहा है। इसे देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा 412 भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक रोज़गार Cell के माध्यम से 15 प्रतिशत आरक्षण के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की मांगानुसार मनोनीत किया गया है।

114. पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 हजार 263 लाभार्थियों को लगभग 17 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारतीय सेना की भर्तियां आयोजित करने हेतु 2 करोड़ 28 लाख व जिला मण्डी के बछर्वाड में निर्माणाधीन मेजर सोमनाथ ट्रेनिंग अकादमी हेतु 10 करोड़ 26 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है।

115. पर्यटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्थानीय उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, होम स्टे ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत डायमण्ड और गोल्ड श्रेणी के लिए 2 करोड़ व सिल्वर श्रेणी के होम स्टे के लिए 1 करोड़ रूपये तक की मूल कर्ज़ राशि कवर की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है।

116. माँ चिन्तपूर्णी मन्दिर अम्ब, ज़िला ऊना की विकास परियोजना के लिए 56 करोड़ 26 लाख रूपये की राशि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ 63 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही, चुनौती आधारित गंतव्य विकास उप-योजना के अन्तर्गत वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में रकछम, छित्तकुल के लिए लगभग 50 लाख रुपये व संस्कृति एवं विरासत कार्यक्रम श्रेणी के अन्तर्गत काज़ा में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

117. कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 147-75-87 हेक्टेयर भूमि की पहचान कर 3 हजार 349 करोड़ रुपये के पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्लान के तहत ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। अब तक, लगभग 936 करोड़ 25 लाख रुपये लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। संशोधित Techno - Economic Feasibility Report में CAPEX का अनुमान 6 हज़ार 311 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए Airport Authority of India को प्रेषित किया जा रहा है।

118. मेरी सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय इलाकों में हेलीपोर्ट बनाकर एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बद्दी, रामपुर, संजौली और कांगनीधार हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि Defence Geoinformatics Research Establishment (SASE) हेलीपोर्ट के लिए, डिफेंस अथॉरिटी के साथ अस्थायी ढांचा बनाने और DGRE हेलीपैड से हेली-टैक्सी संचालन शुरू करने के लिए MoU किए गए हैं। उड़ान योजना के अन्तर्गत चण्डीगढ़ से शिमला, शिमला से रामपुर, रामपुर से रिकांगपिओ, शिमला से कुल्लू के लिए सस्ती हेलीकॉप्टर सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

119. RCS UDAN फेज-II के अन्तर्गत चार हेलीपोर्ट रक्कड़ और पालमपुर, जिला कांगड़ा, सुल्तानपुर, जिला चम्बा और शारबो ज़िला किन्नौर को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए प्रति हेलपोर्ट 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनहित में ज़िला लाहौल-स्पीति के रंगरिक और फुंक्यार, जिला चम्बा के होली और पांगी, जिला सोलन के बसाल, जिला सिरमौर के धारकियारी, जिला ऊना के रोरा और साथ ही जिला बिलासपुर में भी हेलीपोर्ट विकसित किये जा रहे हैं।

120. मेरी सरकार द्वारा नगर एवं ग्राम में सुनियोजित और विनियमित विकास सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं। शिमला योजना क्षेत्र में हरित-आवरण की सुरक्षा निश्चित करने हेतु श्री तारा माता हिल को हरित क्षेत्र अधिसूचित किया गया है जिससे मौजूदा 25 हरित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 विकास योजनाएं भोटा व धौलाकुआं-माजरा क्षेत्र, और 2 विशेष क्षेत्र विकास योजनाएं, सराहन व चिन्तपूर्णी विशेष क्षेत्र के लिए अधिसूचित की गई हैं।

121. राज्य में पार्किंग की कमी दूर करने के लिए प्रति वर्ग मीटर एक हज़ार पांच सौ रुपये की शुल्क दर से बंद बेसमेंट को खोलने, तथा बहु-स्तरीय पार्किंग की ऊँचाई 21 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है।

122. नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 को लागू करने से जुड़ी आम जनता की बहुत सारी शिकायतें या तो अनसुलझी रह जाती हैं या उनमें काफी देरी हो जाती है। इस स्थिति की वजह से अक्सर बड़े पैमाने पर असंतोष, विभाग के प्रति लोगों में विश्वास की कमी और कुछ मामलों में प्लानिंग नियमों का खुला विरोध होता है। इसकी असली वजह स्थानीय स्तर पर एक मज़बूत और आसान शिकायत निवारण सिस्टम की कमी और अपील के तरीकों की कमी को माना गया है। इसलिए जनता के विश्वास को वापस लाने, नियमों का पूरी तरह से पालन करने और एक भागीदारी गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए साफ तौर पर तय जिम्मेदारियों, टाइमलाइन और जवाबदेही वाले सिस्टम के साथ मेरी सरकार द्वारा

एक मल्टी-टियर शिकायत निवारण सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम की गाइडलाइन दिनांक 09-02-2026 को जारी कर दी गई है।

123. मेरी सरकार द्वारा जनवरी, 2026 में राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना (शहरी) आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कर्ज में डूबे हुए लघु दुकानदार, जिनके ऋण की बकाया राशि एक लाख रुपए तक है व बैंकों द्वारा Non-Performing Asset घोषित किये जा चुके हैं, को एक लाख रुपए तक की एक मुश्त भुगतान (One Time Settlement) सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना के अन्तर्गत डिजिटल डोर प्लेट के माध्यम से प्रत्येक परिवार के घर को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी जिससे सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप में नागरिकों तक पहुँच सकेगा।

124. मेरी सरकार द्वारा स्थानीय जनता को परिवहन संबंधी सेवाओं में सुलभता लाने व बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु राजीव गाँधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना (Stage-III) के अंतर्गत बसों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत व (Stage-IV) के अंतर्गत डीजल पेट्रोल टैक्सी को ई-टैक्सी में बदलने हेतु 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ चिन्हित आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य में अधिसूचित छह ग्रीन कॉरिडोरों में कुल 30 स्थानों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

125. मेरी सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से वाहन श्रेणियों में परमिट जारी कर 46 हज़ार 795 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 66 नए स्टेज कैरिज रूट आबंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बस सेवाओं का विस्तार हुआ है।

126. वर्तमान में हरोली व भावानगर बस अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन हेतु क्रियाशील कर दिया गया है जबकि थुनाग, बैजनाथ, भोरंज, हमीरपुर व दाड़लाघाट बस अडड़ों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

127. राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 65 करोड़ रूपये की लागत से बाबा बालक नाथ रोपवे परियोजना निर्मित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 76 करोड़ 50 लाख रूपये लागत की माता चिन्तपूर्णी रोपवे परियोजना व 80 करोड़ रूपये लागत की कुल्लू (ढालपुर)-पीज रोपवे परियोजना भी प्रक्रियाधीन है।

128. मेरी सरकार राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 1 हजार 540 करोड़ रूपये लागत की 30.28 किलोमीटर लम्बी चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन व लगभग 13 हजार 447 करोड़ रूपये लागत की भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी रेल लाईन का कार्य बिलासपुर तक प्रगति पर है। इनका निमार्ण कार्य 31 दिसम्बर, 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

129. हमारी सरकार ने भानुपल्ली-बिलासपुर बेरी रेल लाईन के लिए 847 करोड़ 53 लाख रूपये दिए हैं ताकि बिलासपुर तक इस रेलवे लाईन का कार्य पूर्ण हो सके। इससे आगे रेल लाईन बिछाने हेतु भारत सरकार व सम्बन्धित उद्यमियों से सम्पर्क किया जा रहा है। इसी प्रकार चण्डीगढ़ बद्दी रेलवे लाईन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 348 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। केन्द्र सरकार से यह प्रार्थना है कि पिछले 10 वर्षों में कोई महत्वपूर्ण infrastructure project प्रदेश को नहीं दिया गया है अतः भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेलमार्ग को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करके इसे केन्द्रीय निधि से ही वित्त पोषित किया जाना उचित होगा क्योंकि प्रदेश स्तर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

130. मेरी सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं में उच्च नैतिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता का विकास कर समाज कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 43 करोड़

34 लाख रूपये की लागत से बहुउद्देश्यीय खेल परिसर, नादौन, खेल परिसर, घुमारवीं स्टेडियम व इंडोर स्टेडियम, कल्पा; इंडोर स्टेडियम, कृष्णगढ़, सोलन तथा चम्बी ग्राउंड, शाहपुर, कांगड़ा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 4 करोड़ 85 लाख रूपये की धनराशि खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत व्यय की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 21 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोज़गार प्रदान किया गया है।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष मेरी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। मैं, पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास एवं खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मैं, यह भी आशा करता हूँ कि आप सभी इस माननीय सदन की उच्च परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

माननीय सदस्यगण, मैं, आप सभी के सुखी और सफल जीवन की कामना करता हूँ। मेरी सरकार की गतिविधियां आपके समक्ष रखने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने पर भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

जय हिन्द, जय हिमाचल ।

**(राष्ट्रीय गान गाया गया।)**

**अध्यक्ष :** अब इस माननीय सदन की बैठक अपराह्न 02.45 बजे तक स्थगित की जाती है। We will reassemble at 2.45 PM.

**16.02.2026/1445/डी0टी0/डी0सी0 -1**

**सदन** की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः 2:45 बजे अपराह्न प्रारम्भ हुई।

## शोकोद्गार

**अध्यक्ष :** हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदन के नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी, नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जय राम जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, मंत्री मंडल के सभी माननीय सदस्यगण व सभी माननीय सदस्यों का सत्र में एकत्रित होने पर हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अब सदन की कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मान्य सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री भगत राम चौहान जी का जन्म 5 जनवरी, 2026 को हुआ और 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यह मान्य सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी का जन्म 18 मई, 1938 को जिला शिमला के गांव खनावग, डाकघर खटनोल, तहसील सुन्नी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एल0एल0बी0 की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने अधिवक्ता के रूप में लोगों की सेवा की। वे वर्ष 1990 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए तथा अपने क्षेत्र के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में विशेष रुचि थी। यह मान्य सदन स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह मान्य सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

**अध्यक्ष :** अब शोाकोद्गार में भाग लेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्गार इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी का जन्म 18 मई, 1938 को हुआ था और 87 वर्ष की आयु में उनकी दुःखद मृत्यु हो गई। वे पेशे से वकील थे

और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए कठिन परिस्थितियों के दौर में उन्होंने अपना जीवन बसर किया। वे जमीनी हकीकत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनकी सोच हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के लिए, गांव में किसानों की मदद करने के लिए रही और खासतौर से बागवानों और किसानो की हितों की पैरवी वे बहुत जोरदार ढंग से करते थे। वे भारतीय जनता पार्टी में

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**16.02.2026/1450/डी.सी.-एन.जी./1**

**श्री जय राम ठाकुर..... जारी**

अलग-अलग दायित्वों में रहे। वे प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष व जनरल सैक्रेटरी के पद पर भी रहे। उन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी की मजबूती के लिए बहुत ही सक्रियता से काम किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधान सभा के अंदर अपनी बात को बहुत प्रभावी ढ़ंग से रखने का उनका एक अपना तरीका था। वे वकील होने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी रूची रखते थे। वे अपनी बातों को अध्ययन करने के बाद कहते थे। स्वभाविक रूप से उनके दुःखद निधन से जहां परिवारजनों को बहुत बड़ी क्षति हुई है, वहीं प्रदेश को भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल, पार्टी व सभी साथियों की ओर से उनके दुःखद निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव में हमारी संवेदनाओं को भी शामिल किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यह सदन व हिमाचल प्रदेश सदैव उनके किए हुए कार्यों को याद करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अब माननीय शिक्षा मंत्री शोकोद्गार में भाग लेंगे।

**शिक्षा मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में शोकोद्गार प्रस्ताव लाया है और मैं भी इस प्रस्ताव में अपने आप को शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी का संबंध हमारे जिला शिमला की तहसील सुन्नी से था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जैसा कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी एक वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। विशेषकर यदि हम जिला शिमला की बात करें तो वे उस वक्त यानि के वर्ष 1970 व वर्ष 1980 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जब कांग्रेस पार्टी का एक तरह का वर्चस्व या दबदबा हुआ करता था। उस वक्त उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वे पार्टी के कोषाध्यक्ष व कार्यकारीणी के सदस्य भी रहे। वर्ष 1990 के चुनावों में हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री जे0बी0एल0 खाची जी के साथ उनका मुकाबला हुआ और उन्होंने जीत दर्ज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। अपने विधान सभा क्षेत्र को हर दृष्टि से आगे ले जाने में हमेशा उनका प्रयास रहता था। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ठाकुर राम लाल जी के साथ भी उनके संबंध रहे हैं जिस कारण काफी मर्तबा मेरा भी उनसे मिलना-जुलना हुआ करता था। वे बहुत ही सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति थे। उनका संबंध ग्रामीण परिवेश से था। उनके जाने की क्षति कुमारसैन विधान सभा क्षेत्र या जिला शिमला में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने एक अच्छा राजनेता खोया है।

मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिजनों को जो बहुत बड़ी क्षति हुई है, उससे बाहर आने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।

**16.02.2026/1450/डी.सी.-एन.जी./3**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा शोकोद्गार में भाग लेंगे।

**श्री बलबीर सिंह वर्मा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इस माननीय सदन में जो शोकोद्गार प्रस्ताव लाया है, मैं भी इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी एक समाजसेवी व्यक्ति थे।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**16.12.2026/1455/एच.के. /ए.पी/01**

**शोकोद्गार जारी.....**

**श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी ....**

उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को कानूनी सलाह दी। साथ ही राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की और उस क्षेत्र से राजनीति में जुड़े जहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। वहां से कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता चुनाव लड़ते थे। हमारे खाची साहब भी उनका बहुत सम्मान करते थे और सभाओं में उनकी चर्चा होती थी कि भगत राम जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीति में उन्होंने कभी भी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते थे। उनका देहांत दिनांक 5 जनवरी, 2026 को उनके पैतृक गांव में हुआ। वर्ष 1990 में विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के बागवानों और किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी। अपने विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उनका बड़ा योगदान रहा। वे पार्टी में कोषाध्यक्ष और महामंत्री भी रहे। उन्होंने बागवानों के हितों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। धन्यवाद।

**16.12.2026/1455/एच.के. /ए.पी/02**

**अध्यक्ष :** अब माननीय श्री लोक निर्माण मंत्री जी अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

**लोक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वर्गीय भगत राम चौहान जी के निधन पर इस सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं भी समर्थन करता हूं और अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, स्वर्गीय भगत राम जी का मूल क्षेत्र जिला शिमला की सुन्नी तहसील के खटनोल पंचायत से था जो हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुझे अपने जीवन में केवल एक बार उनसे मिलने का अवसर मिला। जब मैं वर्ष 2017 में पहली बार विधान सभा चुनाव लड़ रहा था। हमारी विचारधाराएं अलग-अलग होने के बावजूद भी मैं उनके घर आशीर्वाद लेने गया था उस समय मुझे उनसे एक बार मिलने का अवसर मिला। वर्ष 1990 में उन्होंने कुमारसेन विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया उन्होंने बी0ए0 और एल0एल0बी0 की पढ़ाई की थी और वर्ष 1981 से 1988 तक भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। हम उस सज्जन पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारजन और क्षेत्र के लोगों को इस सदन के माध्यम से जो शोक प्रस्ताव जाएगा उसमें हमारा भी जिक्र होगा ताकि उन्हें यह अनुभव हो कि इस कठिन समय में हम सब, पूरा प्रदेश और सभी माननीय सदस्य उनके साथ खड़े हैं। यही में कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

**16.12.2026/1455/एच.के. /ए.पी/03**

**अध्यक्ष :** माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी।

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। स्वर्गीय भगत राम चौहान जी ने कुमारसेन विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2012 के बाद सुन्नी क्षेत्र, जो पहले कुमारसेन-सुन्नी चुनाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, अब शिमला ग्रामीण में सम्मिलित है। उसी समय ठियोग क्षेत्र भी कुमारसेन में जोड़ा गया। मैं भगत राम जी को उस

समय से जानता हूं, जब मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था। मेरे बड़े भाई के साथ उनके अच्छे संबंध थे। यद्यपि हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा था

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

16.02.2026/1500 /AT/HK/01

**श्री कुलदीप राठौर जारी...**

लेकिन जब भी वह दौरे पर आते थे तो हमारे गांव और हमारे घर अवश्य आते थे। ऐसा सरल और ऐसा ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आज की तारीख में बहुत कम नजर आता है। 'He was available for common man'. वह बिल्कुल ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे। काफी साल वह वकालत में रहे और चुनाव हारने के बाद भी वह लगातार वकालत करते रहे। जब वह हाई कोर्ट आते थे इस नाते भी उनसे मेरा मिलना होता रहता था। उनके सुपुत्र आज एक अच्छे वकील के रूप में कार्य कर रहे है। मैं इस दु:ख की घड़ी में अपने आप को उस परिवार के साथ शामिल करता हूं जिसे यह नुकसान हुआ है और परम परमेश्वर से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।

**16.02.2026/1500 /AT/HK/02**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** आज स्वर्गीय भगत राम चौहान जी के निधन पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं। भगत राम चौहान जी का मूल स्थान ग्राम खटनोल, तहसील सुन्नी था परंतु वह ग्राम पंचायत मुल्क कोटी में आकर बस गए थे। वह बहुत सरल स्वभाव के, ईमानदार और सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। Till his last breath, वह सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। पूरे क्षेत्र में उन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की। Till his death, वह अपने बच्चों के साथ खेती-बाड़ी और बागवानी का कार्य पूर्ण रूप से निभाते रहे। उनका निधन लगभग 87 वर्ष की आयु में हुआ। मैं भी इस शोक प्रस्ताव में अपने आपको सम्मिलित करता हूं और भगवान उनके पूरे

परिवार को यह दुःख सहने की क्षमता प्रदान करे, यही कामना करता हूं। धन्यवाद।

**16.02.2026/1500 /AT/HK/03**

**अध्यक्ष :** सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी ने जो शोकोद्गार प्रस्ताव इस सदन में दिवंगत स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान, पूर्व सदस्य, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाया है मैं भी अपने आप को उसमें सम्मिलित करता हूं। स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी का जन्म 18 मार्च, 1938 को स्वर्गीय श्री ख्याली राम जी के घर, गांव कखनालवक, डाकघर खटनोल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला में हुआ था। श्री भगत राम चौहान जी ने वर्ष 1981 से 1988 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष तथा वर्ष 1988 में प्रदेश महासचिव के पद पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1990 में वह पहली बार विधायक चुने गए। उनकी विशेष रुचि सामाजिक कार्य, बेरोजगारी और ग्रामीण निर्धनता को दूर करना तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा उभारने के लिए विशेष तौर पर कार्य करते थे। वह सदा निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक रहे। 87 वर्ष की आयु में, दिनांक 5 जनवरी 2026 को उनका निधन हुआ। मैं स्वर्गीय श्री भगत राम चौहान जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय सदन की ओर से भी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं और सदन की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(दिवंगत आत्मा को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने हेतु सदन में उपस्थित सभी कुछ क्षण के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए। )

अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्य सूची से अवगत करवाएंगे।

एम0डी0द्वारा जारी.....

16-02-2026/1505/YK/MD/1

## साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मन्त्री साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची प्रस्तुत करेंगे।

**मुख्य मन्त्री :** वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची निम्न प्रकार से है :-

फरवरी, 16 : 02:00 अपराह्न (अपराह्न)
सोमवार माघ, 27 (1) राज्यपाल महोदय का अभिभाषण
(2) शोकोद्गार, यदि कोई हो;
(3) शासकीय/विधायी कार्य।

फरवरी, 17 : शासकीय/विधायी कार्य।
मंगलवार माघ, 28

फरवरी, 18 : शासकीय/विधायी कार्य।
बुधवार माघ, 29

16-02-2026/1505/YK/MD/2

**अध्यक्ष :** अब सचिव, विधान सभा स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। जिन पर महामहिम राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

**सचिव :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उन स्वीकृत विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन पर महामहिम राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक और

2) कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2026 का अधिनियम संख्यांक 2)।

**16-02-2026/1505/YK/MD/3**

## सरकारी विधेयकों पर पुनर्विचार

**अध्यक्ष :** अब माननीय लोक निर्माण मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर राज्यपाल महोदय ने संदेश के साथ लौटाया है, मैं हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-162 सब रूल 1 के तहत राज्यपाल महोदय का संदेश जो इस प्रकार से है, सभा के समक्ष रखता हूं :-

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को दिनांक 4-12-2025 को विधान सभा में पारित कर मेरी स्वीकृति के लिए भेजा है। इस संशोधन विधेयक में अब नगर निगम के महापौर और उप-महापौर के पदावधि निर्वाचन की तिथि से अढ़ाई वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की गई है। जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उस समय महापौर और उप-महापौर का कार्यकाल अढ़ाई वर्ष था। निर्वाचित पार्षद गण आश्वस्त थे कि मौजूदा रोस्टर के अनुसार अढ़ाई वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद महापौर, उप-महापौर पद किसी अन्य वर्ग पार्षद को जाना था। परंतु संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने पर लागू

किए जाने वाला रोस्टर भी प्रभावित होगा जोकि वैधानिक तौर पर न्यायसंगत नहीं है। अब नियम-162 के सबरूल-2 के अंतर्गत माननीय लोक निर्माण मंत्री विधेयक को सभा पटल पर रखेंगे तथा पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**लोक निर्माण मन्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को सभा पटल पर रखता हूं तथा पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष :** इसमें चर्चा में भाग ले सकते हैं और उसके बाद माननीय लोक निर्माण मंत्री इसका उत्तर देंगे। कोई भी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता?

अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को सभा द्वारा मूल रूप से पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए।

## प्रस्ताव स्वीकार

**हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) मूल रूप से बिना किसी संशोधन के पुनः ध्वनिमत से पारित हुआ।**

**16-02-2026/1505/YK/MD/4**

**अध्यक्ष :** अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 2025 को पारित भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर माननीय राज्यपाल के संदेश के साथ लौटाया है, मैं हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं

कार्य संचालन नियमावली के नियम-162 सब रूल 1 के तहत राज्यपाल महोदय का संदेश जो इस प्रकार से है, सभा के समक्ष रखता हूं।

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**16.02.2026/1510/केएस/वाईके/1**

**अध्यक्ष जारी**---

भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 को 3 दिसम्बर, 2025 को विधान सभा में पारित कर मेरी स्वीकृति हेतु भेजा है। उक्त विधेयक समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत आता है। अधिनियम की धारा 22 और 23 में प्रस्तावित संशोधनों की जांच की विधेयक की धारा-22 में प्रस्तावित संशोधन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उनके नामांकित व्यक्ति को मौजूदा प्रावधान से हटाने का प्रस्ताव है और उनकी जगह मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा किसी अन्य सचिव को चयन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है। जहां मुख्य सचिव स्वयं आवेदक होंगे वहां उनका सबोर्डिनेट अधिकारी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इस प्रस्तावित संशोधन में यह विधेयक केंद्रीय विधेयक के प्रावधानों के विपरीत होगा। यह संवैधानिक सिद्धांत है कि यदि किसी केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के किसी प्रावधान के बीच एक ही विषय पर कोई टकराव होता है तो केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे इसलिए प्रस्तावित संशोधन से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता सुनिश्चित करने, हितों के सम्भावित टकराव से बचने और अधिक योग्यता आधारित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह उद्देश्य पहले ही मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकित व्यक्ति को मूल विधेयक की धारा 22 के चयन समिति की संरचना में

शामिल होने से हासिल हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तावित संशोधन के लिए बताए गए उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रावधान उपयुक्त है! अतः प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना तर्कसंगत व न्याय संगत नहीं है।

अब नियम-162 उपनियम-2 के अंतर्गत माननीय नगर एवं योजना मंत्री विधेयक को सभा पटल पर रखेंगे तथा पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

**16.02.2026/1510/केएस/वाईके/2**

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को सभा पटल पर रखता हूं तथा पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर पुनर्विचार किया जाए।

इस पर कोई भी माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते।

अतः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को सभा द्वारा मूल रूप से पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए।

## प्रस्ताव स्वीकार

भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) मूल रूप से बिना किसी संशोधन के पुनः पारित हुआ।

**16.02.2026/1510/केएस/वाईके/3**

## व्यवस्था का प्रश्न

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति इस प्रदेश और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के सामने है। हम इस बात से सहमत है कि अभी का यह सत्र बजट सत्र के रूप में है जो हम हर बार आयोजित करते हैं। अब की बार हम इस आयोजन में यहां पर बैठे हैं लेकिन सदन शुरू हो गया है और अभी तक हमें यह मालूम नहीं हो पा रहा है कि यह बजट सत्र है भी या नहीं। आम तौर पर जब सत्र शुरू होता है तो 15 दिन का नोटिस सभी माननीय सदस्यों को जाता है जिसमें जो प्रश्न रेज़ करने होते हैं, नोटिसिज़ देने होते हैं, उसकी एक व्यवस्था रहती है। अबकी बार 7 फरवरी को नोटिफिकेशन हुई। पहले खबर यह आ रही थी, मीडिया के माध्यम से, मीडिया वालों ने कहीं से खोज कर निकाली होगी कि विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। फिर बाद में खबर आई कि यह विशेष सत्र नहीं है। राज्यपाल महोदय के समक्ष जो प्रस्ताव सरकार की ओर से गया था, उसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकृत नहीं किया। शायद उसके पीछे कारण यह रहा होगा कि क्योंकि जब बजट सत्र का शैड्यूल शुरू होने वाला है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**16.02.2026/1515/av/ag/1**

**श्री जय राम ठाकुर------ जारी**

तो विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है, आप बजट सत्र कीजिए। उसके बाद सत्र की नोटिफिकेशन हुई जोकि आपने हमें भेजी है और 16, 17 व 18 फरवरी तक की कार्यसूची के अनुसार हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। सभी सदस्य इस दुविधा में हैं कि हम प्रश्न दें या न दें, या फिर अगर देंगे भी तो वे लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। हम आज भी विधान सभा सचिवालय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सत्र 16, 17 व 18 फरवरी तक ही है या इससे आगे भी है, या फिर 16, 17 व 18 फरवरी के बाद यह अनिश्चित काल के लिए

स्थगित होगा या कुछ दिनों के लिए स्थगित होगा; इस बारे में भी कोई क्लेरिटी नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि यही बजट सत्र है तो उस बारे में तो आपका पूरा शैड्यूल आता है कि इस तारीख को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। उसके बाद इतने दिन उस अभिभाषण पर चर्चा होगी और फ्लां तारीख को उसका जवाब आएगा। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, फिर उसके ऊपर इतने दिन चर्चा होगी, फिर फ्लां तारीख को गिलोटिन अप्लाई होगा। उसके बाद बजट पास होगा तथा उसके पश्चात सारे विधायी कार्य जो होते हैं; उस व्यवस्था के अनुरूप सत्र चलेगा। परंतु इस बार कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। हम यहां उपस्थित तो हैं लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि यह बजट सत्र है या नहीं; इस बारे में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है।

मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में सरकार की सारी व्यवस्थाएं तार-तार हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपके मार्गदर्शन में संचालित होगा। यह सदन नियमों तथा परम्पराओं के अनुसार चलता है। यहां पर आज जो सत्र बुलाया गया है, इसमें सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल महोदय ने आपका अभिभाषण केवल दो मिनट्स में पढ़कर समाप्त कर दिया। मैं अभी उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उस बारे में अलग से बात होगी। राज्यपाल महोदय ने जो टिप्पणी की है, वह अपने-आपमें आपकी सरकार के लिए बहुत गम्भीर है कि आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किस प्रकार से तैयार किया है और हम उसको आगे पढ़ेंगे।

**16.02.2026/1515/av/ag/2**

अध्यक्ष महोदय, सरकार के हालात के संदर्भ में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सदन के हालात तो आप कम-से-कम वैसे नहीं होने दीजिए। अगर राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है तो परम्परा व नियम के अनुसार उनके अभिभाषण के बाद सदन स्थगित होता है। फिर दूसरे दिन से सदन शुरू होता है जिसमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है। उसके बाद जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक दूसरे

बिजनैस के लिए ट्रांजैक्शन नहीं होता। परंतु आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हाउस को रीअसेम्बल किया। हम यहां पर आपके आदेश के मुताबिक उपस्थित हैं। उसके पश्चात शोकोद्गार हुए और उसके बाद राज्यपाल महोदय ने जिन दोनों बिलों पर गम्भीर टिप्पणियां की हैं, उसके बावजूद आपने उनको पारित किया। हम उनके बारे में पहले ही अपनी बात कर चुके हैं इसलिए अब मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, परंतु आज मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में कम-से-कम सदन की व्यवस्थाओं को तार-तार मत होने दीजिए और मेहरबानी करके आप इसको बचाए रखें। अगर यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शुरू हुआ है तो कल से यहां पर उनके अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। हम उस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। यहां पर जो एक प्रस्ताव लाया गया है उसको आज लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होने के पश्चात लाइए। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे तथा उसके बाद हम उस पर यथासम्भव विचार करेंगे। लेकिन आज सदन की बैठक इसके बाद हर हालत में स्थगित होनी चाहिए तथा आगे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

**टी सी द्वारा जारी**

**16.02.2026/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**श्री जय राम ठाकुर.... जारी**

मुख्य मंत्री जी, आपने एक बहुत पैनिक वातावरण खड़ा कर दिया है और यह जिद, हर बात पर जिद, बेवजह जिद, यह कभी ले-डूबती है। आपको अनावश्यक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चर्चा के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप नियम 102 के तहत प्रस्ताव लाएं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं लेकिन इस पर अभी क्यों चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले इस सदन के अंदर वर्षों से एक व्यवस्था रही है और जो व्यवस्था स्थापित है, उस व्यवस्था के अनुसार हमें सदन के नियमों का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और जो परंपराएं हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं

आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आज की कार्यवाही जितनी हो गई, वह हो गई। इसके पश्चात ये जो प्रस्ताव आगे लाने जा रहे हैं, उसको आप डेफर करें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम कल चर्चा के लिए तैयार हैं। हम पर कल चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनावश्यक रूप से जिस तरह से आप सरकार को एकतरफा दबाव में, प्रभाव में चला रहे हैं, उस तरह से विधान सभा को न चलाएं। ये नियम सदन के संचालन के लिए तय हैं। हम नहीं थे तब भी थे, जब हम हैं तब भी हैं और जब हम नहीं होंगे तब भी रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से कार्य नहीं होना चाहिए। आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। यदि केंद्रीय बजट पास होना होता, कल ही पास होना होता, तब भी हमें समझ में आता कि आप केंद्र के सामने प्रस्ताव लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। अभी तो केंद्र का हाउस एडजोर्न हुआ पड़ा है। दिनांक 4 मार्च, 2026 तक हाउस एडजर्न हुआ है, तब तक नियमित रूप से चर्चा करने के बाद प्रस्ताव भेजिए। लेकिन आप जल्दबाजी में यह सारी चीजें अभी, इसी वक्त, आज ही करना चाहते हैं, यह मुझे उचित नहीं लगता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूरे विधायक दल का यही मत है। इसके लिए नियम और यहां की परंपराएं भी इसकी अनुमति नहीं देती है। कुछ साथियों ने जिक्र किया कि आपकी सरकार के दौरान ऐसा हुआ था। वह कोविड का दौर था, लेकिन वह हाउस की सहमति से हुआ था। जब हाउस एडजोर्न हुआ था तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से प्रस्ताव आया था कि सब सहमत हैं कि इस

**16.02.2026/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

समय हाउस एडजोर्न किया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अचानक कोविड के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तनाव का माहौल हो गया था, डर का वातावरण बन गया था और उस वजह से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण थी। यह बात विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से आई थी और तब हाउस एडजोर्न किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यदि ये हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम आपकी बात सुन लें। अच्छा लगेगा कि किसी की तो सुनते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इनके दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है और नियम 102 के इस प्रस्ताव को फिलहाल आगे शिफ्ट किया जाए। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।

**संसदीय कार्य मंत्री** (उद्योग मंत्री ): अध्यक्ष महोदय, श्री जयराम जी ने जो बात रखी है, आज से पहले भी जब गवर्नर एड्रेस होता रहा है, उसके बाद दोबारा से हाउस चला है। यह हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि टाइम बचाया जा सके। यह जो नियम-102 के तहत आर0डी0जी0 का विषय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे स्टेट में इस बात की चर्चा है कि प्रदेश आगे कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। गवर्नर एड्रेस पर हम कल से चर्चा शुरू कर सकते हैं। आज हम आर0डी0जी0 पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर कुछ लोग पक्ष से और कुछ लोग विपक्ष से बोल सकते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल या परसों से चर्चा शुरू कर सकते हैं और यह परंपरा भी रही है। पार्लियामेंट में प्रेजीडेंट एड्रेस होता है। प्रेजीडेंट एड्रेस पर चर्चा के बाद हाउस एडजोर्न हो जाता है और बजट की डिस्कशन बाद में चलती है। श्री अनिल शर्मा जी तो पार्लियामैंट में रहे हैं। पार्लियामैंट का बजट सेशन भी दो फेज में चलता है। हमने भी हिमाचल प्रदेश में यही व्यवस्था अपनाई क्योंकि बजट सैशन 20, 25 दिन तक चलता था। विधायकों की मांग थी कि

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी**

16-2-2026/1525/एन0एस0-ए0एस0/1

संसदीय कार्य मंत्री ----जारी

इसे ब्रेकअप किया जाए क्योंकि शिमला में 20-25 दिनों तक लगातार रहना कठिन हो जाता था। विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं तो कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा किया गया है। आर0डी0जी0 एक महत्वपूर्ण इश्यू है। आज हिमाचल प्रदेश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कुछ सत्ता पक्ष के विधायक बोलें और कुछ विपक्ष के विधायक बोल लेते हैं। अध्यक्ष महोदय,

लिमिटिड विधायक बोल लेते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर कल या परसों चर्चा करवा देंगे।

**अध्यक्ष :** श्री विपिन सिंह परमार जी आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए और श्री जय राम ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से इस माननीय सदन में यह बात रखी है। इन्होंने ठीक कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह बजट सत्र नहीं बल्कि कोई और सत्र है। सत्र की जो गम्भीरता नज़र आनी चाहिए, वह तो नज़र ही नहीं आ रही है। यह सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इनके दल की भी यही हालत है। ये मजबूत नहीं ये मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। परम्पराएं और नियम ऐसे हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद अगले दिन इसके ऊपर व्यापक चर्चा होती है। वैसे तो राज्यपाल महोदय ने पढ़ा हुआ समझा जाए, ऐसा कहा है। उन्होंने दो लाइनें शुरू की पढ़ी और कहा कि इसको पढ़ा हुआ समझा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और जवाबदेही, संसदीय नैतिकता जिसके आप कस्टोडियन हैं, जहां से हमें संरक्षण प्राप्त होता है और हम आपसे अपेक्षा व उम्मीद करते हैं कि परम्पराएं व कन्विक्शन इस चेयर के माध्यम से और सामूहिकता से ही बनाई जाती हैं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों, इरादों और दावों का अधिकारिक दस्तावेज होता है। यह एक दस्तावेज है। इस पर सदन में चर्चा की परम्पराएं रही हैं तो उस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इसमें सरकार की परीक्षा भी होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इसके ऊपर बोलते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है या क्यों भागना चाहती है?

16-2-2026/1525/एन0एस0-ए0एस0/2

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाकर विस्तृत चर्चा करवाई जाए, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सरकार चर्चा टालना चाहती है या इस प्रक्रिया के सहारे कुछ और करना चाहती है। सरकार जो भी सरकारी संकल्प लाना चाहती है आप उसको लाएं, आपको

कौन मना कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि उस चर्चा में हिस्सा लेंगे परन्तु जल्दबाजी क्या है। जब आपने तीन दिनों का यह सत्र रखा है, नियमों को तोड़ करके सत्र रखा है, परम्पराएं 15 दिनों की रहती हैं और उसको नज़रअंदाज कर दिया है, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं है लेकिन जो चल रहा है उसको नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने यहां पर रखा है। बहस को सीमित करने का प्रयास हो रहा है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम अपने उद्गार और हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को इस अभिभाषण के माध्यम से इस माननीय सदन में रखना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे कस्टोडियन हैं। सवाल यह नहीं है कि नियम अनुमति देता है कि नहीं। सवाल यह है कि सरकार बहस से डर कर भाग रही है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं । क्या सरकार को अपने ही अभिभाषण पर भरोसा नहीं है? कैबिनेट में अप्रूवल के बाद ही राज्यपाल महोदय के पास अभिभाषण जाता है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

16.02.2026/1530/RKS/एएस-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी....

अध्यक्ष महोदय अगर सरकार को अपने काम पर भरोसा है तो आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपके दावे मजबूत हैं तो आप विपक्ष के सवालों से क्यों डर रहे हैं? जो सरकार अपने ही एजेंडे पर चर्चा से बचना चाहती है वही सरकार जवाबदेही से भाग रही होती है और यह इस वर्तमान सरकार का हाल है। अध्यक्ष महोदय, आप महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नियमों के तहत तुरंत चर्चा करवाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के लोग बिना डरे इस अभिभाषण पर पूरी चर्चा करें। सरकार की कार्यशैली ऐसी है जिसमें पहले आपने कहा कि एक दिन का सत्र होगा, फिर बाद में कहा कि तीन दिनों का सत्र होगा और अब सुनने में यह आ रहा है कि इस सत्र को स्थगित करने के बाद पुनः सत्र को बुलाया जाएगा। सरकार की कार्यशैली यह संदेश दे रही है कि सरकार चर्चा नहीं केवल घोषणा करना चाहती है। लोकतंत्र में घोषणा नहीं अपितु बहस सर्वोपरि है। बहस में

सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप जिस सरकारी संकल्प को लेकर आए हैं उन बहुत सारी बातों का जिक्र इस अभिभाषण में भी किया गया है परंतु माननीय राज्यपाल जी ने उन बातों का उल्लेख नहीं किया। हम भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हित में गत 3 सालों में कौन से साधन जनरेट किए हैं, किस तरीके से टैक्स प्रणाली कमजोर हुई है व हमारे संसाधनों का जो दुरूपयोग हुआ है, इन सब बातों पर सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और इनका जवाब देना सरकार का दायित्व है। अगर सरकार इस दायित्व से पीछे हटती है तो यह सदन की गरिमा का अपमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरकार राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है, चर्चा से डर कर भाग रही है वह सरकार कितनी संवदेनशील है। हम चर्चा चाहते हैं और इसके लिए जो नियम बने हैं आप उन नियमों की पालना करें। क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप निष्पक्षता से अपना डिसिजन लें। ...(व्यवधान) वहां से भी कुछ साथी हाथ का इशारा करते हुए यह कह रहे थे कि ये हमारी भी कम ही सुनते हैं। आप इस ऊंची कुर्सी पर

16.02.2026/1530/RKS/एएस-2

बैठे हैं और आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप परंपराओं का ख्याल रखें।

**अध्यक्ष :** श्री विपिन सिंह परमार जी आपने किसको कम सुनने की बात कही?

**श्री विपिन सिंह परमार :** सर, मैं इस तरफ कह रहा हूं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके बारे में कोई बोलता है तो हम उसे बीच में टोक देते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जी पूरे निष्पक्ष है और वह निष्पक्षता आज भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री जी।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग विचित्र परिस्थिति में हैं। ये लोग परिस्थितियों को समझ रहे हैं लेकिन फिर भी चर्चा से भाग रहे हैं। हमने विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह किया था। जिस दिन विशेष सत्र के लिए फाइल मूव की उस दिन विपक्ष के लोग पहले ही गवर्नर साहब से मिलने पहुंच गए। वहां जो बात हुई वह एक बंद कमरे हुई और मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। उसके उपरांत संसदीय कार्य मंत्री जी से हमारी बात हुई और बजट सत्र की घोषण की गई। बजट सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और हमारा जो सरकारी संकल्प है, इन पर चर्चा होनी है। इतनी-सी बात है लेकिन आप हमें जिद्दी बोलते हैं। आप कहते हैं कि मैं आपकी और सत्तापक्ष की बात नहीं सुनता हूं लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं सत्तापक्ष व विपक्ष के साथ-साथ प्रदेश की जनता की बात भी सुनता हूं। मैं सबकी बात मानता हूं लेकिन इसके बावजूद भी आप जिद्दी क्यों बने हैं? जहां प्रदेश के अधिकारों का हनन होगा, प्रदेश की जनता का हक छिना जाएगा उस समय कौन-सी चर्चा होनी चाहिए, यह आपने तय करना है। अध्यक्ष महोदय, आपने नियम और परम्पराओं का सम्मान रखा है। आपने जो व्यवस्था बनाई है मुझे लगता है कि इन परम्पराओं को आने वाले अध्यक्ष भी बनाए रखेंगे। पीछे जो कुछ कमी रह गई थी आपने उन व्यवस्थाओं को बनाया है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

16.02.2026/1535/बी.एस./डी0सी0-1

**मुख्य मंत्री जारी**...

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, यदि आप छोटी सी लाइन में चर्चा खत्म कर देते और आप एक बात में जवाब दे देते कि आर0डी0जी0 के पक्ष में जो हिमाचल प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपये हर साल का बंद हो रहा है, क्या आप उसके लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाने को तैयार हैं? और आप उस पर चर्चा करिए। यदि आप तैयार हैं तो बात को यहीं खत्म कीजिए और राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा आरंभ कीजिए।

इस बात से पता चलता है कि मानसिकता क्या है? सरकारें मानसिकता नहीं है, परंतु हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की मानसिकता है। जब-जब जनता के अधिकारों का हनन होता है तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हों, चाहे बीजेपी के माननीय सदस्य हों। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वित्त आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम उस चुनौती का भी सामना करेंगे और उस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ेंगे और हिमाचल की जनता के हक में उस लड़ाई को जीतेंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि काम रोको प्रस्ताव नियम-67 के तहत कितनी बार लाए गए? परंपरा यह थी कि पांच साल में एक काम रोको प्रस्ताव आता था। आप भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव लाए उसके बाद आपदा पर काम रोको प्रस्ताव लाए। आप हर बार वॉकआउट करके सदन से बाहर चले जाते हैं। इस समय वॉकआउट का सवाल नहीं है, इस समय यह आवश्यक है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। हमारे गर्वनर ऐड्रेस के लिए बजट की शुरुआत हो चुकी है। यह सत्र एक महीना चलेगा या डेढ़ महीना चलेगा। इसे आपने और सरकार ने तय करना है। आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। यदि आप कहेंगे कि इतने दिन और सत्र को बढ़ाना है तो हम उतने दिन इसे और बढ़ा देंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 17 मार्च को बजट पास होना है और 16वें वित्तायोग की जो रिकमेंडेशन है वह ले होनी है। इसलिए आपको चर्चा करनी चाहिए। डरना किस चीज से है? विधायक बनते रहते हैं, लेकिन एक बार हिमाचल का अधिकार छिन गया तो 75 लाख जनता हक अगर छिन जाएगा तो जनता की और

16.02.2026/1535/बी.एस./डी0सी0-2

लोगतंत्र की आवाज भी कमजोर होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को आपने बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया है। (...व्यवधान...)

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया शांत हो जाइए। मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिए।

**मुख्य मंत्री :** अभी गलतियां गिनाने का समय नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा करेंगे। हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करते

हैं कि आप इस चर्चा की शुरूआत कीजिए और सबकी चर्चा के बाद जो परिणाम निकल कर आएगा उस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे और इकट्ठा हो करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे। इसमें क्या हर्ज है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, संसदयी कार्य मंत्री जी ने जो सरकारी संकल्प लाया है। उस पर चर्चा आरंभ की जाए, धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** एक ऐसी स्थिति जिसका जिक्र सदन में काम हुआ है उस परिस्थिति को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरे ध्यान में लाया है। यद्यपि यह खुद जानते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसकी चर्चा उससे अगले दिन के लिए डैफर हुई है और यह वर्ष 2019-20 में जब नेता प्रतिपक्ष स्वयं मुख्यमंत्री थे उस दौरान में भी हुआ है। जिस दिन मान्यवर राज्यपाल महोदय यहां सदन को संबोधित करने आए थे उसके पश्चात लेजिसलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**16.02.2026/1540/डी0टी0/डी0सी0 -1**

**अध्यक्ष जारी...**

जैसाकि आज हो रहा है। इसलिए आज जो बिजनेस लिस्ट हुआ है कोई ऐसी नई बात नहीं है-पहले से ही ऐसा प्रिसिडेंट है। क्योंकि अभी अपराह्न के 3:40 बजे हैं और इस मान्य सदन की कार्यवाही सायं 7:00 बजे तक चलनी है-क्योंकि आज सदन का समय सायं 7:00 बजे तक का है और आज जो यह 3:30 घंटे का समय बचा हुआ है, अभी हमारे पास कोई बिजनेस तो है नही इसलिए अब जब सदन कनवीन हो गया और माननीय राज्यपाल सदन को संबोधित करके चले गये हैं तो यह हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए जो विषय है या जो उससे जुड़े हुए प्रस्ताव-जो चर्चा के लिए ऑलरेडी लिस्टिड हैं और समय हमारे पास है तो हम उस बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर लें, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अभी जो संकल्प है, क्योंकि अभी राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा-अब इसपर कल धन्यवाद प्रस्ताव आ जायेगा। अभी तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और अभी सभी माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ना है और अपना नजरीया...(व्यवधान) ऐसा है जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है उसी दिन धन्यवाद प्रस्ताव नही आता है। मैं भी इस मान्य सदन का सदस्य वर्षों

तक रहा हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव उससे अगले दिन आता है not on the same day जब आज हमारे पास समय है तो हम हाउस की कार्यवाही को स्थगित क्यों करेंगे। हमारे पास साढ़े तीन घंटे हैं और सरकारी संलल्प के रूप में बिजनेस भी हमारे पास है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज हम इस संकल्प में चर्चा करेंगे और इसके बाद कल धन्यवाद प्रस्ताव यानी Motion of Thanks है वो भी आयेगा और उस पर भी चर्चा हम शुरू करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पूरे दो दिन बचे हैं। हाउस को एक्सटेंट किया जा सकता है। जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको समय मिल सकता है। हम रात के ग्यारह, बारह एक या दो बजे तक भी बैठ सकते हैं। अगर फिर भी सभी माननीय सदस्य यह चाहें कि हाउस को एक्सटेंट करना है तो वह भी हो सकता है खैर वह तो कल की परिस्थितियां हैं लेकिन आज हाउस के पास समय भी और बिजनेस भी है। इसलिए मैं आप सभी से यह आग्रह कर रहा हूं कि अभी जो सरकारी संकल्प है- माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि ...(व्यवधान) मेरी रूलिंग के बाद अब क्या? अब मेरी रूलिंग

**16.02.2026/1540/डी0टी0/डी0सी0 -2**

तो हो गई है । श्री जय राम ठाकुर जी अब मैंने बोल दिया है कि आज का जो बिजनेस है ...(व्यवधान) अब तो रूलिंग हो गई है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

**संसदीय कार्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-102 के अंतर्गत ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : माननीय ससदीय कार्यमंत्री जी कृपा आप बैठ जाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी आप बोलिए।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, इनकी जल्दी तो सभी को समझ में आती है लेकिन इस तरह के हालात में आप इनके प्रभाव में और दवाब में काम करेंगे-यह हमारी कल्पना से परे की बात है। यह शब्द बोलते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लगता।

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी मैं किसी के दवाब में नहीं हुं।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं।

**अध्यक्ष** : सदन के पास अभी साढ़े तीन घंटे का समय है।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय आज आप इस संकल्प को इस सदन में चर्चा के लिए अलाउ कर रहे हैं। Is it possible? सत्ता पक्ष की मंसा तो है कि बिना चर्चा के हां की हां में रही कह कर इस संकल्प को पास कर दें।

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी अभी तो 3घण्टे 25 मिनट शेष हैं और आप सब की सहमति से इस सदन का समय और बढ़ सकता है।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की ओर से 28 लोग बोलेंगे।

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी कोई बात नहीं है सदन सारी रात चलेगा, इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। Where is the problem?

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे।

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी मैं तो परपोज कर रहा हूं क्योंकि अगर आप आज इसे समाप्त करना चाहें तो जब तक आप चाहें रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जब तक बोलना चाहे आप बोल सकते हैं।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष के कहने पर आमदा हैं।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**16.02.2026/1545/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री जय राम ठाकुर..... जारी**

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आमदा नहीं हूं।...(व्यवधान) मेरे पास 3.30 घण्टे का समय बचा हुआ है।...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतने कम समय में इस विषय पर चर्चा सम्भव नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से (विपक्ष की ओर से) 1-2 आदमी बोलेंगे और उधर से (सत्ता पक्ष की ओर से) भी 1-2 आदमी ही बोलेंगे।

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी, ऐसा नहीं है, सभी माननीय विधायक बोलेंगे।...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सभी माननीय विधायक अपनी बात रखेंगे।...(व्यवधान)

**Speaker:** I will allow everybody to speak and participate under Rule-102 and the time whatever the Hon'ble Member wants to take, I will allow them.

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करना सम्भव नहीं है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी, मैं तो आज सदन की बैठक को 10-11 बजे तक एक्सटैंड करने के चक्कर में हूं।...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कब आरम्भ करेंगे? इस विषय पर हमारे पक्ष से 28 लोग बोलेंगे और स्वभाविक रूप से सत्ता पक्ष से भी 28 लोग बोलेंगे।

**16.02.2026/1545/एच.के.-एन.जी./2**

क्या इतने कम समय में सभी का बोलना सम्भव है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आप इसमें व्यवहारिक पक्ष को देखिए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी, यदि सभी माननीय विधायक केवल विषय पर ही बोलेंगे तो किसी को भी 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।...(व्यवधान) इसमें 5 से 10 मिनट का समय ही निर्धारित होगा।...(व्यवधान) यदि आप लोगों को भाषण ही देना है तो अलग बात है।...(व्यवधान)

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, इसमें भाषण की कोई बात नहीं है और यह बहुत बड़ा इश्यू है इसलिए इस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी और जब तक माननीय विधायक बोलेंगे तब तक चर्चा चलेगी।

**अध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष जी, ठीक है, I am agree.

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित कर दीजिए कि उस चर्चा का आरम्भ कब होगा?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप आज ही इसे तय कर दीजिए।

**अध्यक्ष** : माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?...(व्यवधान) Let's have a consensus.

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जय राम ठाकुर कह रहे हैं कि नियम-102 का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहे हैं तथा इसको टालना चाह रहे हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के लिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी महत्वपूर्ण है...(व्यवधान)

**Speaker** : Shri Trilok Jamwal ji, no interruption please. No talking while you are sitting.

**16.02.2026/1545/एच.के.-एन.जी./3**

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के लिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी महत्वपूर्ण है...(व्यवधान)

**Speaker** : Shri Trilok Jamwal ji, please. ...(Interruption) Please, no talking while sitting.

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने भी कहा है, आपने भी कहा है और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि आपने नियम-102 के विषय को लिस्ट कर दिया है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि इनके 28 विधायक बोलेंगे तो इस चर्चा को हम कल या परसों तक भी चला सकते हैं क्योंकि it is an important issue और श्री जय राम ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि it is an important issue. अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है और हम हाऊस को एक्सटैंड भी कर सकते हैं, तब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण भी चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियम-102 पर चर्चा आरम्भ करें।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्तमान सरकार के एक वर्ष का लेखा-जोखा होता है और इसमें उससे पहले के भी कुछ रैफरेंसिस आते हैं लेकिन ये (सत्ता पक्ष) इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ये पहले ही तय कर चुके हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मेजर भाग आर0डी0जी0 पर ही लिखा गया है। सत्ता पक्ष इस विषय पर अलग से चर्चा लाने के लिए जिद्द पर अड़ा हुआ है। इस अभिभाषण का मेजर भाग आर0डी0जी0 पर निर्धारित है।

**16.02.2026/1545/एच.के.-एन.जी./4**

इस अभिभाषण की चर्चा में ही आर0डी0जी0 पर चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो नियम-102 को लाने की पूर्ती भी उसी चर्चा में हो जाएगी और अलग से चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।...(व्यवधान) यह एक बेवजह की जिद्द है। अध्यक्ष महोदय, मैं

सरकार से निवेदन करूंगा कि ये राज्यपाल महोदय की ही तरह कह दें कि प्वांइट-3 से प्वाइंट-16 तक आर0डी0जी0 पर लिखा गया है। हम कह रहे हैं कि आप हमें कल सुबह बुला लीजिए और हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो क्या होगा कि इसी विषय पर यानी के आर0डी0जी0 पर पहले नियम-102 के तहत चर्चा होगी जिसमें दोनों पक्षों के विधायक बोलेंगे और उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी आर0डी0जी0 के विषय में चर्चा होगी। उसके बाद सरकार का बजट आएगा और उस पर भी दोनों पक्षों की ओर माननीय विधायक बोलेंगे। आप कह रहे हैं कि इस माननीय सदन का समय बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या हम एक ही चीज पर बार-बार चर्चा करेंगे? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा करेंगे

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**16.2.2026/1550/एच.के. /ए.पी/01**

**श्री जय राम ठाकुर जारी .....**

यानी अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे, राज्यपाल अभिभाषण पर भी चर्चा करेंगे और जब बजट आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा के अलावा सरकार के पास और कुछ नहीं है। यदि जनता के लिए काम किए गए होते तो आपके पास बताने के लिए कुछ होता। मेरा निवेदन है कि इसमें कोई राजनीतिक की बात नहीं है। हम इससे हटकर के नहीं है, यह प्रदेश न कांग्रेस का है, न भाजपा का, यह प्रदेश हिमाचल के लोगों का है। हम भी इसी प्रदेश के हैं और आप भी। केवल आप ही प्रदेश हित के लिए नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप व्यवहारिक निर्णय लें। व्यवहारिक निर्णय यही है कि Revenue Deficit Grant पर जो प्रस्ताव नियम-102 के अंतर्गत लाया गया है, उसे राज्यपाल अभिभाषण में शामिल कर दिया जाए। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो हम बजट में उस पर चर्चा करेंगे। मुझे यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार बजट पेश करेगी या नहीं। यदि बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद भी कोई कमी रह जाएगी तो उसमें भी हम Revenue Deficit Grant पर चर्चा कर लेंगे। इसलिए अध्यक्ष

महोदय, हम प्रैक्टिकल चीज सजेस्ट कर रहे है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की बात को विरोध के रूप में न लिया जाए। हम जो कह रहे हैं वह प्रदेश हित में है, सदन की गरिमा के हित में है और सबके हित में है। मेरा निवेदन है कि आप दिशा-निर्देश दें। धन्यवाद।

**16.2.2026/1550/एच.के. /ए.पी/02**

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री जी।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता कन्फ्यूज्ड हो गए हैं और यही सच्चाई है। वे कह रहे हैं कि इसमें भी चर्चा करेंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में हर विषय पर चर्चा होती है, यह कोई नई बात नहीं है। यह संकल्प प्रदेश हित के लिए लाया गया है और आप भी प्रदेश हित की बात कर रहे हैं। यह अच्छी बात है और पहली बार हम आपकी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि विपक्ष के सभी 28 सदस्य बोलेंगे और बोलना चाहिए भी। पक्ष की ओर से 40 सदस्य बोलेंगे। प्रदेश हित के लिए यदि सदन एक दिन, एक सप्ताह या रात 12 बजे तक भी चले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा बाद में भी हो सकती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय वही है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा नियम-102 के तहत लाया गया है। इसमें अब किसी दबाव या अतिरिक्त बहस की आवश्यकता नहीं है। अतः अध्यक्ष महोदय, आप नियम-102 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दें। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियम-102 जो है, मैं इसको पढ़ ही देता हूं Notice of resolution by Government - If the Government desire to move a resolution it shall give three days' notice in writing or online alongwith a copy of the text of the resolution : Provided that in special circumstances the Speaker may admit it on a shorter notice. मतलब three day notice को भी मैं वेव कर सकता हूं, अगर कोई special circumstances हैं। सरकारी संकल्प नियम-102 में वोटिंग होती है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वोटिंग नहीं होती और न ही बजट के ऊपर वोटिंग होती है। यह चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद सभी सम्माननीय सदस्य अपने-अपने

विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, उसके बाद वोट होगा और उसके बाद यह रेजोल्यूशन में अडोप्ट होगा, specifically against a specific issue. राज्यपाल अभिभाषण और बजट भाषण जैसे सभी व्यापक इश्यू है इस प्रदेश से मुतलिक उसको कवर करता है, इसलिए

**16.2.2026/1550/एच.के. /ए.पी/03**

जो रेवेन्यू डेफिसेट ग्रांट जिसका जिक्र महामहीम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी है,

संवैधानिक भी है और महामहीम राज्यपाल जी ने भी कहा है, उस पर जो रेजोलयूशन है that takes a priority and precedents, therefore, I am allowing the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, to move the Resolution under Rule-102.

**संसदीय कार्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-102 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275(I) और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जोकि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

**16.02.2026/1555/AT/YK/01**

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)**

जिसके कारण प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व घाटे के अनुसार प्रदान की जाए।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व संहिता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्त आयोग तक प्राप्त हो रही थी जो कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बंद की गई है। जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए।

अब इसमें सदस्य चर्चा में भाग लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इसका उत्तर देंगे।

सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से इस माननीय सदन में रखें।

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री):** माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के तहत जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है उसको आपने अनुमति दी है। मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हिमाचल प्रदेश में प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा और हिमाचल में जो source of income है वह कहां से आएगी।

हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारे social factors और social indicators चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड हैं इन सभी में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर है।

**16.02.2026/1555/AT/YK/02**

आज हिमाचल प्रदेश जहां पहुंचा है उसके लिए मैं पूर्व की सभी सरकारों और पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों को बधाई दूंगा क्योंकि उन सबके प्रयासों से आज हिमाचल प्रदेश इस स्तर पर पहुंचा है। आपको याद होगा बहुत से हमारे विधायक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि हिमाचल प्रदेश किस दौर से गुजरा है। मैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूंगा कि आजादी के बाद 15 अप्रैल, 1948 को हमारे पहाड़ी राज्य और पहाड़ी रियासतों

को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। प्रारंभ में इसे Central Administrative Area के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया।

वर्ष 1952 में पहली सरकार बनी। हिमाचल के निर्माता डॉ0 वाई0एस0 परमार का हिमाचल प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा और वर्ष 1952 में वह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय हिमाचल प्रदेश को पार्ट-सी स्टेट का दर्जा दिया गया। उस समय हमारे चार जिले थे जैसे महासू, मण्डी, सिरमौर और चंबा था और वर्ष 1954 में बिलासपुर रियासत का विलय भी हिमाचल प्रदेश में हुआ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जैसे किसी प्रदेश और किसी व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं वैसे ही हिमाचल प्रदेश के जीवन में भी कई घटनाएं हुईं। वर्ष 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की। मगर उस समय आयोग के चेयरमैन फज़ल अली ने सदस्यों की सिफारिश के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश को अलग इकाई बनाए रखने की टिप्पणी की।

उस समय के प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बनाए रखने का फैसला किया और 15 अगस्त, 1957 को हिमाचल प्रदेश एक Union Territory के रूप में अस्तित्व में आया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वर्ष 1966

**एम0डी0द्वारा जारी.....**



में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, जिन्हें हम नए हिमाचल के नाम से जानते हैं, जैसे कांगड़ा, ऊना, कुल्लू और लाहौल-स्पीति, इनका हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। वर्ष 1967 में Punjab Reorganization Act, 1966 के तहत पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। वर्ष 1971-72 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। उन्होंने दिनांक 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को देश के 18वें राज्य के रूप में

बनाया। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि सोशल इंडिकेटर्स में आज हम साक्षरता दर में 99 प्रतिशत पर हैं। हिमाचल प्रदेश इस मामले में प्रथम है। मगर इसकी रफ्तार को बनाए रखने के लिए आज यह बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे स्रोत और आमदनी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश या हमारे जो छोटे-छोटे राज्य हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों या पहाड़ी राज्य हों, वे इकोनॉमिकली वायबल स्टेट नहीं थे। मगर लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन पहाड़ी राज्यों का कल्चर बना रहे और उनका अस्तित्व सुरक्षित रहे, उन्हें बनाया गया। हमारा जो आर्टिकल 275 (1) कि 7.9 कहती है कि "Fiscal resources from the Union to the States flow under Article 275(1) of the Constitution on the recommendation of the FC. As a result, these grants are commonly referred to as "FC grants". The grants under Article 275(1) have been given most prominently and frequently to bridge the gap between the States' revenues and expenditures on the revenue account, but also for specific sectors or to specific States for specific projects."

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान का अनुच्छेद 275 यह कहता है कि जो खर्चे और आमदनी का गैप है, उसे केंद्र सरकार भरेगी। मगर अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो फाइनेंस कमीशन बनते रहे हैं, वे इन गैप्स को भरते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में छठे से लेकर पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन तक अलग-अलग आयोगों ने इस गैप को भरा है, इस मध्यनजर से कि हिमाचल प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त हमारी आमदनी 85 लाख रुपये थी और पॉपुलेशन 9,35,000 थी। मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट दिनांक 1 फरवरी 2026 को बजट में और पार्लियामेंट में रखी

**16-02-2026/1600/YK/MD/2**

गई, जिसमें सभी स्टेटों की फाइनेंस कमीशन ग्रांट को रोक दिया गया है। बहुत सारे लोग, हमारे माननीय विपक्ष के लोग कहते हैं कि हिमाचल की ग्रांट थोड़ी बंद हुई है। मगर हिंदुस्तान के कई स्टेटों की ग्रांट बंद हुई है, लगभग 17 स्टेटों की ग्रांट बंद हुई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट है और हमारा बजट भी छोटा है। हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड

हैं। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रेजेंटेशन दी, जो मुख्य मंत्री जी ने करवाई, और विपक्ष के सभी विधायकों को बुलाया गया, ताकि एक क्लियर पिक्चर दी जा सके कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कहां खड़ा है। यह पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के किसी मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की प्रेजेंटेशन दी। हमारे माननीय विपक्षी विधायक प्रेजेंटेशन में नहीं आए। उस प्रेजेंटेशन में कहा गया कि हमारे पूरे रिसोर्सेज लगभग 42,000 करोड़ रुपये आएंगे, जबकि हमारा खर्चा, जो हमारी कमिटेड लायबिलिटी है, वह लगभग 48,000 करोड़ रुपये है। जो गैप है, उसे आर0डी0जी0 के माध्यम से समय-समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरा किया जाता रहा है। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि हमारी जो कमिटेड लायबिलिटी है,

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**16.02.2026/1605/केएस/एजी/1**

**उद्योग मंत्री जारी** ---

आज हम उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 से जय राम जी मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 2015 से 2020 के बीच में हमारे 14वें वित्तायोग का सबसे बेहतरीन अवार्ड था जिसमें लगभग 40 हजार करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिले थे। जय राम ठाकुर जी वर्ष 2017 के आखिर में मुख्य मंत्री बन गए और इन्हीं के समय में वर्ष 2017-18 से ले कर वर्ष 2022-23 तक आर0डी0जी0 के रूप में पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 48 हजार 500 करोड़ के लगभग पैसा मिला। हम सभी जानते हैं कि पहले टैक्सिज़ लगाने का अधिकार राज्यों के पास था मगर जी0एस0टी0 के बाद वह अधिकार राज्यों से छीनकर भारत सरकार के पास आ गया। उस वक्त हमें टैक्सिज़ के रूप में बहुत अधिक राशि मिलती थी मगर जी0एस0टी0 लगने के बाद राज्य की हमारी पावर खत्म हो गई और यह अपेक्षित था कि जी0एस0टी0 हर साल 14 परसेंट इंक्रीज़ करेगा। उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2017 से 2022 जून तक लगभग 17 हजार करोड़ रुपये

जी0एस0टी0 के रूप में कंपनसेशन मिलता रहा। अब वर्ष 2017 से 2022 के बीच में जी0एस0टी0 कंपनसेशन और आर0डी0जी0 हमें 70 हजार करोड़ रुपये के लगभग मिलती है। अगर हम वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक के विकास पर नज़र दौड़ाते हैं तो इस कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि 70 हजार करोड़ रुपये आने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी उपलब्धि रही हो।

अध्यक्ष महोदय, हमारा बजट का इन्क्रीज़ कोई ज्यादा नहीं रहता था। यह लगभग 5, 6, 7 या 8 परसेंट रहता था। 16वें वित्तायोग की आर0डी0जी0 भी टेपरिंग थी। पहले साल 10 या साढ़े 10 हजार करोड़ रुपये, दूसरे साल साढ़े नौ हज़ार करोड़ रुपये, तीसरे साल 8200 करोड़ रुपये, चौथे साथ 6200 करोड़ रुपये और 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 3200 करोड़ रुपये है।

अध्यक्ष महोदय, हमें वर्ष 2017 से 2022 तक 70 हजार करोड़ रुपये मिले और वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक भारत सरकार से केवल 17 हजार करोड़ रुपये मिले हैं जो कि 20 परसेंट है। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के विकास की गति चलती

**16.02.2026/1605/केएस/एजी/2**

रही है। यह बात ठीक है कि चीज़ें कुछ धीमी हुई हैं क्योंकि भारत सरकार से हमें पैसा नहीं मिला। अगर हम जो हमारा बजट साइज़ हुआ करता है उसको आर0डी0जी0 से कम्पेयर करें तो आर0डी0जी0 हमारे बजट साइज़ में वर्ष 2020-21 में 23 परसेंट रिफ्लेक्ट होती थी। वर्ष 2021-22 में 20 परसेंट, वर्ष 2022-23 में 18 परसेंट, वर्ष 2023-24 में 15 परसेंट, वर्ष 2024-25 में आर0डी0जी0 का हिस्सा 10 परसेंट था और वर्ष 2025-26 में 5 परसेंट। तो हिमाचल प्रदेश का विकास तो रुकेगा ही। इस विकास को कौन रोक रहा है। भारत सरकार के फ्लो ऑफ फंड की वजह से हमारा विकास रुक रहा है। वैसे तो विस्तृत डिटेल मुख्य मंत्री जी देंगे लेकिन अगर रेवन्यू जनरेशन की बात करें तो इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हाईएस्ट रेवन्यू जनरेशन हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताने का प्रयास किया कि ऐसा मुद्दा है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

अ0व0 द्वारा जारी ---

**16.02.2026/1610/av/aG/1**

**उद्योग मंत्री------ जारी**

यह हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम इसको काँग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिवाइड नहीं कर सकते कि यह वर्तमान काँग्रेस पार्टी की सरकार की ही जिम्मेवारी है। केंद्र से फण्ड लाकर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से चलाना केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है। इसके प्रति जितनी जिम्मेवारी काँग्रेस पार्टी की है, उतनी ही जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है। श्री जय राम ठाकुर जी प्रदेश के 5 वर्ष मुख्य मंत्री रहे चुके हैं। इनको हिमाचल प्रदेश को चलाने का तजुर्बा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी भी जिम्मेवारी बनती है।

अध्यक्ष महोदय, 16वां वित्तायोग बना, यह इसकी रिपोर्ट में है और हिमाचल प्रदेश तो मांग कर ही रहा है अपितु नॉर्थ-ईस्ट की स्टेट्स भी इसमें मांग कर रही हैं। बजट में 18 प्रतिशत हिस्सा आर0डी0जी0 का होता है। हिमाचल प्रदेश का 12.5 प्रतिशत है। किसी का 9 प्रतिशत है, किसी का 8 प्रतिशत है या फिर किसी का 10 प्रतिशत है। मगर आर0डी0जी0 का हिस्सा न मिलने के कारण उन स्टेट्स की विकास की गति भी रुक रही है। ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश का विकास भी रुकेगा और इसके लिए केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 13 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों यानी आम आदमी पार्टी, बी0एस0पी0, सी0पी0आई0(एम), भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया। वहां पर माननीय श्री जय राम और श्री राजीव बिन्दल जी भी आए। लेकिन मुझे बहुत दुःख है कि जो एम0एल0ए0 या मंत्री न हो वह सर्वदलीय बैठक में या सदन के बाहर ऐसी बातें बोलें तो वह उसे शोभा नहीं देता। उस मीटिंग में क्या हुआ, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी नहीं बोल पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में भी अस्तित्व के लिए संघर्ष चल

रहा है। वहां बैठक में श्री जय राम ठाकुर जी और श्री राजीव बिन्दल जी के आने पर हमने इनका स्वागत किया। हमने खुशी जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी को भी भगवान ने सद्बुद्धि दी और वे सरकार के साथ मिलकर सहयोग देने के लिए इस सर्वदलीय बैठक में आए। अध्यक्ष महोदय, जब

16.02.2026/1610/av/aG/2

मीटिंग शुरू हुई तो मैंने श्री राजीव बिन्दल जी से बैठक शुरू करने का निवेदन किया। मैं उस समय चाह रहा था कि मीडिया अंदर ही रहे परंतु मैंने जब उस बारे में मुख्य मंत्री जी से पूछा तो इन्होंने श्री जय राम ठाकुर जी से उस बारे में बात की कि मीडिया का क्या किया जाए तो इन दोनों की यह सहमति बनी कि मीडिया बाहर जाए। फिर मैंने श्री राजीव बिन्दल जी को कहा कि आप विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आप शुरू कीजिए। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, आप किसी दूसरी पार्टी से शुरू करवाइए। फिर सी0पी0आई0(एम) से श्री राकेश सिंघा जी बोले। उन्होंने सरकार का समर्थन किया तथा कहा कि यह काँग्रेस पार्टी और बी0जे0पी0 की लड़ाई नहीं है अपितु यह हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की लड़ाई है। हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि केंद्र में भी आपकी ही पार्टी सत्ता में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस मुद्दे पर आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। उन्होंने एक पोजिटिव बात कही। वहां पर आम आदमी और बी0एस0पी0 के प्रतिनिधियों ने भी पोजिटिव बातें कहीं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को इस बात का भी एतराज है कि दूसरी राजनैतिक पार्टियों के लोगों को क्यों बुलाया। उनको इसलिए बुलाया क्योंकि इलैक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में वे पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी हो परंतु एक प्रतिशत शेयर, दो प्रतिशत शेयर या तीन प्रतिशत शेयर ...(व्यवधान) आप आए, यह स्वागत योग्य बात है। हमारे काँग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पाए क्योंकि वे बाहर थे। उन्होंने श्री कुलदीप सिंह राठौर जी को भेजा और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने भी बहुत ही

पोजिटिव बात रखी। मगर जब श्री राजीव बिन्दल जी की बोलने की बारी आई तो मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वे इस चेयर पर भी बैठ चुके हैं।

**टी सी द्वारा जारी**

**16.02.2026/1615/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**संसदीय कार्य मंत्री.... जारी**

उन्होंने मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य कार्यों के लिए पैसा दिया है। उनका जो बोलने का तरीका था as if he has come (***)...(व्यवधान) वह ठीक नहीं था

**Speaker : This will not be part of the record कि** (***) **It is not a part of the record. ...(व्यवधान) वे** (***)

**संसदीय कार्य मंत्री :** मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूं, I am not speaking against him. ...(Interruption)

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, डॉ0 राजीव बिंदल जी इस समय इस सदन के सदस्य नहीं है। वे हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं।

**Speaker :** No interruption please.

**संसदीय कार्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, वे हमारे सम्मानीय हैं, वे हमारे बड़े भाई हैं। मैंने उनसे कहा कि यह कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। आप आराम से बोलिए। वे सिर्फ दो-तीन मिनट बोले और अकेल ही चले गए। जबकि श्री जय राम ठाकुर जी, श्री बलबीर वर्मा जी, श्री रणधीर शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी भी वहां थे। ये सभी माननीय विधायक भी वहां बैठे रहे लेकिन बिंदल जी अकेले ही उठकर बाहर चले गए। ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी जब आपकी बारी आएगी, तब आपने बोल लेना। बैठ जाइये। ये उस मीटिंग के बारे में बता रहे हैं।

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया**।

**16.02.2026/1615/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

**संसदीय कार्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो फील हुआ, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। आप बाद में इसको करेक्ट कर लेना। मुख्य मंत्री जी ने श्री जय राम ठाकुर जी से कहा कि आप अपनी बात रखें लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो अपनी बात माननीय सदन में रखेंगे और अब जब माननीय सदन में चर्चा हो रही है तो इस चर्चा को डिफर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम चाह रहे हैं कि आप इसके बारे में अपनी बात रखें और इसका समर्थन करें। पिछले एक सप्ताह से जब से आर0जी0डी0 बंद हुई है, हिमाचल प्रदेश में यही चर्चा हो रही है। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आर0जी0डी0 केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई है। इसके बदले में हमें क्या मिला है। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से 7 सांसद हैं। वे क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश को किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं मिला है। डॉ0 राजीव बिंदल जी कह रहे हैं, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वे कह रहे थे कि वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 50000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया जबकि अध्यक्ष महोदय, मैं बजट देख रहा था और हिमाचल प्रदेश का कुल बजट वर्ष 2022- 23 में 54000 करोड़ रुपये था। हिमाचल प्रदेश का बजट 54000 करोड़ रुपये था और वे कह रहे हैं कि केंद्र से 50000 करोड़ रुपये दिए गए। श्री बिक्रम सिंह जी, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जो प्रोजैक्टिड फण्ड आता है it is all reflected in the State Budget whether it is National Highways. उसमें थोड़ा-बहुत फर्क हो सकता है लेकिन बजट में नेशनल हाईवे, पी0एम0जी0एस0वाई0 या नाबार्ड के माध्यम से अलग-अलग हेड्स में आने वाली राशि स्टेट बजट में रिफ्लेक्ट होती है।

अध्यक्ष महोदय, जय राम ठाकुर जी थोड़ी देर बाद बैठक से बाहर निकल गए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी। उसमें इन्होंने 2-3 बातें कही, इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी गई, वह गलत थी।

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी**

16-2-2026/1620/एन0एस0-ए0एस0/1

संसदीय कार्य मंत्री ----जारी

श्री जय राम ठाकुर जी व पूरे विधायक दल ने 15 मिनट बैठ कर प्रेजेंटेशन देखी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? दूसरा, इन्होंने कहा कि माहौल नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, अंदर बहुत पॉजिटिव माहौल था। मगर उस माहौल को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी ने खराब किया। मैं आप सबको या श्री जय राम ठाकुर जी को दोष नहीं देता हूं। श्री जय राम ठाकुर जी बहुत माइल्ड आदमी हैं। ...(व्यवधान) श्री त्रिलोक जम्वाल जी, आपका रोल बहुत पॉजिटिव था और आप भी हमारे साथ थे।

**अध्यक्ष :** श्री त्रिलोक जम्वाल जी, आप बैठ जाइए। Please take your seat. आप ऐसे ही मत उठ जाया करें। बैठ जाओ, पहले इजाजत लिया करें फिर उठे। ...(Interruption) Please take your seat. Let him complete. ...(Interruption) Don't interrupt please. Please take your seat.

**संसदीय कार्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, भाजपा के सभी विधायकों का एक पॉजिटिव रोल था और मौखिक रूप से चुप रह कर भी इन्होंने हमारा समर्थन किया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे आगे प्रश्न है कि हिमाचल क्या करे? हम टेक्सिज लगा सकते हैं और हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास पानी है जिस पर मुख्य मंत्री जी ने वाटर सैस लगाया। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक केस लड़ा गया। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंगेस्ट ऐफिडेविट फाइल किया कि हिमाचल प्रदेश को वाटर सैस लगाने का अधिकार नहीं है। पहली बात यह है कि पानी हमारा है, जंगल हमारे हैं और अन्य संसाधन हमारे हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वित्तायोग कह रहा है और माननीय जय राम ठाकुर जी भी बोलते हैं और माननीय अनुराग ठाकुर जी की नई बात है कि 20 वर्ष पहले वित्तायोग ने कह दिया था कि आर0डी0जी0 बंद होगी। अब पता नहीं कि उनको यह ज्ञान कहां से मिल गया? वर्ष 2017-

22 तक माननीय जय राम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। कहीं कोई चिट्ठी तो होनी चाहिए, कौन-से वित्तायोग की रिपोर्ट में लिखा है कि आर0डी0जी0 बंद होगी।

16-2-2026/1620/एन0एस0-ए0एस0/2

अध्यक्ष महोदय, पानी पर सैस हम नहीं लगा सकते। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का प्रोजैक्ट एस0जे0वी0एन0एल0 है। हिमाचल प्रदेश का बजट लगभग 58,000 करोड़ रुपये और एस0जे0वी0एन0एल0 का बजट 1 लाख करोड़ रुपये है। हिमाचल प्रदेश से एस0जे0वी0एन0एल0 पैदा हुआ। नाथपा झाकड़ी पॉवर प्रोजैक्ट गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। हमें सिर्फ 12 प्रतिशत फ्री पॉवर मिल रही है। चम्बा में बहुत से प्रोजैक्टस हैं। एन0एच0पी0सी0 के प्रोजैक्टस चम्बा जिले में हैं। एन0टी0पी0सी0 के प्रोजैक्टस हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको यह कह रहा हूं कि हम पैसा कहां से जनरेट करें। हमारे पानी पर भारत सरकार का अधिकार है। पैसा गर्वनमैंट ऑफ इंडिया की किटी में जा रहा है और हमें भारत सरकार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश और छोटे-छोटे राज्य अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। हिमाचल प्रदेश के पास 68 प्रतिशत जंगल है। हम जंगल नहीं काट सकते। उस पर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का एफ0सी0ए0 लगा है। Forest Conservation Act, 1980, it is control by Govt. of India हम पेड़ नहीं काट सकते। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और लोग बेघर हो गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रभावितों को एक बिस्वा जमीन घर बनाने के लिए नहीं दे सकती क्योंकि एफ0सी0ए0 लगा है। अब हिमाचल प्रदेश करे तो क्या करे? पंजाब व हरियाणा में जो खुशहाली आई है या ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो यह हिमाचल प्रदेश के पानी की वजह से आया है। मैं एक दिन पंजाब के मुख्य मंत्री जी का बयान सुन रहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो पानी पंजाब में पहुंच गया और बाढ़ आ गई तो पंजाब के मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इस पानी को ऊपर ही रोक लो। एक प्रदेश के मुख्य मंत्री का इस तरीके का बयान आ रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश के पानी से वहां खुशहाली आई है। ...(व्यवधान)

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

16.02.2026/1625/RKS/ डीसी-1

उद्योग मंत्री ... जारी

मैं आपको बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में भारत सरकार और दूसरे राज्यों का क्या नजरिया है? हमारे पास अपने संसाधन जुटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। जी0एस0टी का कंट्रोल भारत सरकार के पास है। हर आइटम पर जो टैक्सेशन होती है उसे जी0एस0टी0 काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है। माननीय जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में 48 हजार करोड़ रुपये का ऋण मिला था। जब इन्होंने सत्ता छोड़ी थी तो उस समय 76,680 करोड़ रुपये लोन था। ...(व्यवधान) जो छठे वेत्तन आयोग की 10 लाख करोड़ रुपये की देनदारियां थीं उन्हें आप नहीं दे पाए थे। लेकिन हम फिर भी सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऋण एक लाख करोड़ रुपये से पार हो गया है। मैं कहना चाहूंगा कि ऋण लेना वर्तमान सरकार की मजबूरी है। हमारी सैलरीज, पेंशन, लोन की रिपेमेंट और लोन इंटरस्ट की लाइबलिटिज बहुत हैवी हो गई हैं। आज सुबह मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम जी0एस0डी0पी0 की लिमिट का 3 प्रतिशत लोन ले सकते हैं। हमारी लोन की लिमिट 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की लोन रिपेमेंट और लोन इंटरस्ट की लाइबिलिटिज 13 हजार करोड़ रुपये हो गई है। फिर ऐसे में हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य कैसे होंगे? हमारी सैलरीज, पेंशन, लोन की रिपेमेंट और लोन इंटरस्ट की लाइबलिटिज फिक्स्ड हैं। भारत सरकार की जो स्कीम्ज हैं उनका शेयर फिक्स्ड है। सोशल सिक्योरिटी और सब्सिडी की देनदारी भी फिक्स्ड हैं। आज हिमाचल प्रदेश बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंस गया है लेकिन प्रदेश को इस स्थिति से बाहर निकालना हम सबकी जिम्मेवारी है। आज हिमाचल प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? जिस दिन आर0डी0जी0 बंद हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयान आए उसमें

कइयों ने आर0डी0जी0 बंद होने का समर्थन किया। कइयों ने यह भी कहा कि इस सरकार की फिजूलखर्ची की वजह से यह आर0डी0जी0 बंद होनी चाहिए। हमें भारत सरकार की ओर से गत तीन वर्षों में आर0डी0जी0 के रूप में केवल 17 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आपका आंकड़ा गलत है। ...(व्यवधान) आप

16.02.2026/1625/RKS/ डीसी-2

बताओ कि हम किस तरीके से गिनें? ...(व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 में आपको 8,449 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में प्राप्त हुए। वर्ष 2017-18 में आपने दो क्वार्टर की आर0डी0जी0 यूज की जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ...(व्यवधान) He is not able to answer. ...(व्यवधान) वर्ष 2019-20 में आपको 8,271 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में प्राप्त हुए। आपको कोरोना के दौरान 11,431 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ...(व्यवधान) आपको वर्ष 2021-22 में 7,834 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 प्राप्त हुई।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

16.02.2026/1630/बी.एस./डी0सी0-1

उद्योग मंत्री जारी...

वर्ष 2022-23 की आधी आर0जी0जी0 तो आपने इस्तेमाल की है। इसके तीन क्वार्टर तो आपके वक्त आए हैं। यह आंकड़ा आपका 54,296 करोड़ रुपये का है। आपको आर0डी0जी0 5 साल में 54,296 करोड़ रुपये आई और वर्षवार हमें कितनी आर0डी0जी0 आई है? वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये आई और वर्ष 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये आई तथा वर्ष 2025-26 में कितनी, 3,257 करोड़ रुपये आई। यह कुल मिलाकर 17,563 करोड़ रुपये आई है। अध्यक्ष महोदय, इनकी आर0डी0जी0 54,296 करोड़ रुपये, इसके अलावा इनको जो जी0एस0टी0 का कंपनसेशन के रूप में मिला है वह मिला है

16,000 करोड़ रुपये के करीब। इनका कितना हुआ, कुल 71,000 करोड़ रुपये 5 साल के कार्यकाल में आया। अगर उसमें से 10 परसेंट के भी लोन और रीपेमेंट को करते तो यह जो इतनी बड़ी लायबिलिटी है, यह हमारे ऊपर नहीं आनी थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं इसे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज पब्लिक मूड क्या है? आप नहीं समझ रहे हो कि पब्लिक मूड क्या है? आपकी यह सोच है, मैं कह सकता हूं कि आर0डी0जी0 बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों में भारी परिवर्तन आया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया है और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आप सोशल मीडिया पर डिस्कशन सुन लेना, इस आर0डी0जी0 के बंद होने के लिए लोग आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, मैं आज ही सुबह कह रह था। (...व्यवधान...)

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज बैठे-बैठे न बोलें।

16.02.2026/1630/बी.एस./डी0सी0-2

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैं दिव्य हिमाचल अखबार में एक आंकड़ा देख रहा था। दिव्या हिमाचल ने सोशल मीडिया पर यह सर्वे किया और पूछा कि आर0डी0जी0 के लिए कौन जिम्मेवार है? 57 परसेंट लोगों ने कांग्रेस के हक में वोट दिया और 5 परसेंट लोगों ने कहा कि हमें ज्ञान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन केवल 38 परसेंट लोगों ने किया है। यह पब्लिक मूड है, यह पब्लिक परसेप्शन है।

अध्यक्ष महोदय, आज इनके सात सांसद हैं आज हमारे रेलवे की क्या स्थिति है? और स्टेटों में रेलवे के प्रोजेक्ट बनते हैं। लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है, प्रोजैक्ट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया पैसा खर्च करती है। हिमाचल प्रदेश के लिए लैंड एक्विजिशन हिमाचल प्रदेश करें। प्रोजैक्ट का खर्चा 50 प्रतिशत हिमाचल सरकार करे। क्या हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी है? जो कमिटेड लायबिलिटी हैं उनको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स में कहां से पैसे दे पाएंगे?

आपके जो सात सांसद हैं उन्होंने क्या किया? आप इन टर्म्स आफ रेलवे क्या प्रोजेक्ट लाए? हमारे एयरपोर्ट की क्या हालत है? शिमला एयरपोर्ट छोटा है, मुख्यमंत्री जी कांगड़ा एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हाई-एंड टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए। जब यह हाई-एंड टूरिस्ट आएगा तो हमारी इनकम और जो जी0एस0टी0 है, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**16.02.2026/1635/डी0टी0/एच0के0 -1**

**उद्योग मंत्री जारी...**

माननीय जय राम ठाकुर जी ने मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया-वह नहीं हुआ। अगर करते तो बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि हमको अगर भारत सरकार सेन्ट्रल एडिड प्रोजैक्टस में मदद नहीं करेगी तो हिमाचल प्रदेश रेवन्यू जनरेट नहीं कर पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और यह भी कहुंगा कि कुछ लोगों का यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को खतरा है। हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड पर प्रश्नचिन्ह् लगा हुआ है। It is not me. यह मैं नहीं कह रहा हूं मगर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि कहीं यह शुरूआत तो नहीं है। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया तो कुछ लोगों ने कहा था कि स्टेटहुड को मारो ठुड और यह कहा कि हम तो पंजाब में रहना चाहेंगे। यह भी फैक्ट है। आज भी हम इस सदन में यह बात कहते हैं कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड का विरोध किया वे क्या कहते थे "स्टेटहुड मारो ठुड"। आज हम कहां खड़ें हैं, यह सोचने की बात है। जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ कोई सोच सकता था? जो जम्मू-कश्मीर राज्य अंतर्राट्रीय स्तर पर विख्यात है उसके स्टेट का दर्जा हटाकर उसे यू0टी0 बना दिया गया है। ...(व्यवधान) यह आप भूल जाओ। यह आपके बहाने हैं। मेरी बात को आप अदरवे में मत लिजिए । ऐसा है अगर हिमाचल प्रदेश रहेगा तो हम सब रहेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से आगे बढ़ता रहेगा तो इसमें हम सब की भलाई है। आज हिमाचल प्रदेश के आगे प्रश्नचिन्ह् लगा है। ...(व्यवधान) भगवान करे ऐसा हो ...(व्यवधान) माननीय त्रिलोक जम्वाल जी वित्त सचिव की ओर दी गई प्रेजेंटेशन आप ने

देखी। ...(व्यवधान) क्या आपने मिसमेनेजमेंट नहीं किया? आपकी पूर्व सरकार ने क्या किया?

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है, यह प्रदेश हित का मुद्दा है इसमें हम सभी को मिलकर चलना चाहिए। भाजपा की केंद्र में सरकार है इसलिए विपक्ष हमारे साथ चले। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि हम माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेतृत्व में-हिमाचल सरकार आप के नेतृत्व में प्रधान मंत्री जी के पास वित्त मंत्री जी के पास यानी किसी

**16.02.2026/1635/डी0टी0/एच0के0 -2**

के साथ भी हम जाने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए हम किसी के भी नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अब मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से चार नाम आए हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की लिस्ट अभी नहीं आई है। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष एव पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी से कि वे इस चर्चा को आगे बढाएं।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से जो संकल्प यहां पर लाया गया है, मैं भी इस संकल्प पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अभिभाषण दिया है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो मेजर पोर्शन है वह रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट है और उसी मे सरकार ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केंद्रित किया है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**16.02.2026/1640/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री जय राम ठाकुर..... जारी**

मुझे लगता है कि इस अभिभाषण की चर्चा में भी हम इस (आर0डी0जी0) विषय पर चर्चा कर सकते थे। यदि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ हो जाती तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय उसमें भी शामिल किए जा सकते थे। यहां पर उन सारी चीजों का कोई अभिप्राय नहीं है तथा सिर्फ-और-सिर्फ एक लक्ष्य रखा गया है कि ऐसी संकट की घड़ी में राजनैतिक दृष्टि से यह ठीकरा भारतीय जनता पार्टी व केन्द्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाए और कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का केन्द्र बिन्दु यही है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव यहां पर क्यों लाया गया है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) की ओर से लाना वाजिफ़ नहीं था। यदि आर0डी0जी0 पर चर्चा होनी है तो यह वित्त विभाग से संबंधित विषय है और मुख्य मंत्री जी को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहिए था क्योंकि वित्त विभाग इन्हीं के पास है। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सही बात तो यही होती कि वित्त मंत्री होने के नाते माननीय मुख्य मंत्री इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तुत करते और उसके बाद हम इस चर्चा करते।

अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) की ओर से तथ्यों को रखने की कोशिश तो की गई लेकिन इन्होंने वे ही तथ्य रखे जो इन्हें व सरकार को सूट करते हैं। जिन बातों में अनुकूलता थी, इन्होंने वे बातें तो कहीं लेकिन जहां पर अनुकूलता नहीं थी, वे बातें इनकी ओर से नहीं कही गई। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब प्रदेश पर कोई भी कर्ज नहीं था।

**16.02.2026/1640/एच.के.-एन.जी./2**

वर्ष 1993-94 में हमारी स्थिति इस प्रकार की रही कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं था और यह सच्चाई है। यदि कर्ज की शुरूआत हुई है और बिना सोचे-समझे गलत तरीके से कर्ज लेने की शुरूआत हुई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है। वर्ष 2012-13 से पहले हिमाचल प्रदेश पर लगभग 14000 करोड़ रुपये कर्ज था और वर्ष 2013-14 में यह कर्ज 28707 करोड़ रुपये हो गया था और तब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2013-14 के बाद वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान यह कर्ज बढ़कर लगभग 48000 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार से इसमें 67 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है जोकि अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक है। वर्ष 2017-18 में जब मैं प्रदेश का मुख्य मंत्री बना तो प्रदेश पर लगभग 48000 करोड़ रुपये का ऋण था।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हिमाचल प्रदेश पर ऋण का आंकड़ा 47900 करोड़ रुपये (लगभग 48000 करोड़ रुपये) से बढ़कर 69600 करोड़ रुपये हो गया। यानी के हमारे समय में कर्ज में लगभग 44 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई और कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में यही बढ़ौतरी 67 प्रतिशत की हुई थी। हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार से 23 प्रतिशत कम बढ़ौतरी के साथ लोन लिया है। यह आंकड़ा वर्तमान प्रदेश सरकार को नहीं दिखता है और यहां पर ये इस आंकड़े का जिक्र भी नहीं कर सकते।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**16.2.2026/1645/वाई.के./ए.पी/-01**

**नियम-102 के अंतर्गत चर्चा जारी .....**
**श्री जय राम ठाकुर जारी .....**

अध्यक्ष महोदय, बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि आप आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आंकड़ों के बजाय, थोड़ा व्यवस्था परिवर्तन पर जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ और व्यवस्था परिवर्तन के पहले दिन से ही सरकार एक ही रोना रोती रही और बेचारी बनी रही की हिमाचल प्रदेश ने ऋण ले लिया, जय राम ठाकुर ने ऋण ले लिया। अध्यक्ष महोदय यह रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अगर हमने ऋण लिया है तो 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। लेकिन जब हमने सरकार छोड़ी तो 6,000 करोड़ रुपए की हमारी अतिरिक्त ऋण लेने की लिमिट थी। हम उस समय ऋण ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऋण नहीं लिया और वह ऋण आपने सरकार बनने के बाद चार महीने के अंदर सारा-का-सारा ऋण ले लिया और अब उस ऋण को हमारे खाते में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि 76000 करोड़ रुपये का ऋण हमारी पिछली सरकार के समय का है। जो ऋण हमने लिया नहीं और जो हमारे समय में लिया नहीं गया। लेकिन जब आप सरकार में आ गए थे आपने वह ऋण लिया और अब उस ऋण को भी हमारे खाते में गिना जा रहा है। हमने कहा था जब आपकी सरकार नए-नए बनी तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करते थे और आज भी हम कम ही करते है। लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है तब से अभी तक इनका एक ही बात को लेकर रोना लगा है कि पूर्व सरकार द्वारा ऋण लिया गया। हमसे गलती हो गई, मेहरबानी करें, आप ऋण मत लीजिए। अगर आप प्रदेश को बिना ऋण के चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश एक लाख करोड़ रुपये के ऋण के नीचे दब गया है। एक लाख करोड़ से भी ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपये के लगभग ऋण पहुंच गया है। आप आंकड़ा बाद में ठीक करना, जब आप जवाब देंगे। इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप जा कहा रहे है। आखिरकार कब तक आप सारी चीजों को लेकर के बोलते रहेंगे। अभी रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट आपको 31 मार्च, 2026 तक तो है। लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश में विकास संस्थानों को कब से बंद किया है जब से आप

**16.2.2026/1645/वाई.के./ए.पी/-02**

सत्ता में आए है। उस वक्त तो रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिलती थी आपको। काम तो पूरे बंद किया है आपकी सरकार ने और शुरू से बंद किया, पहले दिन से, मंत्रिमंडल बनने से भी पहले से आपने सभी कामों को बंद किया है। मंशा क्या है आपकी, मंशा यह है कि सत्ता में आ गये हैं काम के लिए नहीं, आराम के लिए। प्रदेश के विकास से आपको कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में किसी भी चीज को लेकर के आपको कोई लेना-देना नहीं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबके बीच में यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि आप आर्टिकल-275 और 280 का जिक्र कर रहे हैं। आर्टिकल-275 का जिक्र करने का अभिप्राय क्या है आपका और आर्टिकल-280 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी बात को लेकर। आर्टिकल-280 तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ फाइनेंस कमीशन है। उसमें आप क्या रेफर करना चाह रहे हैं। आर्टिकल-275 में बड़ा क्लियर कहा है। इन्होंने आर्टिकल-275 का एक पोर्शन तो पढ़ा। आर्टिकल-275 में तो यह है उसमें प्रावधान अगर उसकी सरल भाषा में डिटेल में जाऊंगा उसका में जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वह लंबा चौड़ा विषय है। एक बड़ी साफ बात है कि आप इसको मेटर ऑफ राइट के रूप में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात उसमें यह था कि इसमें वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एरिया के लिए था। इसमें जिक्र था कि अगर सरकार ने Revenue Deficit Grant देनी है तो वे शेड्यूल एरिया के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की ओर से आपको मदद, एक अगर आपका खर्च और रेवेन्यू के बीच में जो गैप रहता है उसको भरने के लिए मदद के रूप में आपके लिए आर्टिकल-275 के प्रावधान में जोड़ा गया था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इतनी बात तो हमको समझ लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हम आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहे हैं और आर्थिक संकट के दौर में से जब गुजर रहे हैं तो आपको यह भी मान कर चलना चाहिए था कि आपको पहले दिन से ही सारी चीजों को लेकर के विचार करना चाहिए।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

16.02.2026/1650/YK/AT/01

**श्री जय राम ठाकुर जारी .....**

हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जब हम इस प्रकार के आर्थिक संकट से गुजर रहे हो तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले दिन से ही कई विषयों पर विचार और योजना बनाई जानी चाहिए थीं ताकि हम इस संकट के दौर से प्रदेश को बाहर निकाल सकें। लेकिन उन सभी विषयों को लेकर न तो सोचा गया और न ही कोई कार्य इस पर किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि आप इस धारणा के साथ बैठ गए कि यह तो हमारा गारंटीड है यह तो आएगा, यह तो निश्चित रूप से मिलेगा, यह कहीं नहीं जाएगा।

जबकि 15वें, 14वें और 13वें वित्त आयोग की ओर से लगातार जब यहां पर प्रस्तुति दी जाती थी तब बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट लगातार देने की संभावना नहीं लग रही है। उस समय भी उन्होंने जब अपनी बात कही थी तो कहा गया था कि आप अपनी आदत सुधारें। बहुत सारे राज्यों में यह एक आदत बन गई है कि वे अपने रिसोर्सेस जनरेट नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसोर्सेस जनरेट न करने के साथ-साथ खर्च भी कम नहीं कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं है और इसे रोकने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप तुलना की दृष्टि से देखें तो इस देश के एक बड़े अर्थशास्त्री, जिनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है और जो 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह जी उनके कार्यकाल में, वर्ष 2005 से 2010 तक, जो 12वें वित्त आयोग के तहत हमें राशि मिली वह 10,202 करोड़ रुपये थी। उसके बाद वही वित्त मंत्री और उसके बाद प्राधनमंत्री बने, उसके बाद 2010 से 2015 की अवधि में,जब वे प्रधानमंत्री थे, उस दौरान 13वें वित्त आयोग में हमें 7,889 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जब आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी यदि हम दोनों अवधियों का रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट जोड़ें तो यह कुल 18,091 करोड़ रुपये बनता है और आप हमें इस बात के लिए दोष दे रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने यह निर्णय लिया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जहां आय के साधन कम हैं और विकास कार्यों पर अधिक खर्च होता है सबसे पहले उन्होंने एक फैसला किया कि Centrally

Sponsored Schemes में हमारा शेयर सीधा 90:10 किया । केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और 10 प्रतिशत

16.02.2026/1650/YK/AT/02

हिमाचल प्रदेश। उस समय के अर्थशास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको यह बात समय में नहीं आई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी इस विषय पर गंभीर विचार नहीं हुआ।

जब 2015 से 2020 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में था, तो हिमाचल प्रदेश को 40,624 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। यदि केंद्र सरकार की सोच संकीर्ण होती, तो वे यह भी कह सकते थे कि पहले 7,800 करोड़ रुपये मिले थे, तो इस में 2200 करोड़ रुपये बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ राशि में लगभग पाँच गुना वृद्धि की गई, 7,800 करोड़ रुपये के स्थान पर 40,624 करोड़ रुपये दिए गए। फिर भी आप यह कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, जबकि उस समय राज्य में आपकी ही सरकार थी।

एम0डी0द्वारा जारी.....

**16-02-2026/1655/AG/MD/1**

**श्री जय राम ठाकुर---जारी**

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर 15वें फाइनेंस कमीशन ने वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक कितना पैसा दिया था, जबकि उस वक्त कोविड का दौर था। जब फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए आया और पीटरहॉफ में हम बैठे, तब हमने प्रेजेंटेशन दी। हमने रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के लिए कहा कि यह हर हालत में बढ़नी चाहिए। पिछली बार 40,000 करोड़ था, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन फाइनेंस कमीशन का साफ कहना था कि कोविड का जो जिक्र हम कर रहे हैं, वह केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं आया, पूरे देश में आया, बल्कि पूरी दुनिया में आया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन देश की

इकोनॉमी पर कोविड के कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद कहा कि किसी भी सूरत में रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट में परिवर्तन मत करिए, हमें बहुत कठिनाई है। उन्होंने हमारा पक्ष सुना और पूरी सहानुभूति व्यक्त की। जब हमें मालूम पड़ा कि रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट पर अंतिम फैसला फाइनेंस कमीशन लेने वाला है, तो हमने अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली जाकर बात की। हमने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से भी बात की और दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी बात की, जहां इस तरह का संकट था। सब लोगों ने आग्रह किया और आग्रह करने के पश्चात अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन ने कहा कि रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आदत सुधारने के लिए आपको मौका दे रहे हैं। यह मौका इस रूप में दिया गया कि इसे टेपरिंग शेप में लाया जाएगा यानी tapering down करेंगे, पहले साल ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम, चौथे साल कम और पांचवें साल और कम। इससे अगली बार के लिए आपको आदत पड़ जाएगी और आप आवश्यक कदम उठाने लगेंगे। उन्होंने यह भी साफ कहा कि This is not part of the record. लेकिन बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया गया कि आगे के लिए यह मानकर चलिए कि रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। यह आपकी आदत सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह बात सभी राज्यों को कही गई। उसके बाद 15वें फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की और हमें 37,200 करोड़ रुपये की रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट अवार्ड की, मैं

**16-02-2026/1655/AG/MD/2**

यह कह सकता हूं कि वह हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान भी था। लेकिन यह भी सच है कि केवल भाषण देने या स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती; हमें लॉजिक और तर्क के साथ अपनी बात रखनी पड़ी और अंततः हम उन्हें कन्विंस कर पाए। लेकिन संदेश साफ और स्पष्ट था दीवार पर लिखी इबारत की तरह कि आने वाले फाइनेंस कमीशन के समय रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलने की संभावना बहुत कम होगी। जब यह स्थिति थी---- (व्यवधान) तो आदत सुधारने के लिए एक अवसर था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि तीन से साढ़े तीन साल आपके बीतने जा रहे हैं क्या आपके अधिकारियों

ने इससे पहले प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी? अध्यक्ष महोदय, प्रेजेंटेशन की बात पर मैं बाद में आना चाहता था, लेकिन जब बात उठ ही गई है तो कहूंगा कि अधिकारियों ने फैक्चुअल पोजिशन रखने की कोशिश की। मगर मैं कुछ बातों को लेकर हैरान हूं कि अगर आपके दिमाग में केवल पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है, तो मुझे कहा गया कि आपको आना चाहिए, बोला गया कि आपको चिट्ठी भेजी है।

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**16.02.2026/1700/केएस/एजी/1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी** ---

मुख्य मंत्री जी जेब में चिट्ठी ले कर घूम रहे थे। मीडिया को उसे दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या आपके पास फोन नहीं था? क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकते थे? हमारे साथियों ने कहा कि फाइनेंस सैक्रेटरी की तरफ से यह रूटीन की चिट्ठी आई है। मेरे साथियों ने पूछा कि क्या मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से आपसे इस बारे में बात की या क्या उनकी ओर से आपको कोई चिट्ठी आई है तो मैंने कहा कि बात तो नहीं की और ना ही उनकी तरफ से मुझे कोई चिट्ठी आई है। बाद में मालूम पड़ा कि पिछली तारीख़ की चिट्ठी छाप कर 7 तारीख़ को दोपहर बाद मेरे ऑफिस में डिलिवर हुई। 8 तारीख़ को आपने बैठक रखी। मैं चार दिन के टूअर पर शिमला से बाहर था। मैंने इतना ही ज़िक्र किया और मैं हैरान हूं कि ये उसी चिट्ठी का ज़िक्र कर रहे हैं कि जय राम ठाकुर प्लानिंग की मीटिंग में भी नहीं आए और इस प्रेज़ेंटेशन में भी नहीं आए, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे-ऐसे शब्दों को इस्तेमाल मुख्य मंत्री जी ने किया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्य मंत्री जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ...(व्यवधान) यह मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 6 तारीख़ की पिछली तारीख़ की चिट्ठी 7 तारीख़ को भेजी गई और उसके बाद ...(व्यवधान) इस बात को छोड़ दीजिए लेकिन क्या आप फोन नहीं कर सकते थे? मैं इस बात पर जाना ही नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, पहले हम नहीं आए तो भी कहा कि गलत किया गया और उसमें

भी राजनीति की गई और उसके बाद हम बैठक में गए...(व्यवधान) जो मैं कह रहा हूं यह सच्चाई है।

**अध्यक्ष :** ठाकुर साहब, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया आप एक मिनट बैठिए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता सत्य की बात कर रहे हैं। इन्हीं का वीडियो चला कि वित्त सचिव ने मुझे चिट्ठी भेजी है, मुख्य मंत्री क्यों नहीं भेज सकते? पहले तो ये वित्त सचिव की चिट्ठी दिखा देते। अपोजीशन लीडर से जब भी कोई बात करता है तो मुख्य मंत्री की तरफ से की जाती है। हर्षवर्धन चौहान जी ने इनसे बात की थी कि मुख्य मंत्री जी ऐसा चाह रहे हैं। बात करने से पहले मैंने चिट्ठी लिखी, वह एक रिटन डॉक्यूमेंट था और मैंने वह इसलिए दिखाया क्योंकि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए

**16.02.2026/1700/केएस/एजी/2**

था। आपने पहले वित्त सचिव बोला और अगले दिन कहा कि यह वित्त सचिव की चिट्ठी आई है, हम क्यों जाएं? मैंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया और अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो कि हर्षवर्धन चौहान जी ने क्या इनसे बात नहीं की? मीटिंग तो बाद में थी। हर्षवर्धन चौहान जी ने इनसे बात की। प्लानिंग की मीटिंग में सभी विधायक थे और मैंने सभी से अनुरोध किया कि आपकी विधायक निधि की बात हो रही है, कृपया आपने कल आना है। अगर हमारी नीयत में कोई खोट होता तो हम ऐसी बात क्यों करते? आपने मीडिया में इस बात को छेड़ा है, तब मैंने उसको क्लैरिफाई किया था। अध्यक्ष जी, आप हर्षवर्धन चौहान जी से पूछ सकते हैं कि क्या इन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री जी से बात की थी या नहीं?

**संसदीय कार्य मंत्री(उद्योग ) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने जय राम जी को फोन किया और कहा कि मुख्य मंत्री जी सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं और आप सादर आमंत्रित हैं तो इन्होंने कहा कि मेरे तो पूर्व निर्धारित प्रोग्राम बने हैं और मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा कि जो भी आपको डेट सूट करेगी आप बता देना, हम वह प्रेज़ेंटेशन आपको भी दे देंगे। मैंने पर्सनली इनको फोन करके आमंत्रित किया था। सर्वदलीय मीटिंग में भी मैंने बिंदल जी को फोन करके उनको आमंत्रित किया

था। बिन्दल जी ने कहा कि नहीं, सचिवालय में सर्वदलीय मीटिंग नहीं होगी तो मैंने कहा कि हम इसको पीटरहॉफ में शिफ्ट कर लेते हैं और हमने उसको पीटरहॉफ में शिफ्ट कर दिया। फिर बिन्दल जी ने कहा कि क्या एक आदमी ही लाना है तो मैंने कहा कि आप प्रिंसिपल अपोजीशन पार्टी हैं, आप जितने आदमी लाना चाहते हैं, ला सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप आए और उसके बाद क्या हुआ वह आपने बता दिया। ...(व्यवधान)

**मुख्य मंत्री :** मेरी क्लैरिफिकेशन तो अध्यक्ष जी, अब आएगी। ...(व्यवधान)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

16.02.2026/1705/av/aS/1

**मुख्य मंत्री जारी**----

अध्यक्ष महोदय, इनकी बात के बाद इन्होंने वीडियो भी शेयर किया। उसके बाद वह बात आई जो आप (श्री जय राम ठाकुर) चिट्ठी दिखाने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) चिट्ठी दिखाने की बात इसलिए आई क्योंकि आपको वह वीडियो में शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपनी गलती माननी चाहिए थी और बोलना चाहिए था कि मेरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) से बात हुई है। अब सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार क्या विपक्ष को चिट्ठी लिखेगा? इतनी कट्सी तो हमें भी पता है।

16.02.2026/1705/av/aS/2

**अध्यक्ष :** माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, आप बोलिए।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, ऐसे में सचमुच में कई बार बात करने का मन नहीं करता क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य मंत्री जी जो भी बात करेंगे जिम्मेवारी के साथ कहेंगे। मैं यहां पर जो भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री को सत्य बोलने की आदत नहीं है और इस बात को पूरा प्रदेश जानता है। यह सच्चाई

है और मैं आगे बताऊंगा कि चिट्ठी कब छपी तथा कब दी गई। यह मेरे ऑफिस में रिकॉर्डिड है कि चिट्ठी कब मिली। हमारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री से फोन पर बात हुई। इन्होंने जब सूचना दी तब तो मैं गाड़ी में प्रवास पर था। मुख्य मंत्री जी ने अपनी गलती सुधारने का प्रयत्न किया परंतु उस सुधार में भी इन्होंने झूठ बोला है और यह बात मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की यू0पी0ए0 सरकार के समय में दो बार वित्तायोग बैठा था। उस समय हिमाचल प्रदेश को दोनों वित्तायोग में आर0डी0जी0 के 18 हजार 98 करोड़ रुपये मिले थे। इसके अतिरिक्त केंद्र में एन0डी0ए0 सरकार में जबसे श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भी दो वित्तायोग ही बैठे हैं जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 77823 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 मिली है। अब आप खुद बताइए कि हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय कब हुआ? यह तब हुआ जब 77823 करोड़ रुपये मिले या तब हुआ जब केवलमात्र 18 हजार 98 करोड़ रुपये मिले थे? ये आंकड़े हैं जिनको देखकर आपको समझ आनी चाहिए कि हम बोल तो रहे हैं परंतु इन सारी चीजों से जब पर्दा उठेगा तो हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कह रहा हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां दीं तथा साथ में यह भी कहा कि हम इनको पूरा करेंगे। आपने बहुत सारी फ्रीबीज दी हैं। आप कहते हैं कि हमने सात गारंटियां पूरी कर दी हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आपने कितनी गारंटियां पूरी की हैं परंतु जब इनके हिसाब-किताब का समय आएगा तो इस बारे में सारी बातें करेंगे। परंतु केंद्र सरकार के सामने यह भी एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन गया कि जब आप 10 गारंटियां दे

**16.02.2026/1705/av/aS/3**

सकते हैं, आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं और आपने प्रदेश की लगभग 23-24 लाख महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की गारंटी दी थी। हालांकि बाद में आप उससे

मुकर गए। आपने हिमाचल प्रदेश में दूध और गोबर के रेट का जिक्र किया। आपने प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का जिक्र किया, तो ऐसी सूरत मे हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की जरूरत है भी या नहीं है? ...(व्यवधान) आप लोग बेवजह मत बोलिए, हमने न तब विरोध किया था और न ही अब विरोध कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर स्पष्ट कह रहे हैं कि आपका राजनैतिक एजेण्डा था और हम यही कहेंगे कि आप उसको पूरा कीजिए।

**टी सी द्वारा जारी**

**16.02.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**श्री जय राम ठाकुर.... जारी**

अध्यक्ष महोदय, जब वित्तायोग ने इन्हें थोड़ी रोशनी दिखाई, पहले तो अंधेरे में चल रहे थे और जब रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट पर कट लग गया तब जाकर इन्हें लगने लगा कि आने वाले समय में कठिनाई होगी तथा जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं हो पाएंगे। हमारा लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग प्रश्न पूछेंगे और जवाब देना कठिन हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर इनके एक नेता हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर कई बार लॉन्चिंग हुई, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई। उनकी लॉन्चिंग बार-बार फेल होती रही है। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वे जब कोई चुनाव आता है, तो चुनाव से पहले ही परिणाम का अंदाजा लगाकर रोने का कारण पहले से ही तय कर लेते हैं। यही तरीका इन्होंने भी अपनाया। पहले कहा जाता था कि ई0वी0एम0 खराब है। हिमाचल में सरकार आपकी बन गई, तब ई0वी0एम0 ठीक थी। राजस्थान में बी0जे0पी0 जीत गई, तो वहां ई0वी0एम0 खराब हो गई। मध्य प्रदेश में ई0वी0एम0 खराब, छत्तीसगढ़ में ई0वी0एम0 खराब, बिहार में ई0वी0एम0 खराब, लेकिन कर्नाटक में चुनाव हुआ तो वहां ई0वी0एम0 ठीक थी।

अध्यक्ष महोदय, जब ई0वी0एम0 का मुद्दा समाप्त हो गया तो वोट चोर के माध्यम से रोने का नया तरीका निकाला गया। बिहार के चुनाव में 'वोट चोर गद्दी छोड़' इस विषय को लेकर बातें कही गईं। जब आपने राजनीति की बात कही तो मुझे भी कहना पड़ा। मैं तो केवल आर0जी0डी0 के विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन अंत में यह सब इसलिए किया गया क्योंकि जब परिणाम जो आएगा वह आएगा, लेकिन रोना कैसे है इसकी तैयारी पहले से कर ली। क्या आपको यह मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट बंद होने वाली है तो क्या सी0पी0एस0 बनाने बहुत लाजिमी थे क्या? आपको केन्द्रीय वित्त विभाग ने भी इनके बारे में कई बार गाइड किया होगा लेकिन वे कैबिनेट दर्जे के साथ दनदनाते रहे। जब हम सड़कों से जाते थे तो हमें अपनी गाड़ी मोड़ पर खड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि सी0पी0एस0 साहब पायलट के साथ आते थे।

**16.02.2026/1710/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

हमको मालूम नहीं होता था कि हमारी गाड़ी में कहां ठोकर मार दे। जब हम अधिकारी को फोन करते थे तो कहा जाता था कि अधिकारी सी0पी0एस0 के साथ है, सी0पी0एस0 साहब का टूर है। हम बाद में बात करेंगे लेकिन बाद में फोन आता नहीं था। सी0पी0एस0 के लिए आप कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते रहे और अभी तक 10 करोड रुपये से ज्यादा पैसा आप उनके लिए फीस के रूप में दे चुके हैं। आपको उस वक्त नहीं लगा कि यदि प्रदेश क आर्थिक संकट की स्थिति से जब गुजर रहा है तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए । फिर मित्रों की फौज बना दी। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर यही होता रहेगा तो हम बाहर चले जाएंगे। हमारा यहां रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चेयरमैन और वाईस चेयरमैन को हम 30 हजार रूपये मानदेय के रूप में देते थे लेकिन आपने उनका वेतन सीधे एक लाख रूपये बढ़ाकर एक लाख तीस हजार रूपये कर दिया। आज सबसे ज्यादा गालियां नेताओं को पड़ रही हैं और वह आपके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण पड़ रही है। आप (मुख्य मंत्री )क्या कर रहे हैं, लोग इस बात को देख रहे हैं। इसके अलावा आपने 90 एडवोकेट्स की एक पूरी फौज बना दी। आपको उस समय भी प्रदेश पर आर्थिक संकट नहीं दिखा। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आ जाता है लेकिन हिमाचल प्रदेश में

सरकार बनने के तीन साल पूरे होने का जश्न तो होगा और इस बारे में हमने कहा कि थोड़ा मेहरबानी करो, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी रखो।

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी**

16-2-2026/1715/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री जय राम ठाकुर----जारी

आपदा में 400 लोग मर गए हैं और अभी तक उनके परिवार के लोग लाशों को ढूंढ रहे हैं तथा अभी तक लाशें नहीं मिल रही हैं लेकिन सरकार जश्न मनाने व 10 करोड़ रुपये फूंकने के लिए मण्डी पहुंच गई। एच0आर0टी0सी0 ने 2 करोड़ रुपये का बिल उपायुक्त, मण्डी को भेजा है। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि आप किस मुंह से इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? आपने हिमाचल प्रदेश में आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से जो बातें सोची थीं तो क्या आपने उनको करने का प्रयास किया। आपको इन पर काम करना चाहिए था। इन सारी चीजों को लेकर जो बातें सोचनी चाहिए थीं और करनी चाहिए थीं तो क्या आपको उन सब पर काम करना आवश्यक लगता था या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे खोले हुए संस्थान बंद कर दिए लेकिन अपने आप घोषणा किए जा रहे हैं। अगर संस्थान बंद किए हैं तो आपको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं भी संस्थान न खोलूं। आपने संस्थान कहां खोले जहां हमने घोषणा की थी और चला हुआ संस्थान था आपने उसको बंद किया तथा उसके बाद दोबारा वहीं पर संस्थान खोल दिया। आपने देहरा, नदौन और पालमपुर में बी0डी0ओ0 का दफ्तर खोल दिया। नालागढ़ में जो संस्थान हमने खोले थे आपने पहले उनको बंद किया और उसके बाद वहां अपने आप संस्थान खोल दिए। थोड़ी तो कॉमन सेंस रखो। राजनैत्तिक दृष्टि से आप सोचो लेकिन इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए कि आप इन बातों को लेकर के इस प्रकार से व्यवहार करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तायोग के सामने फाइनैंस डिपार्टमैंट के प्रेजेंटेशन के विषय पर आता हूं। वित्त विभाग ने प्रेजेंटेशन दी और स्वाभाविक रूप से कुछ बातों का जिक्र प्रेजेंटेशन के दौरान किया। उन्होंने बताया कि ऐसा संकट है और उन सारी चीजों को लेकर बातें कही गईं। अध्यक्ष महोदय, विचित्र परिस्थिति यह है कि प्रेजेंटेशन सचिवालय में दी गई और उसके बाद प्रेजेंटेशन राजनैत्तिक लोगों के सामने पीटर हॉफ में भी दी गई। हमने सुनी और ये दोनों प्रेजेंटेशन्ज सेम थीं। वहां भी वही बातें कही गई थीं और यहां पर भी वही बातें कही गईं। वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आइना दिखा कर कहा गया कि आने वाले समय में हमें सारी सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेंगी। फाइनैंस

16-2-2026/1715/एन0एस0-डी0सी0/2

सेक्रेटरी ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमें सब्सिडी विड्रॉ करने के साथ-साथ जो हमारी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की क्रिएटिड लायबिलिटीज लगभग 1000 करोड़ रुपये से ऊपर की हैं। ठेकेदारों की पिछली पेमैंटस पेंडिंग हैं और ये पिछले तीन वर्षों से उनको नहीं दी जा रही हैं तथा हम उनको देने की स्थिति में भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर उसका टोटल करें तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ये लगभग 2000 करोड़ रुपये से ऊपर का अमाउंट है। उसके बाद कहा गया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को खोलने की बजाए रेशनेलाइज करना पड़ेगा। आगे कहा गया कि बिजली की पूरी सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी और एक्चुअल कोस्ट जो जेनरेशन पर आती है उस पर बिजली देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से राशन के बारे में कहा गया कि केंद्र सरकार से जो राशन मिलता है और राज्य सरकार उस पर जो सब्सिडी देती है तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। कर्मचारियों के एरियर के लिए कहा गया कि हम नहीं दे पाएंगे और डी0ए0 भी नहीं दे पाएंगे। वित्त विभाग की इस प्रेजेंटेशन को लेकर मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि अभी आने वाले समय में आर0डी0जी0 बंद होनी है, अभी बंद नहीं हुई है। अभी तक आर0डी0जी0 मिल रहा है तो क्या आपने एरियर या कर्मचारियों का जो डी0ए0 पेंडिंग था उसको दिया है? नौकरियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा क्योंकि यह संभव नहीं है। यहां तक कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का आधा पैसा दिया है और

आधा पैसा रोक कर रखा है। ऐच्छिक निधि भी रोक कर रखी है। ये हमारे लिए कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मिलती है। ये ट्रेजरी में फंसी हुई है और वहीं फंसी है। आगे कहा गया कि हिमकेयर की जो पेंडिंग पेमैंट है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

16.02.2026/1720/RKS/डीसी-1

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

सरकार उसे देने की स्थिति में नहीं है। ...(व्यवधान) अगर आपको लगता है कि इस योजना में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है तो अब तक आपने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? जिन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने यह भी कहा कि सहारा योजना भी बंद करना पड़ सकती है। यानी आपने पूर्व सरकार की सभी योजनाओं को बंद करने का फैसला कर लिया है। वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुति के माध्यम से जो तथ्य सामने रखे गए, वे अत्यंत चिंताजनक हैं। प्रस्तुति के अनुसार यदि सभी विकासात्मक कार्य, सब्सिडी, एरियर, महंगाई भत्ता तथा नए रोजगार सृजन को रोक दिया जाए तब भी एक वित्तीय वर्ष में लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय अंतर बना रहता है। यह स्थिति स्वभाविक रूप से गंभीर चिंता का विषय है। जब सारी प्रस्तुति सरकार के सामने दी गई तो उसके बाद मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह कहा गया कि फाइनेंस सेक्रेटरी केवल वित्तीय पक्ष रखता है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार को करना होता है। आप मुझे बताइए कि जब आपके पास रिसोर्सिज ही नहीं है तो ऐसे में आपने क्या फैसला करना है? हम सर्वदलीय बैठक में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि हम सरकार का स्पष्ट पक्ष जानना चाहते थे। Revenue Deficit Grant केवल एक राज्य का विषय नहीं है बल्कि देश के 17 राज्यों के संदर्भ में यह निर्णय लागू हुआ है। इनमें से अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पाटी या एन0डी0ए0 की सरकारें

कार्यरत हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की ही आर0डी0जी0 बंद होती तो हम इसके लिए जिस रूप में आप चाहते उस रूप में आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ते लेकिन देश के कुल 17 राज्यों की Revenue Deficit Grant बंद हुई है। क्या माननीय मुख्य मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि जब वित्त आयोग कर्नाटक के दौरे पर गया था तो वहां पर जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें कर्नाटक सरकार ने Revenue Deficit Grant देने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। इस पर आपका क्या कहना है? देश के मात्र तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार सत्तासीन है।

16.02.2026/1720/RKS/डीसी-2

कर्नाटक राज्य ने Revenue Deficit Grant देने का विरोध किया है। कर्नाटक सरकार आपके खिलाफ बोल रही है लेकिन आप यहां इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे Revenue Deficit Grant हिमाचल प्रदेश की ही बंद हुई हो। यह ग्रांट हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि 17 राज्यों की बंद हुई है और ऐसी सूरत में मैं मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा। आप हमारे सुझावों को नहीं सुनते हैं और जब सुनते हैं तो उन पर अमल नहीं करते। यह आपकी समस्या है और यह आपके स्वभाव का ही हिस्सा बन गया है। आप सारे सिस्टम को ऐसे चला रहे हैं जैसे आप अभी भी छात्र राजनीति में हो। आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। अब आप NSUI में नहीं हैं। आपको तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं। अब हम बुजुर्ग हो गए हैं। आपको इस बात को समझना चाहिए। सिर पर बाल होना काफी नहीं है। हमे खुद ही लग जाता है कि हम उम्र दराज हो गए हैं। बालों के कारण आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ...(व्यवधान) Revenue Deficit Grant की जो बात आती है उसमें हमारा

श्री बी0एस0द्वारा जारी

16.02.2026/1725/बी.एस./एच. के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

मोस्ट इफेक्टिव स्टेट में सबसे पहले नागालैंड है और नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश है उसके बाद त्रिपुरा है। इनमें 17, 12, और 12.27 प्रतिशत का इंपैक्ट है और बाकी राज्य में आप देखिए वहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, स्वाभाविक रूप से हमारी पीड़ा ज्यादा है, हम इस बात से सहमत हैं कि हमारे पास एक एश्योर्ड, एक आय का माध्यम बनता था, बनता था आर0डी0जी0 का था, परंतु अब आर0डी0जी0 नहीं मिल रही है। क्योंकि फैसला केंद्र सरकार का एक राज्य को ध्यान में रखकर के नहीं होगा परंतु सारे राज्यों के बारे में जिनकी आर0डी0जी0 बंद हुई है उन सब के संदर्भ में उनको एक फैसला करना होगा। आप उनको कन्वेंस करने के लिए अगर तर्क देते तो भी अच्छा था। चीजें कई बार ऊंचे बोलने से और खिलाफ बोलने से ठीक नहीं होती हैं। वे तर्क देने से ठीक होती हैं, धीरे बोलने से ठीक होती हैं और प्यार से बोलने से ठीक होती है। लेकिन आपने कभी न तर्क के साथ बोला न धीरे बोला और न ही आपने प्यार से बोला। आप एक ही बात को कहते रहे कि यह खैरात नहीं है। आप अधिकार की बात करते हैं, संविधान में देखिए, अध्यक्ष महोदय इस बात को मान कर चलना पड़ेगा कि दौर ऐसा आ गया कि हमें अधिकार के साथ-साथ आपने दायित्व का, हमारी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए। हर जगह अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए कि उस दिशा में सोचने का एक विषय है। आप बार-बार खैरात बोलते हैं, हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में सड़के बन रही हैं तो केंद्र की योजना के पैसे से बन रही है। यह सही है कि यह पैसा पहले भी मिलता था। परंतु यह पैसा कई गुना इंक्रीज हुआ है। पी0एम0जी0एस0वाई0 में आप इंक्रीस लेख लीजिए। मैं लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब पैसा आता तो एक बार तो धन्यवाद करते हैं

कि पैसा आया है। कभी आप भी तो बोला करिए। आज जो सड़के बन रही हैं वे नाबार्ड के पैसे से बन रही हैं, आपकी सड़कें सी0आई0आर0एफ0 के पैसे से बन रही हैं और वर्ल्ड बैंक के पैसे से बन रही हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हर नल में शुद्ध जल आ रहा है तो केंन्द्र सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हमसे अध्यक्ष महोदय जो आप बार-बार पूछते हैं कि आपको इतना पैसा मिला उसका जिक्र करते हैं कि जो जी0एस0टी0 कंपनसेशन का पैसा है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। जी0एस0टी0

16.02.2026/1725/बी.एस./एच. के.-2

कंपनसेशन का पैसा जी0एस0टी0 काउंसिल की मीटिंग में तय हुआ था जहां सारे राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे और जून, 2017 में जब यह तय हुआ कि हम जी0एस0टी0 लागू कर रहे हैं। इस पर सहमति बनी और सभी राज्यों ने एक मुद्दा उठाया कि हमारे साथ इस सारी चीज को जो हमारा सारा रेवेन्यू है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए थोड़े वक्त के लिए हमको जी0एस0टी0 कंपनसेशन के लिए केंद्र से मदद मिले। केंद्र ने जी0एस0टी0 काउंसिल की मीटिंग में फैसला किया कि जी0एस0टी0 कंपनसेशन का पैसा 5 साल तक होगा। यह फैसला जून, 2017 में हुआ और यह पैसा जून, 20 22 तक मिलता रहा और फिर उसके बाद कहते कि आपको इतने पैसा मिला। हमने वह पैसा कोई इस तरह से नहीं लिया कि हमने वहां पर बड़ा दबाव डाला। जो हमारे हिस्से के हिसाब से केंद्र सरकार ने एक फेडरल स्ट्रक्चर में पूरे देश के लिए एक फैसला दिया था उस फैसले के तहत हमें वह पैसे मिले और उस फैसले के तहत हमको ज्यादा पैसा मिला और इस पर इनको आपत्ति है। आप बार-बार कहते हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमें पैसा मिला तो हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई थीं। हमने हिमकेयर, सहारा, जनमंच, मुख्यमंत्री स्वावलंबन और शगुन योजनाएं चलाई। हमने जितनी भी योजनाएं चलाई उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। आप भाषण में बार-बार कहते हैं कि दोस्तों में यह पैसा बांट दिया। क्या यह संभव है?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**16.02.2026/1730/डी0टी0/एच0के0 -1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी...**

क्योंकि इनके दौर में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो इनका काम करने का तरीका है उससे उनको ऐसा लगता है कि सब ऐसा करते रहे। अध्यक्ष महोदय this is part of the record. हिमाचल प्रदेश में किसी मुख्य मंत्री को बोला जाता है पानी वाला मुख्य मंत्री, किसी मुख्य मंत्री को सड़क वाला मुख्य मंत्री कहा जाता है। मैं इन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन highest numbers of kilometers अगर सड़को का काम हुआ तो पूर्व सरकार के समय में हुआ। 4700 कि0मी0 की सड़कें बनाई गई। अगर केंद्र से पैसा आया तो सड़कें प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंची बल्कि मैं कहूंगा कि घर-घर तक सड़क पहुंची। आज पिछले तीन साल में प्रदेश की सड़कों की स्थिति कैसी है? माननीय विक्रमादित्य जी आपके पास महकमा है मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं। लेकिन हाल ही में प्रदेश में आए डिजास्टर में जो सड़के डैमेज हुईं हैं उन सड़कों से अभी तक मलवा नहीं उठ पा रहा है। मै अपने विधान सभा की बात करूं तो वहां पर जिन बसिजके रूट सात महिने पहले सस्पेंड की गई थी उनमें से 90 बसिज के रूट्स अभी तक नहीं चल पाई हैं। क्योंकि वे सड़के चलने लाइक है ही नहीं। क्योंकि अगर कहीं मलवा पड़ा है तो वह वहीं पड़ा है। अगर कही डंगा टूटा है तो वह वैसा ही पड़ा है। उसमें मैं किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हिमाचल प्रदेश में पूर्व में हमारी सरकार के दौरान पैसा आया है तो उसका उपयोग भी हुआ है। आजतक अगर पीने के पानी को आम जन को उपलब्ध करवाने का काम हुआ है तो सबसे ज्यादा काम पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल-यह काम हुआ है। आठ लाख घरों में नल लगा है और ये एक रिकार्ड है। आप हमसे पूछते हैं कि पैसा आया तो कहां गया? वे पैसा हमने लोगों की सुविधा के लिए खर्च किया है। आज परिस्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में चारो तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, एक के बाद एक योजना को बंद किया जा रहा है और वित्त सचिव के द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति और स्पष्ट हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गांरटियों के बारे में बहुत बाते कहीं कि गांरटियों को पूरा करना हमारी जिम्मवारी है। हम राजनैतिक लोग है और Finance Department will not decide everything. वे अपने सुझाव देंगे लेकिन हम फैसला करेंगे। लेकिन वित्त विभाग कहता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन देने का संकट विभाग के सामने होगा।

**16.02.2026/1730/डी0टी0/एच0के0 -2**

जी0पी0एफ0 का पैसा विड्रा करवाने के लिए हजारों की संख्या में कर्मचारी/अधिकारियों ने एप्लिकेशन दी है क्योंकि वे सोच रहे हैं कि सरकार के पास बाद में पैसा होगा कि नहीं होगा इसलिए समय से इसको विड्रा कर लो। इसलिए यह भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम योद्धा हैं। योद्धा तो एक ही बचा बाकि तो कोई नहीं बचा। वो पांडव थे वे तो चले गये। उसके बाद योद्धा ये बचे हैं और ये कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल आत्म निर्भर बन जाएगा। यह फार्मुला अभी तक हमको भी समझ में नहीं आया कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्म निर्भर राज्य कैसे होगा। मैंने वित्त विभाग के अधिकारियों से पूछा कि शायद मुख्य मंत्री जी ने आपके कानों में कहा होगा हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्म निर्भर राज्य कैसे बनाना है। वह फार्मुला क्या है हमें भी बताओ। उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ नहीं बताया है कि वह क्या फार्मुला है ? मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा ।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि वह फार्मुला अगर आप इस वित्तीय संकट की घड़ी में लागू नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इतना बड़ा वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर आया है अब आप उस फार्मुले को लगाओ-उस बह्मअस्त्र को इस्तेमाल करो ताकि यह प्रदेश आत्म निर्भर राज्य बन सके और वर्ष 2032 में सबसे अमीर राज्य बन सके, हमारी भी हार्दिक इच्छा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक मकसद के लिए इन सारे मुद्दो को इस रूप में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसे राननीतिक मुद्दे के नजरिये से देख रहे हैं तो स्वभाविकरूप से आप लोगों के बीच में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहें है उसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा और हम ठीक तरीके से इन बातों का जवाब देगें। अगर आप चाहते हैं कि केन्द्र में आपके इस पक्ष को रखा तो हम उसे अपने तरीके से देख लेगें कि इस पक्ष को किस प्रकार से रखा जा सकता है। यह प्रदेश हम सबका है। इस प्रदेश को जिस रूप से और जहां से मदद मिल सकती है, वह मदद मिलनी चाहिए। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना पक्ष कहा रखना है और कैसे रखना है इन सभी बातों को हम तय करेंगे लेकिन

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

**16.02.2026/1735/वाई.के.-एन.जी./1**

**श्री जय राम ठाकुर..... जारी**

आप (मुख्य मंत्री जी के लिए कहा) ने सारे विषय को लेकर इस प्रकार का माहौल खड़ा करने की कोशिश की है विपक्ष ने ही सब कुछ किया है। आप विपक्ष के लोगों को बाध्य नहीं कर सकते कि तुमको यह करना पड़ेगा या तुमको वह करना पड़ेगा। हम जो भी करेंगे अपने विवेक से करेंगे और चर्चा करके करेंगे। हमें अपना पक्ष जहां पर भी रखना होगा, वहां पर पूरे दम के साथ रखेंगे। हिमाचल प्रदेश हम सबका है, हिमाचल प्रदेश के लिए ज्यादा-से-ज्यादा मदद मिले और हमारा प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके, उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जो फैसले बिना सोचे-समझे लिए जा रहे हैं, वे सभी डिज़ास्टर साबित हुए हैं। उन फैसलों में चाहे वॉटर सैस का फैसला था, उसके लिए भी प्रदेश सरकार सही तर्क नहीं रख पाई और उसे सही साबित नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार ने लॉटरी का फैसला लिया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को वैध करने का फैसला लिया था, उसके लिए प्रस्तुति देकर कहा गया था कि बहुत पैसा आएगा, हम सभी भी खुश हुए थे कि पैसा आएगा तो अच्छी बात है लेकिन उस फैसले का भी कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने ग्रीन एनर्जी का फैसला किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने पावर पॉलिसी को बदल कर उसको बर्बाद करके तबाह कर दिया है और उस पर अभी तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। हमने अनेक बार कहा है कि प्रदेश सरकार में जिन प्रोजैक्ट्स को चलाने की क्षमता नहीं है उन्हें चलाने के लिए केन्द्र सरकार के उपक्रमों को दे दिया जाए। उन्होंने कुछ प्रोजैक्ट्स पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार उनको वापिस

करने की बात कर रही है। यानी के टोटली जिसको हम कंफ्यूजन कह सकते हैं और प्रदेश में पूरी तरह से मैस्सअप क्रिएट कर दिया गया है।

**16.02.2026/1735/वाई.के.-एन.जी./2**

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश संकट में है और प्रदेश सरकार को इसकी गम्भीरता को समझना चाहिए। मेरा कहना है कि सभी को गीमिक्स की पॉलिटिक्स छोड़नी चाहिए। जिन बातों में तर्क हैं, उन्हें कहने का प्रयास करें और पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आप (मुख्य मंत्री के लिए कहा) जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। मैं बैठक में नहीं गया तो मुद्दा बनाया गया और मैं बैठक में गया तो भी मुद्दा बनाया गया। इन सभी चीज़ों से बाहर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी बात व केस सही प्रकार से रखना चाहिए और हम कतई भी इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले इन सभी चीज़ों का जवाब दीजिए कि चुनावों से पहले जब आपने (मुख्य मंत्री जी के लिए कहा) गारंटियां दी थीं, तो क्या इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचा था? जब आपने फिजूलखर्ची करते हुए सी0पी0एस0, एडवोकेट जनरल, सलाहकारों व चेयरमैन्ज़ की लाइन खड़ी कर दी, तो क्या इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचा था? प्रदेश की जनता चाहती है कि यदि आपने सुधार करना है तो शुरूआत यहीं से कीजिए। आपने अपनी सरकार के संचालन के लिए मित्रों का एक टोला बनाकर पूरे प्रदेश भर में जो सुविधाएं देने का फैसला किया है, पहले उस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि आने वाले समय में यह संकट सैलरी पर भी आएगा, यह संकट पेंशन पर भी आएगा और यह संकट जी0पी0एफ0 तक भी पहुंचेगा। यह संकट आने वाले समय में अन्य बहुत सी जगहों तक पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में आप (मुख्य मंत्री के लिए कहा गया) ठंडे दिमाग से पूरी बातों को लेकर विचार कीजिए। लेकिन आप

लगातार पॉलिटिकल स्टेटमैंट्स दे रहे हैं। आप श्री नरेन्द्र मोदी जी और मेरे ख़िलाफ जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन उससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा और यदि सुधार होता है तो बोलते रहिए।

**16.02.2026/1735/वाई.के.-एन.जी./3**

मेहरबानी करके एक काम जरूर कीजिए कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं, उन पर काम कीजिए। हम सर्वदलीय बैठक में इसी बात को लेकर गए थे कि प्रदेश सरकार का व्यू प्वाइंट क्या है? लेकिन आपने अपना व्यू प्वाइंट न अभी तक बताया है और न ही बताने की स्थिति में हैं। हमने आपसे पूछा है कि वर्ष 2027 और वर्ष 2032 वाला फार्मुला कौन-सा है और आज उस पर ही प्रकाश डाल दीजिए। यहां पर सारी बातें राजनीतिक मकसद से की जा रही हैं और मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आज कड़े व बड़े फैसले लेने होंगे और प्रदेश में आप सरकार में हैं इसलिए ये फैसले भी आपको ही लेने होंगे। हम उसके बाद उनका आंकलन करेंगे, फैसले सही होंगे या नहीं, उस पर पूर्ण विचार करेंगे। हम बाध्य नहीं हो सकते कि आप जो चाहते हैं, हस उस प्रकार से सभी चीजों को करें। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर निकले, यह हम सभी की हार्दिक इच्छा है। यह प्रदेश सभी का है, आपका (सत्ता पक्ष के लिए कहा) जितना है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हमारा भी है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री.....श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**16.12.2026/1740/एच.के. /ए.पी/01**

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता कहते है कि प्रदेश आपका भी है और हमारा भी है। हमारा व्यू पॉइंट तो आपको पता है कि हम आपके नेतृत्व में चलने को भी तैयार हैं। आर0डी0जी0 पर आप बोल नहीं रहे, बल्कि गवर्नर के भाषण पर बात बोल रहे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता तनाव में रहते है और तनाव आंतरिक होता है। आंतरिक तनाव के कारण आर0डी0जी0 के मामले में वे अपना पक्ष नहीं रख पा रहे। वे कहते हैं कि सैलरी और पेंशन बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वह स्थितियां जब बनेगी तब देखेंगे। आज मैं यह कहना चाह रहा हूं आपको कि आर0डी0जी में सरकार का पक्ष सरकार अपने तरीके से रखेगी, पर हम आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार हैं। अब विपक्ष के नेता की बात सुन रहे थे उन्होंने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि यह होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति हुई है या किसी सरकार के बजट से 10,000 करोड़ रुपये की कमी हुई तो किस तरह की स्थिति पैदा होगी। यह व्याख्यान फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया। विपक्ष के सदस्यों को भी बताया। अब विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जी जब झूठ बोलते पकड़े गए कि हर्षवर्धन जी ने कहा, तो उसमें सफाई देने लगे। मैं उस उस विषय की गहराई पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं भी पूरा आकलन करता हूं। सवाल उठता है कि हम वर्ष 2027 में कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? वर्ष 2010 और 2015 की आर0डी0जी0 गिना दी। इसके अलावा अपना कर्ज भी गिना दिया। इन्होंने ही गिनाया है, मैने तो नहीं गिनाया। अभी इस पर मेरा रिप्लाई आना है। आप यह बताए कि जिनको 70,000 करोड़ रुपये मिला और जिनको 17,000 करोड़ रुपये मिला। तीन गुना पैसा मिलने के बावजूद भी 76,680 करोड़ रुपये का जो यह कर्ज छोड़कर चले गए। उसके बाद हमारी सरकार द्वारा किये गये व्यवस्था परिर्वतन के द्वारा, हमारे नीतिगत बदलावों के द्वारा, 17,000 करोड़ रुपये के बाद भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

**16.12.2026/1740/एच.के. /ए.पी/02**

फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो कहा है उन्होने आपके सामने सच्चाई रखी है। निपटाना तो हमने है, फाइनेंस मिनिस्टर और मुख्य मंत्री ने निपटना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पर जितना मर्जी दबाव आए, हम सरकारी कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 देंगे,

बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करेंगे, उसको मजबूत बनाएगें। विपक्ष द्वारा जो भ्रष्टाचार वाली हिमकेयर योजना चलाई गई थी उसको में स्वरूप दे रहा हूं। जिसमें कई लोगों के नाम आएगें कि किस तरह प्रदेश की संपदा को लुटाया गया है। हम उस योजना को भी चलाएगें और जनता की अदालत इसी बजट में होगी। हम सहारा योजना को भी चलाएगें। मैं एक बात बताता हूं कि अच्छा वित्त मंत्री कौन होता है जो 70,000 करोड़ रुपये लुटाए या 17,000 करोड़ रुपये से काम चला दे? इसके अलावा ओ0पी0एस0 दें और अतिरिक्त बोरिंग 1800 करोड़ रुपये बंद हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तो वहीं बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। कहा जा रहा है कि सी0पी0एस0 की फौज खड़ी कर दी गई। 6 सी0पी0एस0 बनाए गए थें। अपने ओ0एस0डी0 लगा दिए, उन्हें एडवाइजर बना दिया। शिशु धर्मा और त्रिलोक जमवाल जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल मिलता था, उन्हें फिक्स वेतन मिलता था।

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**16.02.2026/1745/AT/AG/01**

**Speaker:** Please take your (Shri Trilok Jamwal ji) seat.

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, संपदा को कैसे लूटा जा रहा है... (व्यवधान)। चिंता मत करिए विक्रम जी, हम खुश नहीं हैं,हम संभलकर चल रहे हैं... (व्यवधान)। समझदारी से चल रहे हैं... (व्यवधान)। यह वर्ष 2027 में समझ आएगा, चिंता मत करो। इस चाल का रूप वर्ष 2027 में समझ आएगा। यह बात याद रखना कि जिस प्रकार से आप अभी भी प्रदेश के हित के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, मुझे यह कहने में दुख हो रहा है।

**Speaker:** He is clarifying.

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)। आपने भी बोला, वरना आपने बोला ही नहीं... (व्यवधान)। फिर कहा कि हमारे सिर के बाल उड़ गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं फाइनेंस अच्छा चल रहा है, तो कह रहे हैं कि वैसे ही चला रहे हैं जैसे युवा थे। इसमें मेरा

क्या कसूर है? आपके बाल इसलिए उड़ गए कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको राज्य की चिंता ही नहीं थी। हमारे बाल इसलिए रहे क्योंकि हमें चिंता भी है और हम सोच-समझकर हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमारे समय नल्कों में सबसे ज्यादा जल जीवन मिशन के समय पैसा आया। आपके समय की 1150 करोड़ रुपये एरियर की लायबिलिटी पड़ी है। जे0जे0एम0 की पाइपें कहां मिलीं? गुणा खड्ड, पूंग खड्ड, महेंद्र सिंह जी के घर के पास खड्डों में बहती हुई मिलीं, स्पीति में... (व्यवधान)। हमारे तीन साल... (व्यवधान)।

**Speaker:** Please, please.

**मुख्य मंत्री :** हमारा तीन साल का कार्यक्रम मंडी में हुआ और यह कह रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं। हमने कभी जश्न नहीं मनाया। हम जश्न नहीं मानते। श्री जय राम ठाकुर जी की विधान सभा क्षेत्र में जितने भी लोगों का देहांत हुआ, उन्हें हमने कम्पनसेशन दिया और घर बनाने के लिए आठ लाख रुपये की राशि भी दी। इतना ही नहीं, एक और बात बताऊं, आज बता रहा हूं, जय राम जी, 130 करोड़ रुपए सी0आर0एफ0 के संबंध में माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से चर्चा हुई कि हमें अपनी प्रायोरिटी पीछे करनी है और जय राम जी की रोड की प्रायोरिटी है उसे पहले डालना है। इन्होंने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी केंद्रीय

**16.02.2026/1745/AT/AG/02**

मंत्री को जबकि आपकी विधान सभा क्षेत्र में हमने स्वीकृति दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या जय राम जी ने कोई चिट्ठी लिखी? कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हमारा दर्द दिखा, उनके विधान सभा क्षेत्र में छतरी तक सड़क को हम डबल लेन करने जा रहे हैं। और यह हाल देखिए 71,000 करोड़ रुपये का कर्ज, 11वें और 12वें वित्त आयोग की बात सुन रहे हैं, लेकिन इस वित्त आयोग में जो हुआ उसकी बात नहीं सुना रहे। मैंने कहा है कि यह प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपये में सरकार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर प्रदेश की कहानी लिख रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 7 गारंटियां पूरी की हैं ...(व्यवधान)

आपके पास सब आएगा, सारी चीजें आएंगी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया है जो चीज 10 रुपये की होनी चाहिए थी, वह 20 रुपये में खरीदी गई, 20 रुपये में बेची गई, 50 रुपये में बेची गई, 100 गुना रुपये में बेची गई, मैं आपके सामने सब लाऊंगा ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) इन्होंने एक बात और कही ...(व्यवधान)

**Speaker:** Please, please.

**मुख्य मंत्री** : लास्ट के दो साल में ही लाई जाती हैं ये चीजें। चिंता न करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये सी0पी0एस0 बचाने के लिए लगा दिए। यह भी झूठ है।

**एम0डी0द्वारा जारी .....**

**16-02-2026/1750/AG/MD/1**

**मुख्य मंत्री---जारी**

आपने एक और बात की कि ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ रुपए सी0पी0एस0 पर लगा दिए गए, यह भी झूठ है कि सी0पी0एस0 को बचाने के लिए लगाए गए। आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सिर में बाल नहीं रहे, पर झूठ मत बोलिए। यह दूसरा झूठ आप बोल गए---(व्यवधान)। तीसरी बात, अभी आप एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं कि इतने लगा दिए, और अपने समय में 72 लगाए हुए थे। अपने समय की बात नहीं कहते। "खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे" यह मुहावरा इन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको एक बात बता दूं, हमने क्या किया हमने छोटे से डिप्टी ए0जी0 से लेकर असिस्टेंट ए0जी0 तक सभी को काम पर लगाया, पूरे कागज इकट्ठे किए। जहां हम वर्ल्ड फ्लावर हॉल के 401 करोड़ रुपए लेने में सफल हुए और जे0एस0डब्ल्यू0 के केस में, अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया था। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से 18 प्रतिशत की फ्री क्वालिटी का केस

जीतकर उसे 200 करोड़ रुपए तक पहुंचाय...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, धन्यवाद।

**16-02-2026/1750/AG/MD/2**

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री कुलदीप राठौर जी भाग लेंगे।

**श्री कुलदीप राठौर :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी यहां बड़ी लंबी चर्चा हुई और हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वे भी दिल खोलकर बोले। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, अच्छा होता कि वे बैठकर सुनते। यदि वे सुन रहे थे, तो उन्हें पूरा सुनना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं कि वे क्यों पलायन करके चले गए। आज जो यह संकल्प लेकर श्री हर्षवर्धन चौहान जी आए हैं, मेरा मानना है कि इस मामले को राजनीति का रूप दिया जा रहा है। यह बहुत छोटी सी बात है, इसमें हमें कोई लंबी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आर0डी0जी0 बंद हुआ है, तो उसके कारण यहां गिनाए गए हैं। इस पर यहां विस्तार से चर्चा भी हुई है। अब मेरा यह मानना है कि हमें निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह पैसा हिमाचल की जनता के लिए खर्च होना है और इसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग। इसकी शुरुआत भी हुई है

लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का महत्व होता है

(श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए)

और सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया गया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी मौजूद नहीं थे।

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---**

**16.02.2026/1755/केएस/एएस/1**

**श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी** --

उन्होंने मुझे कहा कि आप पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप भी उस बैठक में जाएं। मैं बैठक में गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री बिन्दल जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम जी, रणधीर शर्मा जी, त्रिलोक जम्वाल जी और विनोद कुमार जी उस बैठक में मौजूद थे। उसमें वामपंथी पार्टी और जो भी पंजीकृत दल हैं उन सभी को बुलाया गया था। सभी दलों का यह मानना था कि हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि आर0डी0जी0 बंद ना हो। मैंने भी अपनी बात कही और कांग्रेस पार्टी का पक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रखा क्योंकि मैं रुलिंग पार्टी का सदस्य हूं। ...(व्यवधान) जय राम जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त यहां नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, आप जाएं। हम यह चाह रहे थे कि उस बैठक का एक अच्छा नतीजा निकले और एक सार्थक चर्चा करें। वहां पर जय राम जी बड़े शांत बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री बिन्दल जी शुरू से ही कंफ्रंटेशन के मूड में थे। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वे एकदम उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि आप केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं और आपने यह बात कही कि मोदी साहब निष्ठुर हैं। जय राम जी, वहां आप भी मौजूद थे, मैंने मोदी साहब के बारे में कोई बात ही नहीं की और मैं क्यों करता? हां, मैंने एक बात जरूर कही कि मोदी साहब को हिमाचल के बारे में, यहां की परिस्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। निष्ठुर कोई अपमानजनक शब्द नहीं है और जम्वाल जी, आप तो वकील हैं आप ही बता दें कि क्या ऐसा है? इस तरह की बात हुई और वे उठकर बाहर चले गए। उसके बाद जय राम जी भी चले गए। मेरा यह मानना है कि अगर हिमाचल में आर0डी0जी0 खत्म होती है तो आने वाले समय में नुकसान होगा। हमारी सरकार इतने समय तक रही और आपकी भी बनी, भविष्य में भी यह चलता रहेगा लेकिन इसका नुकसान प्रदेश को होगा और मैंने तो एक बात के लिए जय राम जी की तारीफ भी की कि कोरोना काल के समय यह बंद हो रही थी लेकिन आपने पक्ष रखा और केंद्र सरकार नेउसको मंजूर किया और यह बंद नहीं हुई। कोरोना तो पूरी दुनिया में था लेकिन आज यहां कोरोना से ज्यादा खराब परिस्थितियां हैं। आपने 17 राज्यों की बात की। उसमें कर्नाटक भी शामिल है और वहां हमारी सरकार है लेकिन उनकी

**16.02.2026/1755/केएस/एएस/2**

परिस्थितियां हमसे अलग हैं। वर्ष 2023 में इन 17 राज्यों में डिजास्टर नहीं आया, वह हिमाचल में ही आया था। हम अभी तक उस आपदा से नहीं उभर पाए थे और वर्ष 2025 में फिर डिजास्टर आ गया। आप परिस्थितियां देखें, जिन 17 राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं वहां ऐसी परिस्थिति नहीं हैं। नुकसान हम सभी का हुआ और जय राम जी, आपके चुनाव क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, मौतें हुईं। केंद्र से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह हमें नहीं मिली। क्या हमें यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि केंद्र ने हमारी मदद नहीं की? आप कहते हैं कि इतना पैसा मिला। हमारे सांसद भी आंकड़ों के साथ आते हैं कि हमने हिमाचल की इतनी मदद की। अगर वास्तव में मदद की है, मैंने पिछली विधान सभा में जब अपनी तकरीर दी थी, उस वक्त भी यह बात कही कि आप श्वेत पत्र ले कर क्यों नहीं आए कि आपने हिमाचल की इतनी मदद की?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**16.02.2026/1800/av/AS/1**

**श्री कुलदीप सिंह राठौर------ जारी**

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से पैसा मिलता है और वह कोई एहसान नहीं है। हिमाचल भारत संघ का एक राज्य है और हमारे अधिकार हैं। अगर हमें अपने अधिकार न मिले तो क्या हम उसके लिए अपनी आवाज भी न उठाएं? विश्व में जिन देशों में लोकतंत्र है वहां इस प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। यह केवल हिमाचल की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर केंद्र में किसी और दल की सरकारें हैं तथा उनके राज्यों में किसी और दल की सरकारें हैं। वे भी इस प्रकार का मुद्दा उठाते हैं और केंद्र की सरकारें उनकी मदद करती हैं। अगर हमने यह मुद्दा उठाया है तो यह इसलिए उठाया है

क्योंकि वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश को जो क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। वह पूर्ति कौन करेगा? हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। हमारे पास आय के रिसोर्सिज बहुत कम है इसलिए हमें केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। यहां पर कहा गया कि केंद्र सरकार ने मदद की और जब केंद्र में समय-समय पर काँग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, यहां पर उस वक्त के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। आप खुद देखिए कि आज डॉलर की कीमत 90 रुपये हैं। केंद्र में काँग्रेस पार्टी की सरकार के समय में डॉलर की कीमत 50 रुपये से नीचे थी। आप खुद देख सकते हैं कि आज कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन आई है। निश्चित तौर पर समय के साथ मदद की राशि बढ़ेगी। अगर केंद्र सरकार ने मदद की है तो वह हमारा अधिकार है, क्या हम अपने अधिकार की बात भी न करें? मैंने उस दिन मीटिंग में भी यह बात कही थी कि हिमाचल पर्यावरण की रक्षा करता है। जंगल और पानी पर केंद्र का अधिकार है, उस एवज में हमें क्या मिलता है? मैंने एक बात और कही थी कि हिमाचल का इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप खुद देखिए वर्ष 1962 की लड़ाई हुई, फिर वर्ष 1971 की लड़ाई हुई तथा उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। उसमें सबसे ज्यादा बलिदान यदि किसी ने दिया है तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने दिया है। तो क्या आज हमारा इतना हक भी नहीं बनता कि हम अपने लिए कुछ मांगें, हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

**16.02.2026/1800/av/AS/2**

आप लोग मुख्य मंत्री जी पर आक्षेप कर रहे थे, आप इन बातों को छोड़िए। मेरा श्री जय राम ठाकुर जी से अनुरोध है कि आप इस बात को गंभीरता से सोचें। आप यह न सोचें कि वर्ष 2027 में चुनाव है और आप चुनाव के दृष्टिगत हिमाचल का गला इस तरह से घोंटों कि कल हम केंद्र से मदद मांगने लायक भी न रहें। मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति हो रही है जोकि नहीं होनी चाहिए। चुनाव, चुनाव की जगह है। आपने बहुत अच्छे काम किए, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे मिशन्ज लाएं जिसमें आपकी केंद्र सरकार ने मदद की है। उस समय केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में भी आपकी

पार्टी की ही सरकार थी परंतु आप चार उप चुनाव हारे थे। उसके बाद आप विधान सभा के चुनाव भी हारे। उस समय कोई-न-कोई बात तो थी जोकि प्रदेश की जनता को पसन्द नहीं आई। वर्ष 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें देखेंगे कि कौन-सा दल चुनाव जीतकर आता है। परंतु आज प्रदेश की जनता देख रही है कि उनके हितों के साथ कौन-कौन खड़ा है। आप व्यक्तिगत आक्षेप छोड़िए और मैं व्यक्तिगत आक्षेप में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आज हमें केवल अपने राज्य का हित देखना है और राज्य का हित इस बात में है कि अगर यह बंद होगी तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमारा एक छोटा-सा राज्य है और आप बताइए कि हम संसाधन कहां से जुटाकर लाएं? ठीक है, हमें मितव्ययिता से काम करना है और मैं इस बात से सहमत हूं परंतु यह बंद नहीं होनी चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में काँग्रेस पार्टी की सरकार है और केंद्र में एन0डी0ए0 की सरकार है तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने यहां से भारतीय जनता पार्टी के चार सांसद जीताकर भेजे हैं। आप इस बात को भी समझिए कि अगर श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है।

**टी सी द्वारा जारी**

**16.02.2026/1805/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**
**श्री कुलदीप सिंह राठौर.... जारी**

यह अलग बात है कि आज हमारे 4 सांसद और राज्यसभा के सदस्य हिमाचल के हितों की बात नहीं करते। जब किसानों का मुद्दा आएगा तब उसमें भी चर्चा होगी कि हिमाचल के बागवानों और किसानों के साथ क्या हो रहा है। इस विषय पर यहां चर्चा होती है लेकिन दिल्ली में कोई मुंह नहीं खोलता। जनता की आशा होती है कि यहां से जो सांसद चुनकर गए हैं, वे वहां जाकर प्रदेश के हितों की बात करें। आप केवल इस बात को लेकर न बैठें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में सुखविन्दर सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, मुख्य मंत्री पहले भी रहे और आगे भी बनेंगे, लेकिन हिमाचल का हित सर्वोपरि है। आने

वाला इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब हिमाचल के हितों की बात थी और केंद्र से जो मदद मिल रही थी, उसमें किसने प्रदेश का पक्ष लिया। आप राजनीतिक दलों की बात छोड़िए। हम किस राजनीतिक दल से हैं इस बात को छोड़िए लेकिन हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आगे भी नुकसान होने की आशंका है। आगे भी सरकार बनेगी, उसे किस प्रकार चलाया जाएगा, यह भी सोचना होगा। मेरा श्री जय राम जी से निवेदन है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में मुख्य मंत्री रहे हैं। यहां बार-बार कहा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में सत्तारुढ़ दल भी दिल्ली जाने को तैयार है। इससे कोई बड़ा या छोटा नहीं बनेगा। यदि यह मदद आएगी तो सभी को लाभ होगा। वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में जो नुकसान हुआ, उसकी भी हमें पूर्ति करनी है। आपने स्वयं कहा है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। अभी भी पानी की सप्लाई लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इतना अधिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आवश्यक है और जो नुकसान हुआ है, वह सबका हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया उसका नुकसान हुआ और जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया उसका नुकसान नहीं हुआ है। आपदा जहां भी आई, जिस स्थान पर आई, वहां सबका नुकसान हुआ। मेरा एक अनुरोध है कि हम इन संकीर्ण बातों से ऊपर उठें। यहां आकर परस्पर स्कोर सेटल करने, एक-दूसरे का विरोध

**16.02.2026/1805/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

करने और अपने-अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश को छोड़ दें। आप एक बात सोचिए कि हिमाचल का हित सर्वोपरि है।

हिमाचल प्रदेश को बनाने में हमारे नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है चाहे वह डॉ0 परमार जी हों, श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री रामलाल जी, श्री शांता कुमार जी और श्री धूमल जी भी ने भी इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है यानी इन सबका योगदान रहा है। आज इस पहाड़ी प्रदेश के अस्तित्व की बात है और इस प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि आने वाले समय में इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश होगी, लेकिन आत्मनिर्भर होना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना मत है कि यह बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर विपक्ष के सभी साथियों से अनुरोध है कि एक-दूसरे को नीचे दिखाने की

बात छोड़ दें। आज श्री हर्षवर्धन चौहान जी जिस संकल्प को लेकर यहां आए हैं, हम सब इकट्ठे होकर एक डेलिगेशन बनाकर जाएं। उस डेलिगेशन में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और हमारे सभी सांसद शामिल हों। हमारी प्रधानमंत्री जी से कोई लड़ाई नहीं है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हां, जहां हमें लगेगा कि लोकतंत्र में कुछ गलत हो रहा है, वहां हम अपनी बात रखेंगे। आप भी अपनी बात रखते हैं। आपने भी हाल ही में प्रतिपक्ष के नेता के बारे में अपने रिफरेंस दिए हैं लेकिन हम मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहते हैं। इन बातों को छोड़िए। आज समय की मांग है कि प्रदेश में जो हालात बने हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी**

16-2-2026/1810/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर----जारी

क्योंकि आपस की इस खिंचतान से किसी का नुकसान नहीं होगा, शायद हमारा कम नुकसान होगा लेकिन प्रदेश की गरीब जनता जिन्होंने आपदा का दंश सहा है उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है और मैं लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। मेरेा निवेदन है कि पूरा सदन मिल कर चले और माननीय प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार से गुहार लगाए कि हिमाचल प्रदेश की आर0डी0जी0 न अभी बंद होनी चाहिए और न ही भविष्य में बंद होनी चाहिए। धन्यवाद।

16-2-2026/1810/एन0एस0-डी0सी0/2

**सभापतिः** अब इस चर्चा में माननीय रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

**श्री रणधीर शर्मा :** सभापति महोदय, आज सरकार की तरफ से नियम-102 के अंतर्गत "प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जोकि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है उससे प्रदेश में आर्थिक

संकट पैदा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए यह संकल्प लाया गया है। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मुझे लगता है जितना गंभीर यह मुद्दा है उतनी सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। मुख्य तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी जिनकी जिम्मेवारी प्रदेश को चलाने और संभालने की है और वित्त मंत्री होने के नाते इस विषय को लेकर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। दिनांक 01 फरवरी, 2026 को केंद्र सरकार का बजट आया, 16वें वित्तायोग की सिफारिशें आई हैं उस दिन से अगर हम मुख्य मंत्री जी के बयानों को देखें तो इनके बयानों से प्रदेश के आर्थिक संकट को लेकर कहीं गंभीरता नहीं झलकती है। राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर यह संकट का दौर है तो आवश्यकता है कि सरकार इस दौर में से कैसे बाहर निकले और प्रदेश को कैसे निकालें, हम उस पर चर्चा करें और उस पर सुझाव मांगे लेकिन यहां तो उल्टी राजनीति हो रही है कि आपका क्या स्टैंड है ताकि वहां पर स्टैंड को बोल कर अपनी राजनीति कर सकें। क्या यह राजनीति का विषय है? उस राजनैत्तिक फायदे के लिए ऐसे-ऐसे तथ्य गढ़े जा रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। बोलते और लिखते वक्त यहां तक चले गए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट संवैधानिक अधिकार है। यह संविधान में लिखा है। आर्टिकल-275 में लिखा है। (कागज दिखाते हुए) आर्टिकल-275 यह है। आर्टिकल-280 में वित्तायोग के गठन की बात है कि वित्तायोग गठित होगा। आपने आर्टिकल-275 को यहां डिलीट कर दिया। आपने जो यहां चार लाइनें इस प्रेजेंटेशन में लिखीं तो उसमें कहीं भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शब्द नहीं है और इस पूरे आर्टिकल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शब्द है। इसमें ग्रांट्स देने की बात है और वह भी योजनाओं के आधार पर देने की बात है। वे ग्रांट्स दी जाती रहीं हैं, दी जाती रहेंगी, उसको किसी ने बंद नहीं किया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब से मिल रही है तब से ही हर व्यक्ति को पता है कि वह टेंपोरेरी यानी अस्थायी है।

16-2-2026/1810/एन0एस0-डी0सी0/3

इसके लिए किसी पत्र या नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वह आपको ऐड है कि आपका जो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का गैप है आप उसको पूरा कीजिए परन्तु आप साथ में अपने पैरों पर भी खड़े हो जाइए। एक समय के बाद इसे बंद होना है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

16.02.2026/1815/RKS/HK-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

परंतु यहां संवैधानिक अधिकार का रूप दे दिया गया। फिर यह कह दिया गया कि यह पहाड़ी राज्यों का अधिकार है। लेकिन जिन 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही थी उनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य भी सम्मिलित हैं। क्यो ये सब पहाड़ी राज्य हैं? आप आर्थिक लाभ लेने के लिए कुछ भी बोल दीजिए यह कहीं तर्कसंगत नहीं है? इससे स्पष्ट होता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आपने कह दिया कि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार कार्यरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है उनमें अधिकतर भाजपा शासित राज्य हैं। आप मुझे बताइए कि हरियाणा, उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में किस पार्टी की सरकारें कार्यरत हैं? अधिकतर राज्य भाजपा शासित हैं जिनकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है। अभी श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने अपने भाषण में कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसलिए बंद की है ताकि हमारी सरकार को चुनावों में नुकसान झेलना पड़े। मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। ये नीतिगत फैसले चुनाव या पोलिटिकल पार्टीज को देखकर नहीं लिये जाते हैं। इसलिए हम जब बात करें तो तथ्यों पर करनी चाहिए। अगर आलोचना के लिए आलोचना करनी है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय या भेदभाव हुआ है तो वह हमेशा केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की है। श्री हरदीप सिंह बावा जी, जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री थे तो उस समय नालागढ़ और बद्दी में काफी उद्योग स्थापित

हुए थे और प्रदेश को औद्योगिक पैकेज भी मिला था। वे राजनेता थे लेकिन स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने इस पैकेज को बंद कर दिया। यह पैकेज वर्ष 2000 से वर्ष 2010 तक था लेकिन स्टेट्समैन डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने इस पैकेज को वर्ष 2007 में ही क्लॉज कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ प्रेम दर्शाता है। ...(व्यवधान) मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। आदरणीय

16.02.2026/1815/RKS/HK-2

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। विशेष राज्य का दर्जा देने के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार को 90 प्रतिशत और राज्य सरकार को 10 प्रतिशत हिस्सा देना होता है। ...(व्यवधान) चाचा जी (श्री चन्द्र कुमार जी की ओर इशारा करते हुए।) मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है वहां 70:30 या 60:40 की रेशो है। इस विशेष राज्य के दर्जे को भी डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने ही छिना था। यह अन्याय भी उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश के साथ किया था। मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधान मंत्री बनने के बाद फिर से इस विशेष राज्य के दर्जे को बहाल किया और अब हमें 90:10 की रेशो में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय योजनाओं में कितना लाभ मिल रहा है यह आप सब जानते हैं। आप 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के बारे में कह रहे हैं। इसमें सिर्फ आर0डी0जी0 ही नहीं मिलती। वित्तायोग के पैटर्न तय करते हैं कि जो सेंटर का कलैक्शन है

श्री बी0एस0द्वारा जारी

16.02.2026/1820/बी.एस./एच.के-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

वह कितना सेंटर के पास रहेगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा और एक-एक स्टेट्स को कितना-कितना मिलेगा? वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय 32 प्रतिशत कलेक्शन प्रदेशों को आता था और 68 प्रतिशत केंद्र सरकार के पास रहता था। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वे मुख्यमंत्री रह करके आए थे और राज्यों का दर्द समझे थे इसलिए 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर उन्होंने 42 प्रतिशत किया था, यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी प्रदेश के राज्यों के हिस्सेदारी में की गई थी। यह ठीक है कि बाद में जम्मू-कश्मीर में जब यूनियन टेरिटरी आया तो 42 प्रतिशत की बजाय 41 प्रतिशत हो गया। अब 59 प्रतिशत सेंटर के पास और 41 प्रतिशत राज्यों के पास है, फिर जो वह 41 प्रतिशत बंटता है उसमें हिमाचल प्रदेश को इस बार लाभ हुआ है। पिछली बार जो 41 प्रतिशत बना था उसका 0.83 प्रतिशत मिला था परंतु इस बार 0.91 प्रतिशत मिल रहा है और सीधी-सीधी 2,450 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में हो रही है। 16वां वित्तायोग यह भी तय करता है, जो भी वित्तायोग होंगे, कि जो हमारी ग्रामीण संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं और शहरी निकाय हैं इनका बजट कितना आता है? उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपकी यह प्रेजेंटेश बता रही है, परंतु इस प्रेजेंटेशन में हेरा फेरी वहां की गई है जहां फायदा हुआ वह आंकड़ा नहीं बताया गया है परंतु जहां नुकसान हुआ वह आंकड़ा बता दिया गया है। अब यह आपकी प्रेजेंटेशन बता रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निकायों में इस बार 4,179 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि पिछले साल 2,528 करोड़ रुपये मिले थे। यह सीधा-सीधा 1,600 करोड़ रुपये की वृद्धि है। लेकिन आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे? आप इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे कि वित्तयोग आपदा में एस0डी0आर0एफ0 और एस0डी0एम0एफ0 के पैसे के आवंटन को भी तय करता है। जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि ये तो हमें मिलना ही था। हां, जब आपदा विशेष आती है तो एन0डी0आर0एफ0 का पैसा भी मिलता है और पी0डी0एन0ए0 का पैसा भी मिलता है। उसमें इस साल पिछले साल की तुलना में लगभग 293 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

यह वित्तायोग की चर्चा हो रही है, कृपया, उसकी बात सुन लीजिए। वित्तायोग में बढ़ोतरी हुई है इसलिए सिर्फ आप एक ही बात पकड़ कर राजनीति करोगे तो वह न्याय नहीं करेंगे, यह मैं कहना चाहता

16.02.2026/1820/बी.एस./एच.के-2

हूं। इन मदों में हिमाचल प्रदेश को फायदा हुआ है इसलिए आप लोगों को उसके लिए भी केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी नेता प्रतिपक्ष जी ने भी ध्यान में लाया कि किस तरह से आपके डॉ0 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यहां हमारी सरकार थी तो जो आर0डी0जी0 थी उसमें कटौती हुई थी। अब यह बंद हुई तो 17 के 17 राज्यों की हुई है। तब कटौती हुई तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हुई थी बाकी राज्यों में 50 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी, ऐसा क्यों ? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी परंतु आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री धूमल जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री जी की तरह रोना नहीं रोया था उन्होंने स्थितियों का सामना किया था। उस वक्त कोई योजना बंद नहीं की थी और न ही कहीं विकास रोक था। फिजूल खर्ची को रोक कर प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया था। इसलिए ये स्थितियां आप लोगों के सामने हैं। आप लोग राजनीति क्या करते हैं? पहले एक बयान आया, सात सांसद हैं क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

16.02.2026/1825/डीटी/वाईके-1

श्री रणधीर शर्मा.. जारी

सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सांसदों ने कह दिया कि उन्होंने वित्त आयोग की सिफारिशों की चर्चा की और बाद में कहा कि मुख्य मंत्री जी आए हम वित्त मंत्री जी के पास जाएंगे और जो लोन उठाया है उसमें ब्याज को कम कराएंगे। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई। उस दिन के बाद मुख्य मंत्री जी ने सांसदों का नाम लेना छोड़ दिया। फिर श्री

जय राम ठाकुर जी को दिल्ली चलने के लिए बोला। श्री जय राम ठाकुर जी ने भी मीडिया में कह दिया कि हमें जाने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जाएंगे। मैंने कहा कि जिस दिन नड्डा जी हां करेंगे तो आप कहेंगे कि (***) को भी साथ लेना तभी जाएंगे। इस हिसाब से तो इनका वहां जाना कोई उद्देश्य नहीं है, पैसा लाना कोई उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है कि बीजेपी को इस मुद्दे में कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। आप इस संकट के दौर में भी ऐसी घटिया राजनीति कर रहे हैं। ऐसी निम्नस्तरीय राजनीति कर रहे हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझकर आप थोड़ा इस पर विचार करें। आवश्यकता है इस पर जरूर मंथन होना चाहिए और जो भी बयानबाजी हम करते हैं उस पर जरूर विचार करते रहना चाहिए। राठौर साहब यहां बैठे हैं। यहां सर्वदलीय बैठक की बात हुई। हालांकि यहां चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारे दोनों साथियों ने इस पर चर्चा की है। अब अगर उस सर्वदलीय बैठक के मुद्दे पर जाना है तो राठौर साहब आपको याद होगा की श्री राकेश सिंघा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल इकोनॉमिकली स्टेट बनने के वायबल था ही नहीं। यह तो स्टेट ही गलत बन गई है। यहां हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सी0पी0एम0 ने हमारा समर्थन किया है। यह आपकी विचारधारा है जिस पर श्री राकेश सिंघा जी ने आपका समर्थन किया? क्या यह आपकी सोच है जिसका श्री राकेश सिंघा जी ने समर्थन किया? आप बोलते हैं कि हमारा समर्थन किया, जब आप तथ्य रखते हैं तो सारे तथ्य रखा करो। वहां जब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोलने लगा तो उसने कहा था कि

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16.02.2026/1825/डीटी/वाईके-2

एक तरफ तो आर0डी0जी0 बंद हुई और चौथे दिन आप नौ फॉर्च्यूनर खरीद कर ले आए। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गाड़ियों पर तो 20 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ है।

आपने उसको दबा दिया और फिर उसने जो लिखकर लाया था वही पढ़कर बोला। आप उसकी बातों के क्रक्स को समझो। मैं तो राठौर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने भी बड़े पते की बात की थी और ऐसे सभ्य शब्दों में की थी कि किसी को पिंच भी न हो। इन्होंने कहा था कि यह आर0डी0जी0 तो 15वें वित्तायोग के समय ही बंद हो जाती परंतु कोरोना के कारण नहीं हुई। इस बार भी आपदा थी इसलिए मुझे लगता है कि पक्ष सही नहीं गया। वह पक्ष किसने रखना था। यह पक्ष रखने वाले मुख्यमंत्री जी थे और उस समय तो इनको आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल के सपने आ रहे थे। उनको तब यह चिंता नहीं थी कि जब यह आर0डी0जी0 बंद होगी तो क्या हालत होगी। तब उन्होंने आंकड़े स्टडी नहीं किए। तब उन्होंने ये सारी बातें नहीं सोची। इसलिए दोषारोपण करने से पहले सरकार आत्म चिंतन भी करें। क्या 16वें वित्तायोग के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी हुई? क्या आपदा के विषयों को ढंग से वहां प्रस्तुत किया गया? भाई साहब सरकार आपकी है। अगर आपसे नहीं चल रही है तो आप सत्ता छोड़ दें, हम देख लेंगे। यह बात बता रही है और इसमें भी कहीं आपदा का जिक्र नहीं है कि हमने यह स्टैंड लिया। इसमें क्लियर कट सारी बातें हैं कि आप सही ढंग से पैरवी ही नहीं कर पाए। जब सरकार ही पैरवी न करें तो राजनीतिक दल क्या करेंगे? मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

**16.02.2026/1830/वाई.के.-एन.जी./1**

**श्री रणधीर शर्मा..... जारी**

से मुख्य मंत्री जी राजनीति कर रहे हैं कि अपने आप सही पक्ष नहीं रखा और कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री से कह कर बंद करने की सिफ़ारिश करवा दी गई क्योंकि मुख्य मंत्री जी चाहते थे कि यह बंद हो जाए। पिछले तीन साल में जब आर0डी0जी0 मिल रही थी तब

आपने क्या कर लिया? आप चुनावों में मुद्दा बनाना चाहते हैं कि हम कोई काम इसलिए नहीं कर पाए कि हमारी आर0डी0जी0 बंद हो गई है। आपने अपना पक्ष सही से नहीं रखा और कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री से आर0डी0जी0 बंद करने का लैटर व सिफ़ारिश करवा दी और दोष हमें दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्य मंत्री जी आपके (मुख्य मंत्री जी के लिए कहा) मित्र ही तो हैं क्योंकि चुनावों के दौरान वे यहीं पर पर मौजूद थे। मेरा प्रदेश सरकार से कहना है कि थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए। सत्तापक्ष की ओर से राजनीतिक बातें होंगी तो हम भी जवाब देंगे और यदि हमारी ओर से होंगी तो सत्तापक्ष की ओर से भी जवाब आएगा। हिमाचल प्रदेश हम सभी का है और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए। हमें यह भी सोचना होगा कि आज हिमाचल प्रदेश 55 साल का हो चुका है और 55 साल के हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए था। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं। हमें देखना होगा कि 55 साल में हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने कितने प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश गरीब राज्य है। हिमाचल प्रदेश में लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश समृद्ध राज्य है। यहां पर केवल सही नीतियों व गुड गवर्नैंस की आवश्यकता है। यदि प्रदेश सरकार सही योजनाएं नहीं बनाएगी और केवल ग्रांट पर ही निर्भर रहेगी तो काम नहीं चलेगा।

**16.02.2026/1830/वाई.के.-एन.जी./2**

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं और धुन के पक्के हैं लेकिन आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना लेकर इसे भिखारी बना दिया। आज इसके बारे में सोचना होगा और मैं कहना चाहता हूं कि आज इस मौके पर ही हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस चर्चा में एक-दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाये, क्या हम कुछ ऐसे consensus नहीं बना सकते कि कौन-कौन से फैसले हिमाचल प्रदेश के हित में हैं? ऐसा करने में दिक्कत ही क्या है? यदि यही राजनीति करनी है कि तुमने यह गलत किया, हमने

यह सही किया तो इस चर्चा से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए दोषारोपण को छोड़ कर कुछ कंक्रीट करना चाहिए। यदि आप (सत्ता पक्ष के लिए कहा) कहेंगे तो मैं एक और घण्टा ऐसे दोष लगा सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बजाये कुछ सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए हमने क्या-क्या किया है।

सभापति महोदय, सत्तापक्ष के लोग कह रहे हैं कि आर0डी0जी0 के बिना हिमाचल प्रदेश नहीं चल सकता। मैं कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 में जितना पैसा पांच साल में मिलेगा उतना पैसा माइनिंग की पॉलिसी बना कर मिल जाएगा। माननीय सदस्य, श्री राम कुमार जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जब आप पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे तो कैसे काम होगा? आज के समय में उत्तराखण्ड और पंजाब केवल माइनिंग के कारण सरप्लस स्टेट बन गए हैं लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक इसकी पॉलिसी ही नहीं बन पा रही है। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही कहा था कि माइनिंग की पॉलिसी बनाएंगे लेकिन तीन साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जब कोई काम करेंगे ही नहीं तो आत्मनिर्भर प्रदेश कहां से बनेगा?

**16.02.2026/1830/वाई.के.-एन.जी./3**

आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रदेश में कितनी अवैध माइनिंग हो रही है और यदि इसके लिए थोड़े नियम बनाकर इसे वैध कर देते हैं तो हिमाचल प्रदेश को हज़ारों करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसमें प्रदेश सरकार को क्या दिक्कत है? प्रदेश सरकार के अलावा इस पर काम कौन करेगा और कब करेंगे?

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश जड़ी-बुटियों का प्रदेश है। ऐसी कितनी ही जड़ी-बुटियां हैं जिनसे प्रदेश सरकार को सैंकड़ो करोड़ रुपये की आय हो सकती है। आज पूरा देश आयुर्वेदा की ओर जा रहा है। प्रदेश सरकार को उन जड़ी-बुटियों का संवर्धन करना चाहिए। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। उन जड़ी-बुटियों को इक्कठा करने और

उनकी मार्किटिंग करने के संदर्भ में क्या प्रदेश सरकार ने कभी सोचा है? क्या प्रदेश सरकार ने इस विषय पर विचार किया है? हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी सम्पदा ऐसे ही बर्बाद हो रही है। इस सम्पदा का हम कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से हम नए डेस्टिनेशन्ज़ नहीं बना रहे हैं। जब हम स्कूल-कॉलेज में पढ़ते थे, तब जो डेस्टिनेशन्ज़ थे, आज भी वही हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों नए डेस्टिनेशन्ज़ डवलप किए जा सकते हैं। जब कोई योजनाएं आती हैं तो वही चार

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

**16.12.2026/1835/ए.जी./ए.पी/01**

**श्री रणधीर शर्मा जारी .....**

डेस्टिनेशन धर्मशाला, शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे पर्यटन केंद्रों तक सीमित रह जाता है। आप नई डेस्टिनेशन कब डेवलप करेंगे? टूरिजम कैसे विकसित होगा? यदि आप केंद्र के बजट की आलोचना करेंगे तो आलोचना ही दिखेगी। परंतु अगर आप उस बजट में ध्यान से देखेंगे तो आपको हिमाचल के लिए बजट दिखेगा। उसमें 50 नए पर्यटन केंद्र विकसित करने का प्रावधान है और केंद्र सरकार मदद करेगी। परंतु हिमाचल सरकार को प्रोजेक्ट बनाने होंगे, तभी यह संभव होगा। यहां तो यही लगता है कि कोई untied grant आ जाए। हिमाचल में पर्यटन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। देश में सबसे ज्यादा टूरिजम हिमालच में ही तो है। सवाल यह है कि हम कितने नए डेस्टिनेशन सेंटर विकसित कर सकते हैं और हमें करने भी चाहिए। इस पर मैंने कई बार चर्चा की है। हमें हिमाचल में नए शहरों को बसाना चाहिए, लेकिन सरकार ने बहुत देर कर दी। तीन साल बीत गए, अभी भी चंड़ीगढ़ के पास पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों ने जीरकपुर, चंडीगढ़ आदि जगहों पर फ्लैट ले लिये हैं। यदि समय पर निवेश के कदम

उठाए जाते तो वे सारा निवेश हिमाचल में होता। मैंने शुरू में कहा है कि अलोचना से कुछ नहीं होगा। ...(व्यवधान) अगर आप विषय की गंभीरता को नहीं समझते तो देख लीजीए मैं आ जाता हूं फिर मैं भी दोषारोपण करता हूं। ...(व्यवधान)।

**Chairman:** Please don't disturb.

**श्री रणधीर शर्मा :** इसलिए थोड़ा तो सकारात्मक सोच रखो। क्या सारी जिंदगी दोषारोपण की करते रहोगे। मैं यह कह रहा हूं कि हमें इक्टठे मिल कर सोचना चाहिए। आज आर0डी0जी0 बंद हुई तो संकट आया है अभी भी समय है सोच लो। आलोचना करने के बजाए अभी सोच लो। इसी केंद्रीय बजट में इंडस्ट्रियल हब नए शहरों में विकसित करने का प्रावधान है। आप बद्दी, नालागढ़ से बाहर तो निकलो, हिमाचल में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं और इसमें केंद्र सरकार भी मदद करने को तैयार है। लेकिन मुख्य मंत्री की सोच है कि उद्योगों को हिमाचल में क्यों लेकर आना क्योंकि जी0एस0टी0

**16.12.2026/1835/ए.जी./ए.पी/02**

तो हमें मिलती नहीं। आप को क्या हर जगह बिजनेस ही दिखता है। यदि उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी ,जी0डी0पी0 बढ़ेगी, आपके लोन की लिमिट बढ़ेगी, कितने फायदे होगें। लेकिन उस तरफ हम सोचेगे ही नहीं। एक ब्लक ड्रग पार्क लाए थें, वह भी बंद हो गया। उसकी जमीन में भी नापतोल किया जा रहा है। अब आप बताए कि कैसे इंडस्ट्री आएगी? आपके पास न रॉ मेटिरियल और न ही मार्केट है, तो आप ही बताइए कि इंडस्ट्री कहां से आएगी? हिमाचल में अगर आप कुछ इंसेंटिव देंगे तभी इंडस्ट्री आएगी अन्यथा इंडस्ट्री क्यों आएगी। उस दृष्टि से हम क्या कर रहे है? आज फार्मास्यूटिकल हब बनाने का केन्द्रीय बजट में प्रावधान है। जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये का निवेश संभव है। इसी तरह केमिकल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी केंद्र ने प्राथमिकता दी है। हिमाचल को इसका लाभ उठाना चाहिए। परन्तु उस तरफ कोई सोचे तो ही ऐसा हो पाएगा। हम सिर्फ एक दूसरे की आलोचना ही कर रहे है। अभी मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा गया कि विपक्ष द्वारा 70,000 करोड़ रुपये से कुछ नहीं हो पाया और उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये में कर दिया। अगर विकास ठप कर दिया जाए,

योजनाओं को बंद कर दिया गया हो, संस्थानों को बंद कर दिया गया हो, एम0एल0ए0 फंड रोक देना हो, ऐच्छिक निधि जारी न करनी हो, सारी योजनाओं का पैसा रोकन देना हो, तो फिर बजट की आवश्यकता ही क्या है। फिर तो 17,000 करोड़ रुपये की क्या जरूरत फिर तो आप 2,000 करोड़ से ही काम कर सकते हो। फिर आपको पैसे की क्या जरूरत। इस तरह अपनी पीठ थपथपाने से क्या फायदा। हमें कुछ कड़वे फैसले लेने होंगे। हिमाचल में शीर्ष-प्रशासनीक अधिकारी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के एक जिले की आबादी हिमाचल की आबादी के बराबर है और वहां एक जिले को एक आई0एस0 अधिकारी संभालता है। यहां कितने आई0ए0एस0 और कितने आई0पी0एस0 हैं, इस पर भी विचार करना होगा। कितना खर्चा हो रहा है, फिजूलखर्ची है, इसमें कोई संदेह नही है, आप मानो न मानो। इसके काराणों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपने किया था तो हम भी कर रहे हैं। फिर आपने क्या सुधार किया, फिर आपने सरकार को कैसे आत्मनिर्भरता बनाने की बातें की, इस के लिए आपको अपने से शुरूआत करनी चाहिए। कुछ नहीं किया आपने

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

**16.02.2026/1840/AT/AG/01**

**श्री रणधीर शर्मा जारी ....**

कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं शांता जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि वर्ष 1989-1990 में उन्होंने शनिवार और रविवार को सरकारी गाड़ियां चलनी बंद कर दी गई थीं और केवल दो दिन गाड़ियां बंद रखने से वर्ष 1990 में लगभग 20 करोड़ रुपये की बचत हुई थी। ...(व्यवधान)

**Chairman :** Please don't disturb.

**श्री रणधीर शर्माः** मैं चर्चा को दूसरी ओर ले जाना चाह रहा हूं परंतु आप उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा कि यही करो मैं केवल एक सोच रख

रहा हूं कि फिजूलखर्ची रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और शुरुआत आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो मैं बंद कर देता हूं । ...(व्यवधान)

**Chairman:** Please continue. माननीय सदस्य Please continue.

**श्री रणधीर शर्मा :** मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिजूलखर्ची रोकने के लिए शुरुआत स्वयं से करनी पड़ती है । क्या आज हम यह सोच सकते हैं कि हम खुद कुछ खर्च कम करें, वह चाहे फिर गाड़ियों के है या दफ्तरों के है? यह छोटी बचत होगी पर होनी चाहिए। जैसे सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही बेसक वह बात छोटी होगी शायद वह 20 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये की उसस बचत होगी। परंतु मैसेज यह जाता है कि सचमुच आर्थिक संकट है और उसके बाद ही कर्मचारी, अधिकारी और आम लोग भी उसी प्रकार से विचार करते हैं। जब आप स्वयं सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियों के काफिलों के साथ घूम रहे हैं, आलीशान दफ्तर बना रहे हैं तो आम आदमी को लगता है कि जो उन्हें ज्ञान दे रहे हैं वह खुद तो अपने फिजूलखर्चे कम नहीं करते। इसलिए आपको भी फिजूलखर्ची कम करनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। भले ही आपको यह बात बुरी लगे, परंतु आज हालत यह है कि कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए भी कमीशन देना पड़ रहा है। यह भ्रष्टाचार और करप्शन की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी। शुरुआत अपने से करके सबको

**16.02.2026/1840/AT/AG/02**

रोकना होगा। यदि चुन-चुन कर केवल वहीं कार्रवाई की जाएगी जहां से लाभ मिल सकता है तो जो चल रहा है वह चलता रहेगा। सभापति महोदय से मेरा निवेदन कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है और यह चर्चा का विषय है। इसमें एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय यह सोचना होगा कि आगे क्या हो सकता है? आर0डी0जी0 चली गई, आएगी या नहीं, कब आएगी यह स्पष्ट नहीं है। हमें यह भी सोचना होगा कि बिना आर0डी0जी0 के भी हिमाचल को कैसे चलाया जाए। मैंने कुछ सुझाव दिये है उस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है और हिमाचल में बहुत कुछ किया जा सकता है। यह ठीक है यह

सिर्फ कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, समृद्ध हिमाचल बने। यदि हम इच्छाशक्ति मजबूत रखें और हम कठोर निर्णय लें तो हिमाचल प्रदेश सचमुच आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके लिए कन्सेन्सस बनाकर चलना पड़ेगा केवल दोषारोपण और आलोचना से काम नहीं चलेगा सहायता भी लेनी पड़ेगी। मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा था कि एक ओर केंद्र सरकार की आलोचना और दूसरी ओर उससे मदद की अपेक्षा करोगे यह कैसे चलेगा।

**एम0डी0द्वारा जारी .....**

**16-02-2026/1845/AS/MD/1**

**श्री रणधीर शर्मा----जारी**

यहां तो स्तुति भी करनी पड़ती है, केवल आलोचना ही करने से काम नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी, जिस दिन से यह मुद्दा चलाया गया, आप थे नहीं; जब मैंने बात की तो केवल आलोचना ही करने का काम हो रहा है। आपका एक ही सिंगल एजेंडा है कि आर0डी0जी0 के मुद्दे पर बीजेपी को कैसे कॉर्नर करना है। इसके सिवाय आपका कोई एजेंडा नजर नहीं आता, जबकि एजेंडा यह होना चाहिए कि हां, हम बिना आर0डी0जी0 के भी हिमाचल को खड़ा करेंगे, हिमाचल को चलाएंगे। आप रूलिंग में हैं, उस दृष्टि से प्रयास कीजिए। आपने चाहे सर्वदलीय मीटिंग की हो, चाहे यहां चर्चा लाई हो, आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जितना बढ़िया विषय रख रहे थे, आप फिर भी आर0डी0जी0 पर ही स्टैंड लेना चाहते हैं। आपको तो वही चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें मानिए। जो हम सुझाव दे रहे हैं, उन पर भी विचार कीजिए। अगर अच्छे लगें तो फिर कभी बुला लीजिए हम और सुझाव देंगे ताकि हिमाचल प्रदेश को हम भिखारी न बनाएं बल्कि आत्मनिर्भर बनाएं। यहां के लोगों को खुशहाल और समृद्ध बनाएं तथा प्रदेश को भी खुशहाल बनाएं। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**सभापति :** अब इस चर्चा में मुख्य मंत्री जी भाग लेंगे।

**मुख्य मंत्री :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने यह बात रखी है और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। उनका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल आर0डी0जी0 का मुद्दा नहीं है यह अधिकार है, हक है और यह प्रदेश की जनता का है सरकार का नहीं है। सरकार तो केवल इस अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। मैं चाहूंगा कि इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठे होकर जाएं। यहां कोई सरकार का विरोध या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। हम सब यह कह रहे हैं कि आर0डी0जी0 हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वह

16-02-2026/1845/AS/MD/2

रेवेन्यू प्लस के आधार पर नहीं हुआ था और जी0एस0टी0 के बाद तो हमारी स्थिति और भी खराब हुई है। इसलिए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ें मैं यही कहना चाहता था।

**सभापति :** आर0डी0जी0 पर संकल्प भी 102 में यही है। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे।

**श्री आशीष बुटेल :** नियम 102 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो संकल्प अलॉउ किया है, उसके लिए मैं उनका तहदिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने विवेक और नियमों के तहत इसे अलॉउ किया। अध्यक्ष महोदय, जब आसन पर थे, तब विपक्ष के लोगों ने परंपरा की बात कही थी और बार-बार यह कहते रहे कि यह परंपरा के बाहर है पहले गवर्नर एड्रेस पर चर्चा होनी चाहिए। वे कुछ ऐसी बातें भी कह रहे थे, जिससे यह लगता था कि नियम-102 के अंतर्गत जो यह डिस्कशन है, उसे वे नहीं चाहते थे। जब परंपरा की बात आई है, तो मैं उन्हें परंपरा याद दिलाना चाहूंगा। महोदय, पिछली सरकार में भी मैं इस विधानसभा का सदस्य था और वर्ष 2019 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा डैफर की गई थी। उस समय अध्यक्ष महोदय ने अपने आसन से यह बात कही थी। साथ ही उस समय एक बहुत विचित्र स्थिति भी सामने आई थी। उस समय श्री विपिन सिंह परमार साहब अध्यक्ष थे। पूरे साल का जो पहला सत्र होता है, उसके अंदर गवर्नर एड्रेस होता है।

लेकिन आपने तो वह परंपरा भी तोड़ दी थी और पहले सत्र के अंदर गवर्नर एड्रेस नहीं कराया था। आपको शायद यह बात ध्यान में होगी। चाहे सत्र छोटा हो या बड़ा हो, पहला सत्र ऐसा होता है जिसके अंदर गवर्नर एड्रेस होता है। परंपरा केवल हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ही नहीं माननी चाहिए, यदि माननी है तो पूरे देश की माननी चाहिए। यह पहली बार हुआ कि प्रेसिडेंट एड्रेस पर प्रधानमंत्री जी ने उस एड्रेस में भाग नहीं लिया। उसका यह हवाला दिया गया कि ऑपोजिशन की दो-तीन महिलाएं थीं, और लोकसभा के स्पीकर साहब ने कहा कि उन्हें ऐसा एहसास था कि प्रधानमंत्री जी पर किसी तरह का अटैक हो सकता है। मैं उनके शब्द नहीं, अपने शब्द कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बात वहां कही गई थी। इसलिए जब केंद्र के सबसे बड़े मंदिर, लोकसभा में परंपराओं का उल्लंघन होता है, तो यहां पर परंपरा के उल्लंघन की बात करना उचित नहीं है।---(व्यवधान) सुनिए त्रिलोक जी

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**16.02.2026/1850/केएस/एएस/1**

**श्री आशीष बुटेल जारी** ---

...(व्यवधान) वह आप पहले ही कर चुके हो। मैंने बता दिया वर्ष 2019 में और उसके बाद जब जय राम जी मुख्य मंत्री थे, वह कई बार हो चुका है। शायद उस तरफ जा कर याददाश्त थोड़ा कमज़ोर हो जाती है और सभापति महोदय, परम्परा तो यह भी रही है कि जो रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिलती थी, वह भी परम्परा का एक हिस्सा थी। आज तक किसी वित्तायोग ने ऐसा नहीं किया कि हिमाचल प्रदेश को आर0डी0जी0 ना दी हो, वह भी परम्परा का एक हिस्सा होती थी। आप लोगों ने यह पहली बार बंद की है और उसके बंद होने से हिमाचल, हिमाचलियत और उससे ज्यादा हिमाचल के लोगों के भविष्य पर एक ऐसी तलवार खड़ी हो गई है जिसको शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है।

सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल-280 का ज़िक्र हुआ। हां, यह ठीक है कि उसके अंदर वित्तायोग का गठन करने का भारत के राष्ट्रपति को जो अधिकार है, उसके तहत

यह गठन भी हुआ। आर्टिकल 275(1) की बात हुई। उसके अंदर जो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड टैक्सिस के रूप में जितनी भी इन्कम भारत सरकार की है, वह कैसे स्टेट्स को जाएगी, इसका उल्लेख हुआ है। अभी शायद रणधीर शर्मा जी कह रहे थे कि इसको मैंशन करने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यह तो बहुत ज़रूरी है। 24 और 25 जून, 2025 को 16वें वित्तायोग की टीम हिमाचल प्रदेश में आई। सरकार के सभी अधिकारी और माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सारी कैबिनेट भी उनसे मिली। आपकी पोलिटिकल पार्टी के लोग भी उनसे मिले होंगे। ...(व्यवधान) नहीं मिले होंगे लेकिन वे सभी से मिलने आए थे। आप लोग नहीं मिले होंगे तो वह मुझे मालूम नहीं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना मिले हों क्योंकि जब भी वित्तायोग आता है तो वह केवल सरकार से ही मिलने नहीं आता वह प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी तथा प्रत्येक स्टेक होल्डर से मिलना चाहता है ताकि वह समझ सके कि यहां पर कितनी ज़रूरत है। अब आपने वहां पर जा कर क्या कहा, वह हमें मालूम नहीं लेकिन सरकार ने यह कहा कि आर0डी0जी0 की हम लोग आपसे अपेक्षा करते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सीमित संसाधन हैं जिनसे हम इन्कम जनरेट कर सकते हैं इसलिए हमें आर0डी0जी0 के ऊपर जाना पड़ेगा। यह बात उनके

**16.02.2026/1850/केएस/एएस/2**

समक्ष रखी गई। मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में बताएंगे लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई पोज़िटिव सिग्नल तो मिला होगा। अगर ना मिला होता तो हम उसके इंतज़ार में नहीं होते। और अगर कोई पोज़िटिव सिग्नल वहां से मिला और उसके बाद धोखा दिया गया तो मुझे लगता है कि जो हम यहां इस तरफ 40 लोग बैठे हैं, हमारे साथ ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता के साथ धोखा है।

सभापति महोदय, आर0डी0जी0 की अभी जब हम बात कर रहे थे, मैं दोबारा से वापिस आऊंगा, माननीय सदस्य रणधीर शर्माजी ने बताया कि किस तरह से टाइड ग्रांट्स हमें आ रही हैं। आर0डी0जी0 एक अनटाइड ग्रांट होती थी। अनटाइड ग्रांट ऐसे होती थी कि

उसके ज़रिये हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी पॉलिसीज़ उसके हिसाब से बनाती है। वह अनटाइड पैसा जब आपके पास आता था, आप उसको कहीं पर भी खर्च कर सकते थे। आप अगर कोई भी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर पैसा चाहिए था वह तब यहां पर आपको मिलता था जब आपके पास भारत सरकार से अनटाइड पैसा यहां पर आता था। जैसा मैंने कहा कि हमारे सीमित संसाधन हैं और दूसरी ओर से हमें फाइनेंशियल मार भी पूरी है। वह कैसे पड़ रही है, सबसे पहले आपने हमारा जी0एस0टी0 का कंपनसेशन बंद किया। आपने जी0एस0टी0 लागू किया जिसका विरोध पूरे देश ने किया। उसके बाद आपने वह पूरे देश भर में लागू किया और आपने कहा कि पांच साल तक शायद आपको जी0एस0टी0 का कंपनसेशन मिलेगा। पांच साल तक आपको कंपनसेशन मिला लेकिन उसके बाद खत्म। यह किसने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का जी0एस0टी0 का कलैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कंजप्शन बेस्ड है। हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। जितनी हमारी आसपास की स्टेट्स हैं उनसे तो हमारी पॉपुलेशन कई गुना कम है। आपकी जितनी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, विपक्ष से कोई वक्ता कह रहे थे कि हम

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**16.02.2026/1855/av/डीसी/1**

**श्री आशीष बुटेल------ जारी**

इसी बात का रोना रोते हैं कि अगर हम औद्योगीकरण करेंगे तो हमें जी0एस0टी0 का पैसा नहीं आएगा। ठीक बात है, संसाधन हमारे खत्म हो रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार खड़ा कर रही है। परंतु जी0एस0टी0 की कलैक्शन केंद्र सरकार को जा रही है। एक समय था जब वैट और एक्साइज के जरिए पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई भी चीज बिकती थी तो उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आता था और उससे सरकारें चलाई जाती थीं। परंतु अब तो सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। यहां से जितनी भी जी0एस0टी0 की कलैक्शन होगी वह केंद्र सरकार के पास जाएगी और फिर केंद्र सरकार यह तय करेगी कि हिमाचल प्रदेश को क्या देना है। हिमाचल प्रदेश को क्या

देना है, यह तो अच्छी बात है परंतु जो आर0डी0जी0 हमारा अधिकार है; वह आप नहीं दे रहे हैं और उसी के बारे में यह चिंतन हो रहा है।

इसी तरह से हमारी लोन की सीमा पर भी कैपिंग की गई। आप अब टोटल जी0एस0डी0पी0 का 3 प्रतिशत लोन उठा सकते हैं। इस तरह से आपकी यहां पर कैपिंग हो गई। आप यहां पर जितना पैसा कहीं और से अर्जित कर सकते थे, वह पैसा अब आपकी जेब में नहीं आ सकता। यही कारण है कि हम आर0डी0जी0 अभी भी मांग रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने सत्ता सम्भालने के पहले दिन ही कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने उसके लिए कदम भी उठाए। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं परंतु उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा कि आपके सदस्यों से वित्तायोग मिला, आपने उनसे क्या कहा और क्या नहीं कहा; यह मुझे मालूम नहीं है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मैं किसी और की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर अपना एक स्ट्रोंग ओपिनियन रखना चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों ने वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लॉट्स करने की कोशिश की थी। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग जब बोलेंगे तो उस समय बता देना कि सही कहा या गलत कहा। वह ऑपरेशन फेल हुआ और पूरे देश में केवल हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हमने ऑपरेशन लॉट्स को फेल किया।

**16.02.2026/1855/av/डीसी/2**

आप चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाए, क्या यह उस बात का गुस्सा है? आज आपकी तरफ से कोई केंद्र सरकार के पास जाना भी नहीं चाहता। विपक्ष की तरफ से दो वक्ता बोल चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम आपके नेतृत्व में जाने को तैयार हैं। परंतु दोनों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो क्या आप हिमाचल के हितों के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे? ...(व्यवधान) श्री राकेश जम्वाल जी, ऐसा भी हो सकता है और मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है तथा यह मेरा ओपिनियन है। लेकिन यह भी तो हो

सकता है कि इनके शायद एक नेता जाने को तैयार भी हो जाए परंतु जो इनके चार अलग धड़े हैं, वे इनको जाने ही न दे रहे हों। यह भी तो हो सकता है कि पांचवा धड़ा जाने को तैयार है परंतु इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पता नहीं बाकी चार धड़े वहां जाकर क्या चुगली लगाएंगे। यहां पर हिमाचल के हितों की बात न करने के पीछे मुख्य कारण यह है। मैं यहां पर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता परंतु यह बात जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि हमारे समय में यानी तीन वर्षों में हमें 17000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिली। परंतु आपके समय में वही आर0डी0जी0 आपको 54000 करोड़ रुपये की मिली। आप जब सरकार में आए यानी वर्ष 2017 से 2022 के बीच में ...(व्यवधान)

**सभापति :** माननीय सदस्य, आप और कितना समय लेंगे?

**श्री आशीष बुटेल :** सभापति महोदय, मैं 10 मिनट्स का समय लूंगा।

**सभापति :** अब इस माननीय सदन की बैठक 07.10 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

**श्री आशीष बुटेल :** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं पिछली सरकार के समय की बात कर रहा था। वर्ष 2017 में आपकी सरकार बनी। आपने क्या किया? आपको केंद्र सरकार ने 54000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0

**16.02.2026/1855/av/डीसी/3**

की फॉर्म में दिए। आपने उस समय हिमाचल प्रदेश का लोन 70-75 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया था। यानी जब सरकार आई थी तो 32 हजार करोड़ रुपये ज्यादा तथा जब गई तो 32 हजार करोड़ रुपये का और ऋण आपने हिमाचल प्रदेश पर तैयार किया।

**टी सी द्वारा जारी**

**16.02.2026/1900/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**

**श्री आशीष बुटेल .... जारी**

यानी जब आपकी सरकार गई तो हिमाचल प्रदेश पर 32 हजार करोड़ रुपये का और ऋण छोड़कर गई। इनको 54000 करोड़ रुपये की आर0जी0डी0 ग्रांट मिली है। इसके अलावा जी0एस0टी0 ग्रांट के तहत जो कंपनसेशन मिला है, वह अलग है। यदि केवल इन दो बातों को ही देखा जाए तो भी तकरीबन 80 से 90 हजार करोड़ रुपये आपके पास आए थे। आपने उन 5 वर्षों में उस पैसे का क्या किया। आपने कौन-सी डवलपमेंट करवाई? जो 48000 करोड़ रुपये पिछली सरकार छोड़कर गई थी, उस राशि को आपने वापस क्यों नहीं किया। आपने प्रिंसिपल अमाउंट वापिस क्यों नहीं किया और उसका इंटरेस्ट पूरी तरह से भरना क्यों शुरू नहीं किया। आपने 5 वर्षों में 90 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए। आपके द्वारा लिए गए कर्ज हमारी सरकार को विरासत में मिले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह रिकॉर्ड पर है कि 30 हजार करोड़ रुपये जिसमें लोन और प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, हमारी सरकार ने चुकाए है। आप कह रहे हैं कि हमने 30 हजार करोड़ रुपये का और कर्ज ले लिया और यह कर्ज एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यदि तीस हजार करोड़ रुपये से हमने आपके द्वारा लिए गए लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापिस किया है तो मैं समझता हूं कि आपको इसके लिए मुख्य मंत्री जी को शाबाशी देनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि 17000 करोड़ रुपये की आर0जी0डी0 से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 वर्ष तक चलाई यानी 3 वर्ष तक प्रदेश को चलाया और 17000 करोड़ रुपये की राशि के साथ-साथ अपने सोर्सिज से 28000 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने अर्जित किए। यह 28000 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश के डेवलपमैंट में लगाए गए। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अब आप एक बात बताइए कि क्या यह सब नहीं करना चाहिए था। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 10 गारंटी दीं जिनमें से 7 पूरी कीं। हमने ओ0पी0एस0 की गारंटी को भी पूरा किया। क्या आप कहते हैं कि यह नहीं करना चाहिए था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने यहां फाइनेंशियल बदहाली पैदा कर दी। क्या ओ0पी0एस0 नहीं देना चाहिए थी। आपने तो नहीं दी । यदि आपने तो नहीं दी

इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने एम्पलाइज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपने पिछली बार विधान सभा में उनके ऊपर डंडे चलाए थे। हमारी

**16.02.2026/1900/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

सरकार ने आते ही उन पर मरहम लगाने का कार्य किया और ओ0पी0एस0 पर यहां बहाल की। इसके लिए मुख्य मंत्री जी, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, अभी कोई माननीय सदस्य कह रहा था कि आपने किसी को एरियर्स नहीं दिया। प्रत्येक एंप्लॉय जिसने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसके एरियर्स का भुगतान हिमाचल प्रदेश की सरकार कर चुकी है। यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आधी-अधूरी जानकारी के साथ इस सदन में नहीं आना चाहिए। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमैंट हो रही है, टूरिज्म के प्रोजैक्ट चल रहे हैं, हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी नौकरियों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुझे भी सी0पी0ए0 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला। केवल शिक्षा विभाग में ही लगभग 7000 लोगों को नियमित नौकरी दी गई। इसके अतिरिक्त जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वह अलग हैं। पिछले 5 वर्षों में आपकी सरकार जितनी नौकरियां नहीं दे पाई उससे 3 से 4 गुना अधिक नौकरियां हमने यहां प्रदान की हैं। यदि 5 वर्षों में श्री जय राम ठाकुर जी और सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के कार्यकाल की तुलना की जाए तो श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी 4 कदम आगे ही निकलेंगे। हम पीछे रहने वालों में नहीं हैं। यहां फाइनेंस कमीशन की बात भी यहां उठाई गई। अभी कोई टेपरिंग ग्रांट के बारे में बात कर रहा था। टेपरिंग ग्रांट के विषय में कहा गया कि इसकी राशि कम हो जाएगी। वैसे तो इस संबंध में कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मैं जो फिगर देख रहा था, उसके अनुसार 5 वर्षों तक फाइनेंस कमीशन ने राशि दी और उसे धीरे-धीरे कम किया गया। अंतिम वर्ष में हमें लगभग 3200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि आपके समय में लगभग 10-10 हजार करोड़ रुपये मिल रहे थे। हमारी सरकार के समय यह घटकर लगभग 3200 करोड़ रुपये रह गया। लेकिन यह

किसने कहा कि अगले वर्ष से या अगले फाइनेंस कमीशन में आर0जी0डी0 राशि पूरी तरह जीरो कर दी जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह नाइंसाफी है।

**श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी**

16-2-2026/1905/एन0एस0-एच0के0/1

श्री आशीष बुटेल----जारी

सभापति महोदय, मैं इसके लिए हैरान हूं। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी के दो कान हैं और वे दोनों कानों से एक साथ सुन लेते हैं। ...(व्यवधान) यह एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है कि अगर आंखें बंद हों तो कान हमेशा खुले रहते हैं और मुख्य मंत्री जी के कान हमेशा खुले रहते हैं। सभापति महोदय, यहां पर टेपरिंग ग्रांट की भी बात आई। यहां पर कहने लगे कि टेपरिंग हो गई और ग्रांट को बंद करने की बात हुई थी। ग्रांट कैसे बंद हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में क्या रिसोर्सिस हैं? ये रिसोर्सिस चाहे आपने (विपक्ष) पैदा नहीं किए होंगे या हमने (सत्ता पक्ष) पैदा नहीं किए होंगे पर क्या केंद्र सरकार को यह मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के जंगल, unpolluted rivers और हमारा जो पर्यावरण है जिसकी वजह से अच्छी हवा निचले इलाकों में जाती है अगर हम इनको काटना शुरू कर दें तो पूरे भारत वर्ष का क्या हाल होगा? क्या हमें उसका पैसा नहीं मिलना चाहिए? हम यहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमें उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? हम भी यही कह रहे हैं कि जंगलों को हरित रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त रखने के लिए और इन सब चीजों के लिए भारत सरकार को हमें कंपनसेट करना चाहिए। भारत सरकार जो मर्जी कहती रहे लेकिन जब तक हमारे सोर्स तैयार नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माननीय रणधीर शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें यहां पर अपने इनकम के सोर्सिज बनाने पड़ेंगे लेकिन वे कब बनेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रोजैक्ट में इतनी बड़ी इन्वैस्टमैंट हिमाचल प्रदेश के पैसे से कर पाएंगे? जब जी0एस0टी0 नहीं आता या हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतना जी0एस0टी0 नहीं दे सकती तो पैसा कहां से लेकर

आएंगे? हम केंद्र सरकार से ही मदद मांगेगे। यहां पर माननीय रणधीर शर्मा जी ने कहा कि यू0एल0बीज0 के लिए केंद्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये देने की बात कही है। ठीक बात है। आपने कहा कि एन0डी0एम0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। यह भी बिल्कुल ठीक बात है। आपने यहां पर 0.84 से 0.91 शेयर करने की बात कही है। सभापति महोदय, हमारा जो 0.84 और 0.91 शेयर है तो इसमें वित्तायोग ने क्लीयरली लिखा है कि आपको यह आपके हरित होने की वजह से यानी जंगलों की वजह से

16-2-2026/1905/एन0एस0-एच0के0/2

मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम इतना ही डिजर्व करते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश इतना-सा ही डिजर्व करता है कि पूरे देश की हवा को बदल कर रखता है यानी शुद्ध हवा यहां से भेज रहा है और हमें 0.84 से 0.91 ही इन्क्रीज मिल रहा है। ये कोई बात नहीं बनती है। इन्होंने यहां पर जी0एस0टी0 की बात की कि 2450 करोड़ रुपये के आसपास इन्क्रीज हो रहा है। महोदय, ये तो इसलिए भी इन्क्रीज हो रहा है क्योंकि टैक्स कोलैक्शन ज्यादा हो रही है। अगर केंद्र सरकार की टैक्स कोलैक्शन ज्यादा हो रही है तो हमें भी ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए अगर अन्य राज्यों को मिलता है। कोई कहता है कि कर्नाटक राज्य ने कह दिया। अगर कर्नाटक ने कह दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक को अपने जी0डी0पी0 का .08 प्रतिशत मिलता है। हमें 12 से 13 प्रतिशत मिलता था।

**सभापति :** माननीय सदस्य, आप कितना समय लेंगे?

**श्री आशीष बुटेल :** महोदय, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

**सभापतिः** माननीय सदन की बैठक 5 मिनट के लिए और बढ़ाई जाती है।

**श्री आशीष बुटेल :** सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप एक बार फिर से जाएं क्योंकि विपक्ष के मित्रों को एक बार गलती लग चुकी है। हिमाचल की जनता सब जानती है। जब हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में आपदा आई तो हमने रेजोल्यूशन लाया कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कराएं। आपने उस रेजोल्यूशन में हिस्सा तक नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश की जनता सब जानती

है। आपके पास इस बार यह मौका है कि आप आर0डी0जी0 के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलें और वहां पर इसकी मांग करें।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी यहां किसी ने कहा कि हम लोग यहां पर सब्सिडी दे रहे हैं और सामाजिक कल्याण के लिए स्कीम्ज दे रहे हैं। सभापति महोदय, इससे बुरा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और हरेक के खाते में 10,000 रुपये डाले गए और वोटों को लेने के लिए डाले गए। अभी हमारे यहां तो चुनाव बहुत दूर हैं

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

16.02.2026/1910/RKS/एचके-1

श्री आशीष बुटेल जारी....

हम तो 1500 रुपये की बात कर रहे थे लेकिन आपने इन्हें भी रोकने की बात की। मैं ज्यादा न कहते हुए श्री जय राम ठाकुर जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो हजारों करोड़ रुपये की बिल्डिंगें बनवाई, आपने जो फिजुलखर्ची की, कर्ज लेकर आपने जो घी पिया और अपने साथियों को भी पिलाया वह बद्हज़मी आज हिमाचल प्रदेश सरकार के पेट में हो रही है। क्योंकि कई बार घी पचता भी नहीं है और यह घी नहीं पच रहा है। यही वह प्राब्लम है और इसका निजात यह है कि हम सब इकट्ठा होकर दिल्ली चलें। आपकी बात हम लोग भी सुनें लेकिन अगला वक्ता जो भी हो वह कम-से-कम यह कह दे कि वह हमारे साथ दिल्ली जाने को तैयार है। धन्यवाद। जय हिन्द।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**दिनांकः 16 फरवरी, 2026** **यशपाल शर्मा**
**शिमला-171004.** **सचिव।**